Wednesday, 6 December, 1961

द्वितीय माला, खण्ड ६०—अंक ११

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. 74
17. 1. 62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पन्द्रहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ६० में अंक ११ से अंक १६ तक हैं)

Preservation
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ६०--अंक ११ से १६--२ से ८ दिसम्बर, १९६१/११ से १७ अग्रहायण, १८८३ (शक)]

पृष्ठ

अंक ११--शनिवार, २ दिसम्बर, १९६१/११ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९१, ४९२, ४९४ से ४९६, ४९८, ४९९, ५०१ से ५०५, ५०९, ५१०, ५१३, ५१६, ५१९, ५२१ से ५२४ और ५२६ . . . १२५९--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३, ४९७, ५००, ५०६ से ५०८, ५११, ५१२, ५१४, ५१५, ५१८, ५२० और ५२५ . . . १२८५--९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १००१ से १०८१ . . . १२९०--१३२३

स्थगन प्रस्ताव--

निशानों में पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादतियां . . . १३२३-२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान मोटर्स को विशेष रेलगाड़ी का दिया जाना . . . १३२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १३२५-२६

राज्य सभा से सन्देश . . . १३२६

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पटल पर रखे गये . . . १३२६

सदस्य की गिरफ्तारी . . . १३२७

भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कृत्यों और गतिविधियों के बारे में एक वक्तव्य . . . १३२७

सभा का कार्य . . . १३२७-२८

विधेयक पुरस्थापित

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . . १३२८

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक १९६१ . . . १३२८

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६१ . . . १३२९

वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) . . . १३२९--३४

बड़ी रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . १३३४--४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित--

(१) हिंदू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, १९६१ (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का] . . . १३४१

विषय	पृष्ठ
(२) चलचित्र उद्योग कर्मचारी (कार्य की दशा में सुधार) विधेयक १९६१ [श्री गोरे का] . .	१३४१
(३) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा १०, २०, २१ और २६ का संशोधन) [श्री सं० चं० सामन्त का]	१३४२
(४) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१, [श्री अ० त्रि० शर्मा का] . . .	१३४२
(५) असैनिक उड्डयन (लाइसेंस देना) विधेयक, १९६१ [श्री अमजद अली का]	१३४२
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक, १९६१ [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] अस्वीकृत	१३४३–४७
विचार करने का प्रस्ताव . .	१३४३––४७
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ का संशोधन) [श्री तंगामणि का] वापस ले लिया गया	१३४७–५०
विचार करने का प्रस्ताव	१३४७––५०
दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] .	१३५०–५३
विचार करने का प्रस्ताव	१३५०––५३
पटसन का मूल्य विधेयक, १९५९ [श्री झूलन सिंह का] .	१३५३–५४
कार्य मंत्रणा समिति––	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१३५४
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५५––६३

अंक १२––सोमवार, ४ दिसम्बर, १९६१/१३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५२९ से ५३१, ५३३ से ५३६ और ५३८ से ५४७	१३६५––८९
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२८, ५३२, ५३७ और ५४८ से ५६७ . .	१३९०––१४००
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८२ से ११९२ . .	१४००––५०
स्थगन प्रस्ताव––	
१. जामा मस्जिद क्षेत्र में बम विस्फोट .	१४५०–५२
२. लन्दन हवाई अड्डे पर भारतीयों को उतरने की अनुमति देने से तथाकथित इन्कार	१४५२

विषय	पृष्ठ
३. चौद्वार में उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स का बन्द होना	१४५२–५३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल आप्रवास विधेयक	१४५३––५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४५५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१४५५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति––	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	१४५५
विधेयक पुरस्थापित––	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१	१४५६
(२) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, १९६१	१४५६
कार्य मंत्रणा समिति––	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४५६
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा	१४५७––८२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२	१४८३––८६
कोयला खान भविष्य निधि योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१४८६––८८
दैनिक संक्षेपिका	१४८९––९६
अंक १३––मंगलवार, ५ दिसम्बर, १९६१/१४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७०, ५७२, ५८८, ५७४ से ५७८, ५९४, ५७९ और ५८०	१४९७––१५२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७३, ५८१ से ५८७, ५८९ से ५९३ और ५९५ से ६१६	१५२३––३८
अतारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १३१७, १३१९ और १३२१ से १३२९	१५३९––९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	
राजहरा और नन्दिनी खानों के दस हजार मजदूरों की कथित छंटनी	१५९७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५९८––१६००
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ के उत्तर में शुद्धि	१६००–०१
सरकारी उपक्रमों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव के संबंध में	१६०१
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६१––पारित	१६०१–०२
चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में चर्चा	१६०२––०९

विषय	पृष्ठ
संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१	१६०९—२३
खंड २, ३ और १	१६२२-२३
पारित करने का प्रस्ताव	१६२३
सभा का कार्य	१६२४
कलिंग एयरलान्इस के बारे में चर्चा	१६२४—२९
दनिक संक्षेपिका	१६३०—३९
अंक १४--बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१/१५ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६१९ से ६२३, ६२३-ख, ६२४, ६२५, ६२५-क, ६२६, ६३० से ६३३ और ६३३-क	१६४१--६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२३-क, ६२७ से ६२९, ६३४, ६३५, ६३५-क, ६३५-ख, ६३६ से ६३८, ६३८-क, ६३९ से ६४१, ६४१-क, ६४१-ख, ६४२, ६४२-क, ६४३ से ६४५, ६४५-क और ६४५-ख	१६६५--७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १४१७, १४१९ से १४२५, १४२५-क से १४२५-य और १४२५-कक से १४२५-णण	१६७६--१७३७
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१७३७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
केरल कृषक संबंध अधिनियम की क्रियान्विति	१७३७-३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७३८-३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
इक्यानवैवां प्रतिवेदन	१७३९
प्राक्कलन समिति--	
एकसौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन	१७४०
लोक लेखा समिति--	
उन्तालीसवां प्रस्नाव	१७४०
अनुपस्थिति की अनुमति	१७४०
सभा का कार्य	१७४०-४१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२	१७४१--४५
नियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६१--पुरस्थापित और पारित	१७४५-४६

विषय	पृष्ठ
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७४६—५०
खंड २ और १ . . .	१७५०
पारित करने का प्रस्ताव	१७५०
विश्वभारती (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	१७५१--६०
खंड २ से १६ और १	१७५९-६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१७६०
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--	
पारित करने का प्रस्ताव	१७६०---६४
खंड २ से ४ और १	६७६३-६४
पारित करने का प्रस्ताव	१७६४
लाख पर निर्यात शुल्क के बारे में	१७५४—६७
दैनिक संक्षेपिका .	१७६८--७७
अंक १५--गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१/१६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४८, ६५१ से ६५८, ६५८-क, ६५९ से ६६२ और ६६५ .	१७७९--१८०२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४९, ६५०, ६६२-क, ६६३, ६६४, ६६६, ६६६-क, ६६७ से ६७२, ६७२-क, ६७२-ख और ६७३	१८०२---०९
अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ से १५६५ और १५६५-क	१८१०—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों को काम में न लाना	१८७०-७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८७२-७३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
कार्यवाही सारांश . .	१८७३
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति --	
कार्यवाही सारांश .	१८७३
याचिका समिति--	
कार्यवाही सारांश	१८७३
राज्य सभा से सन्देश	१८७३

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	१८७४
प्राक्कलन समिति—	
एक-सौ चवालीसवां और एक-सौ छियालीसवां प्रतिवेदन	१८७४
याचिका का उपस्थापन . .	१८७४
तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर में शुद्धि	१८७४
संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन-व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	१८७५–७६
धार्मिक न्यास विधेयक	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाना	१८७६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१८७६—१९०२
सभा का कार्य	१९०२
दनिक संक्षेपिका	१९०३—११
अंक १६—शुक्रवार, ८ दिसम्बर, १९६१/१७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७४, ६७५, ६८१, ७१९, ६७६, ६८०, ६८२, ७८३, ६८५ से ६८६, ६९१ और ६९७	१९१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ६७९, ६८४, ६९२ से ६९६, ६९८ से ७००, ७००-क, ७०१ से ७१८ और ७२० से ७२२ .	१९३८—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १५६६ से १७०३ और १७०५ से १७१५ .	१९५२—२०१४
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पूर्व जर्मनी में भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को चीन का भाग दिखाने वाले नकशों का प्रकाशन . . .	२०१४–१५
(२) दिल्ली पुलिस द्वारा ६५ प्रतिशत अपराध के मामलों के दर्ज न किये जाने की सूचना .	२०१५
(३) दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता और उसके उपनगरों को बिजली का न दिया जाना	२०१५–१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) अगरतला में अग्निकांड से कथित मृत्यु तथा सम्पत्ति की हानि	२०१६
(२) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल	२०१६–१७

पृष्ठ

(३) कोयम्बटूर में इंजीनियरिंग के कारखानों को कोयला संभरण में कमी . . . . २०१७—१८

सूचना का विषय—

सामान्य चुनाव . . . २०१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २०१८—२१

राजखरसवां बड़ाजामदह लाइन को दोहरा करने के बारे में वक्तव्य २०२१

आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश २०२२

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश . २०२२

(२) तेरहवां प्रतिवेदन . २०२२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २०२२

प्राक्कलन समिति—

एक-सौ तैंतालीसवां, एक सौ पैंतालीसवां और एक सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . २०२२—२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में शुद्धि . . २०२३

व्यापार मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होने के लिये जैनेवा यात्रा के बारे में वक्तव्य २०२३

कैनेडा की एक फर्म के द्वारा मोटर के पुर्जों के संभरण सम्बन्धी सचिवों की एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . २०२३

बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव २०२३—३२

सभा का कार्य . . २०३२

लौह अयस्क की खानें श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक २०३३—३५

खंड २ से ८ और १ . २०३५

पारित करने का प्रस्ताव

श्री ल० ना० मिश्र २०३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्यानब्बेवां प्रतिवेदन . . . २०३५—३६

गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . . २०३६—३८

लोक सभा के सदस्यों की वेश भूषा के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . २०३८—४२

विषय	पृष्ठ
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प .	२०४२—५४
ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२०५५—६०
दैनिक संक्षेपिका . .	२०६१—७२
पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही संक्षेप	२०७३—७५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1651(AI)LS—11-1-62—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१

१५ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलिंग ट्यूब लिमिटेड, उड़ीसा

+

†*६१७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्ज कलिंग ट्यूब लिमिटेड, उड़ीसा को पाइप बनाने के लिये जस्ता आवंटित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना जस्ता आवंटित किया गया ;

(क) क्या यह सच है कि इसका दुरुपयोग किया गया है ;

(घ) क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) मेसर्ज कलिंग ट्यूब लिमिटेड, उड़ीसा को जुलाई १९५७—सितम्बर १९६१ की अवधि में १०२३०·९४ टन जस्ता आवंटित किया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). जी हां । कुछ फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन में मेसर्स कलिंग ट्यूब लिमिटिड, कलकत्ता शामिल थी । इन शिकायतों की जांच की गई और आरोप निराधार सिद्ध हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच नहीं है कि इस में से कुछ जस्ता चोरबाजारी में बेचा गया ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मने आरोप का खंडन कर दिया है। हम ने प्रत्येक संभव उपाय से जाँच की और पाया गया कि चोरबाजारी में कोई माल नहीं बेचा गया ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या महा निदेशक के दफ्तर ने कलिंग ट्यूब स पूछा है कि उन्होंने आवंटित जस्ता का किस प्रकार उपयोग किया है और यह कैसे उपयोग में लाया गया है ? यदि हां, तो क्या कलिंग ट्यूब ने ब्यौरा दे दिया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इन सब ब्यौरों का परीक्षण किया जा चुका है । हम वर्षों तक सभी ब्यौरे इकट्ठे नहीं करते रहते । इन सब पहलुओं का, कि उन्होंने कहां इसका उपयोग किया या कहां उत्पादन के लिये उपयोग किया, परीक्षण किया जा चुका है और आरोप सर्वथा निराधार पाये गये ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या माननीय मंत्री को पता है कि कलिंग ट्यूब ने केवल एक हजार टन प्रतिवर्ष जस्ते का उपयोग किया है जब कि उन्होंने प्रतिवर्ष पांच हजार टन के आवंटन की प्रार्थना की थी ? माननीय मंत्री इस से कैसे संतुष्ट हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** दोनों आंकड़े सही नहीं हैं। जिंकिंग ट्यूबों के लिये अपेक्षित जस्ता की मात्रा के आधार पर अनुमान लगाया गया है अर्थात् उन को गालवेनाइज करने के लिये और जितने जस्ते की जरूरत होती है उतना ही जस्ता आवंटित किया जाता है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** यह जस्ता किन देशों से मंगवाया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कनाडा समेत कई देशों से ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या जर्मनी से भी आयात किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जर्मनी से नहीं ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रहि :** कितने जस्ते के आयात के लिये इस फर्म को लाइसेंस दिया गया था और क्या उतना ही माल मंगवाया गया था या अधिक ।

†**श्री मनुभाई शाह :** इन सब बातों का परीक्षण किया जा चुका है । इलैक्ट्रो लाइजिंग या गालवेनाइजिंग जस्ते का आवंटन केवल इसी फर्म को नहीं किया गया। इस देश में बहुत फर्में हैं जिनको हर प्रति छः मास में हम जस्ते का आवंटन करते हैं। ज्योंही हमें शिकायत प्राप्त हुई हम ने इस बात की जांच की। पुलिस ने जांच की और समूची बात निराधार पाई गई ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** जस्ता चोरबाजारी में बेचा गया था। कलकत्ता में पांच फर्में हैं जिनको आयात लाइसेंस दिये गये हैं। इस फर्म को जो आवंटन किया गया था, क्या वह चोर-बाजारी में नहीं बेचा गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री बता चुके हैं कि पुलिस जांच सहित सब प्रकार की जांच की जा चुकी है और आरोप निराधार पाये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम के लिये विकास योजना

+

*६१६. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम के विकास के लिये स्वीकृत द्वितीय विकास योजना की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसकी क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : दूसरी योजना १ अप्रैल, १९६१ से आरम्भ हुई है और तब से लेकर तब तक सिक्किम सरकार को ४५ लाख रु० की रकम योजना पर खर्च करने के लिए दी जा चुकी है । जरूरत पड़ने पर और रकम भी सुलभ कर दी जायेगी । पहली योजना की अवधि में जो काम आरंभ किये गए थे, वे पूरे किए जा रहे हैं । आवश्यक भारतीय तकनीकियों की व्यवस्था करने और योजना के अन्तर्गत तकनीकी और प्रशासनिक कामों के लिए सिक्किम के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में सहायता देने के लिए क़दम उठाए जा रहे हैं । आवश्यक मशीनरी और स्टोर सामग्री आदि की शक्ल में भी सहायता दी जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक मुझे ज्ञात है सन् १९५४ से सन् १९६१ तक जो सप्तवर्षीय योजना बनाई गई थी उसके लिए जितना रुपया रक्खा गया था उससे कहीं अधिक रुपया अगले पांच वर्षों के लिए रक्खा गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या कोई स्पेशल एजेंसी स्थापित की जा रही है या कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : स्पेशल एजेंसी सब बातों को मिला कर ? मेरी समझ में कुछ आया नहीं । हमारे ऐक्सपर्ट्स वगैरह जाते हैं । हमारे ही लोग ज्यादातर स्पेशलाइज्ड कामों को जानते हैं । उनको यह काम दिये जाते हैं और वह उनको करते हैं । उनका सम्बन्ध हमारे जो वहां अफसर हैं सिक्किम में, उनसे भी रहता है और हम से भी रहता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमम्, मेरा मंतव्य यह था कि पहली योजना में जितना रुपया रक्खा गया था जहां तक मुझे मालूम है पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं हो पाया और अब उससे भी बड़ी रकम रक्खी जा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन से खास कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि यह रुपया निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार खर्च हो सके ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पहली योजना के लिये ३.२४ करोड़ तथा दूसरी योजना के लिये ८.१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : योजना मंत्री ने मुझे बताया है कि योजना आयोग ने वहां के लोगों की क्षमता तथा साधनों की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ दल वहां भेजा था और तब कुछ योजनाएं पारित की थीं जो हमने कार्यान्वित की हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का आशय यह है कि क्योंकि पहला आवंटन खर्च नहीं किया गया है, दूसरा आवंटन क्यों किया जाए ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि पहला आवंटन खर्च न किया गया हो । मुझे

---

†मूल अंग्रेजी में

इसका स्मरण नहीं है। फिर भी इसको खर्च करने की क्षमता तथा इस काम को करने के लिये लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये इसका हिसाब लगाया गया है।

†**श्री दी० च० शर्मा** : पूरे किये गये काम का मूल्यांकन किस अभिकरण के द्वारा किया जाता है---क्या उनके अभिकरण के द्वारा या अपने विशेषज्ञों के द्वारा ?

†**श्रम तथा रोजगार और योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : उनके साथ हमारा निकट का संपर्क है। वे यहां आते रहते हैं और हम उनकी योजना के बारे में चर्चा करते रहते हैं और यह भी पता करते रहते हैं कि यथार्थ कार्यान्विति की क्या संभावना है। हमारा दल वहां गया था, उसने सब पहलुओं पर विचार किया और इसकी उचित कार्यान्विति को दृष्टिगत रखते हुए एक योजना बनाई।

ग्रामीण क्षेत्रों का उद्योगीकरण

†*६२०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्योगों को फैलाने और ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये क्या ठोस कदम और प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है; और

(ख) (१) छोटे पैमाने के उद्योगों, और (२) ग्रामोद्योगों के बारे में इस कार्य के लिये इस वर्ष क्या उपबन्ध किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अम्बर खादी, ग्राम उद्योगों, रेशम कीड़े पालन, नारियल जटा और हथकरघा सहित खादी विकास की योजनाएं अधिकतर देहाती क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती हैं। औसतन इन उद्योगों के कुल आवंटन के ५० प्रतिशत से अधिक राशि का देहाती क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि तीसरी योजना अवधि में, छोटे पैमाने के उद्योगों (जिनमें औद्योगिक संपदाएं शामिल हैं) के कुल आवंटन का कम से कम ७५% अर्ध-नगरीय तथा देहाती क्षेत्रों मे खर्च किया जाना चाहिये, जिसमें से दो-तिहाई भाग यथार्थ देहाती क्षेत्रों में खर्च किया जाना चाहिये। देहाती क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र के कार्य का अप्रार विस्तार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, विशेषकर छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड द्वारा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के लिये स्थापित की गई समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने, देहाती क्षेत्रों में उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करने, उनसे संबंधित नीति और योजना की समस्याओं का अध्ययन करने तथा देहाती औद्योगिक विकास से संबंधित समय समय पर उठने वाली बातों पर विचार करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय देहाती उद्योग योजना समिति स्थापित की है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : देहाती उद्योगीकरण के अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिये दूसरी योजना में कितनी राशि खर्च की गई है? मैं विशेष रूप से मशीन द्वारा चालित उद्योगों का उल्लेख कर रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : इतने अधिक व्यापक पहलू हैं और दिये गये प्रोत्साहन के वास्तविक आंकड़े बताना बहुत कठिन है, किन्तु मोटी नीति यह रही है कि छः बोर्डों के व्यय का ५० प्रतिशत तथा ग्राम्य तथा लघु उद्योग बोर्ड के कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली कार्यवाहियों की राशि देहाती क्षेत्रों में खर्च की जानी चाहिये। हाल में, तीसरी योजना के पहिले वर्ष नें हम एक कदम आगे बढ़े ह और कहा है कि ७५ प्रतिशत व्यय देहाती तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों पर किया जाना चाहिये, जिसका दो-तिहाई भाग देहाती क्षेत्रों में खर्च होना चाहिये।

†श्री राम नाथन् चेट्टियार : स्टेट बैंक ने १९५५ में योजना आरंभ करने से लेकर देहाती उद्योगों को कितना ऋण दिया है?

†श्री मनुभाई शाह : स्टेट बैंक की योजना सभी छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये हैं। यह केवल देहाती क्षेत्रों के लिये नहीं, किन्तु यदि छोटे उद्योग देहाती क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं, वह सहायता उपलब्ध होगी।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मा० मंत्री यह समझते हैं कि पंजीकृत उद्योग को नगरीय क्षेत्रों में लगाने के लिये समर्थन प्राप्त है? सरकार उसका खंडन करने के लिये तथा देहाती क्षेत्रों में उद्योगों की वृद्धि करने विशेष रूप से पंजीकृत उद्योगों की, क्या कार्यवाही कर रही है?

†श्री मनुभाई शाह : मा० सदस्य को इस विषय पर सरकार के मत मालूम हैं। हम देहाती क्षेत्रों में छोटे पैमाने के और ग्राम्य उद्योगों की गतिविधि का विस्तार करने के पक्ष में हैं। जो कार्यवाही की गई है मैंने उनका उल्लेख पहले ही कर दिया है। कल ही, एक बैठक थी जिसमें योजना आयोग ने, संबद्ध मंत्रालय की सहमति से एक उच्च स्तरीय देहाती उद्योग योजना समिति स्थापित की है। यह देहाती क्षेत्रों में अधिकाधिक कार्यवाही करने के लिये समन्वय करने वाली समिति होगी।

†श्री तंगामणि : क्या देहाती उद्योग योजना समिति पहले स्थापित की गई थी और यदि हां, तो क्या देहाती उद्योगीकरण की कोई समीक्षा की गई है?

†श्री मनुभाई शाह : समिति की पहली बैठक कल ही हुई थी।

चीनी मजूरी बोर्ड पंचाट

\+

†*६२१. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री गोरे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मजूरी बोर्ड द्वारा दिया गया पंचाट सभी मिलों में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन मिलों की संख्या क्या है जिन्होंने इसको लागू नहीं किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ग). १७० चीनी मिलों में से ६५ ने इसको पूर्णतः और ३९ ने अंशतः लागू किया है।

(ख) कुछ मिलों ने वित्तीय कठिनाई बताई है और बाकी में श्रेणीबद्ध करने और उनको नियमित करने में समय लगा है। तथापि राज्य सरकार इस मामले पर जोर दे रही हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी मिलों ने इसको लागू किया है और क्या यह सच है कि इसको वास्तव में लागू करने में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पर बहुत अधिक जोर नहीं डाला गया है ?

†श्री आबिद अली: बिहार में ३८ मिलों में से ११ ने पंचाट को पूर्णतः और १३ ने अंशतः लागू किया है: और केवल ४ मिलों ने इसको लागू नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में, ७० मिलों में से ४९ ने पूर्णतः और १२ ने अंशतः इसको लागू किया है । नौ मिलों ने इसको लागू नहीं किया है। इस राज्य में एक क्रियान्वयन समिति नियुक्त की गयी है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बिहार की हरिनगर शूगर मिल ने इस एवार्ड पर अमल किया है । अगर नहीं किया है, तो इस बारे में क्या एक्शन लिया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : हरिनगर शूगर मिल में काफ़ी दिक्कतें हैं, जो कि माननीय सदस्य को मालूम होंगी, और इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस पर अमल नहीं किया है। वहां की गवर्नमेंट इस बारे में मुनासिब कार्यवाही कर रही होगी ।

†श्री गोरे : जहां तक महाराष्ट्र में चीनी मिलों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में कोई वित्तीय कठिनाई बता सकता है । यदि ऐसा भी है, तो महाराष्ट्र में कितनी मिलों ने इसको लागू नहीं किया है ?

†श्री आबिद अली: : महाराष्ट्र की स्थिति संतोषजनक नहीं है । २६ मिलों में से केवल एक मिल ने इसको पूर्णतः और ४ ने अंशतः इसको लागू किया है। इस प्रकार २१ मिलों ने इसको लागू नहीं किया है । हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं और इस मामले में जो कुछ भी संभव हो सकता है, कर रहे हैं। यदि कोई लाभदायक सुझाव दिया जाता है , तो यह उनको बता दिया जायेगा ।

†श्री गोरे : क्या सरकार को पता है कि हाल ही में श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन किया और मिल मालिकों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने एक विशेष तिथि तक मजूरी बोर्ड पंचाट को लागू नहीं किया तो वे हड़ताल कर देंगे ।

†श्री आबिद अली : यह सच है कि श्रमिक लोग इसको लागू करने की मांग कर रहे हैं और इस बारे में उन में असन्तोष है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने पंचाट को लागू करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि नहीं, तो सरकार ने पंचाट को लागू करने के बारे में क्या कदम उठाये हैं ? क्या इस बारे में कोई कानून बनाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : कपड़ा मजूरी बोर्ड के बारे में हुए अनुभव के आधार पर, आशा यह है कि थोड़े समय में यह स्वतः पूर्णतः लागू हो जायेगा। हमें यह आशा है यदि इस में अधिक विलम्ब हुआ, तो हमें इस बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि मद्रास में एक प्रमुख मिल, दि अरूरन मिल्स, ने केवल मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को मानने से ही इन्कार नहीं किया है बल्कि वे अन्य श्रमिकों के सवाल पर विचार करने को भी तैयार नहीं है ?

†**श्री आबिद अली** : इस मिल के बारे में ब्योरे का पता नहीं है परन्तु, जैसा माननीय सदस्य को पता है, यह राज्य का मामला है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि वेज बोर्ड का एवार्ड फ़ैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर ही लागू होता है, या वह फ़ैक्ट्री के फ़ार्म पर काम करने वालों पर भी लागू होता है ।

श्री आबिद अली : फ़ार्म इस में शामिल नहीं हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या उन मिलों ने, जिन्होंने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया है अथवा जिन्होंने इन्हें अंशतः लागू किया है, ऐसा न करने के कोई कारण बताये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : उन्होंने केवल वित्तीय कठिनाई की बात कही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हरिनगर शूगर मिल में करीब तीन चार साल से हटाये गए दो तीन सौ वर्कर्ज का मामला चल रहा है । प्रान्तीय सरकार से भी इस विषय में बात चीत हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में इतनी देर क्यों हो रही है ।

श्री आबिद अली : कोई देर नहीं हो रही है । वहां पर वर्कर्ज और कारखाने के मालिकों के दरमियान झगड़ा है । इसके बारे में बहुत कुछ हुआ है, जो कि माननीय सदस्य को मालूम है। हम ने भी इस बारे में काफ़ी कोशिश की कि उस को सुलझाया जाये, लेकिन वह सुलझ नहीं रहा है । कई बीमारियां ऐसी होती हैं, जिन की दवा कभी कभी नहीं होती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : वहां इन्जेक्शन देना चाहिए।

†**श्री गोरे** : क्या श्रम मंत्रालय को यह पता नहीं है कि महाराष्ट्र में कई कारखानों में बहुत लाभ हुआ है ? उदाहरणतः एक कारखाने में ५६ लाख रुपये का लाभ हुआ है । इस के बावजूद भी यदि वे इस बात को टालते हैंरहें तो श्रम मंत्रालय यह क्यों नहीं कहता है कि या तो वे किसी विशेष अवधि के भीतर इसको लागू करें अन्यथा कोई अन्य कदम उठाया जायेगा ? क्या आप केवल उनको नोट्स भेज रहे हैं ?

†**श्री नन्दा** : नोट्स भेजने अथवा विरोध प्रकट करने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं समझता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह उचित है क्योंकि महाराष्ट्र में मिलों को नुकसान नहीं हुआ है। मैं इस मामले में तत्काल ध्यान दूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने बहुत लाभ कमाया है और यदि हां, तो पंचाट को लागू करने के लिये वित्तीय कठिनाई के अलावा और क्या कारण बताये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अधिकांश मिलों ने, जिन्होंने पंचाट को लागू नहीं किया है, वित्तीय कठिनाई बताया है। यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव दे सकते हैं, जो इन सिफारिशों को लागू करन में सहायक हो सकते हैं, तो वे हमें लिखें और हम राज्य सरकारों को इस मामले में शीघ्र कदम उठाने के लिये कहेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे पाटिल साहब मजदूरों के भी मित्र हैं, कृषकों का भी भला चाहने वाले हैं और मिल मालिकों से भी उन की दोस्ती है और वह सरकार में तो हैं ही, तो फिर वह यह झगड़ा क्यों नहीं सुलझाते ।

श्री आबिद अली : हरिनगर शूगर मिल के बारे में माननीय सदस्य से भी गुफ्तगू हुई है । मिल-मालिक मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन मैं उन को पहचानता हूं और . . . .

एक माननीय सदस्य : पाटिल साहब हैं।

श्री आबिद अली : . . . उस पहचान का इस्तेमाल पाटिल साहब ने भी किया है और मैंने भी किया है, लेकिन वहां पर ऐसी जिद्दम-जिद्दा हो गई है कि मामले को सुलझाना मुश्किल हो गया है । जैसा कि मैं ने अभी जिक्र किया है, कभी कभी ऐसे मामलात आ जाते हैं, जिन को सुलझान में दिक्कत होती है और यह उन में से एक है । फिर भी माननीय सदस्य अगर कोई खास सुझाव दें जिस से यह मामला जल्दी सुलझ सकता है तो जरूर हम खिदमत करेंगे ।

†**श्री नाथ पाई** : हम श्रम मंत्री महोदय के आश्वासन से खुश हैं । परन्तु मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करूंगा कि महाराष्ट्र के समाचारपत्रों में इस बात की चर्चा है, जिसका श्री गोरे जिक्र कर चुके हैं, कि इन सिफारिशों को इस लिये लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि विश्वास यह है कि मिल मालिकों से प्रति बोरा शुल्क लिया जाता है, वह सत्ताधारी दल को जाता है और मजूरी बोर्ड की सिफारिशें चुनाव के बाद क्रियान्वित की जायेंगी . .
(अन्तर्बाधा) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । चुनाव को बीच में लाने के लिये माननीय सदस्य ने कोई कसर नहीं उठाई । वे प्रायः सभी मामलों में चुनावों को बीच में ले आते हैं। मुझे इस पर आश्चर्य है । माननीय सदस्य चुनाव के बारे में भला बुरा कहते रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार "क्या यह चुनाव के कारण है" कोई जिक्र नहीं किया जायेगा । इस प्रकार अन्य भी आक्षेप कर सकते हैं। इस प्रकार कोई मतलब हल नहीं होगा । अगर मुझे यह पता होता तो मैं माननीय सदस्य, श्री नाथ पाई का नाम नहीं पुकारता . . . **(अन्तर्बाधा)** यह बिलकुल गलत है . . . . . **(अन्तर्बाधा)** यदि उन्हें मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना है तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा ।

†**श्री त्यागी** : पिछले २० या तीस वर्षों से इस सदन में यह प्रक्रिया है कि जब तक किसी माननीय सदस्य के पास कोई प्रमाण न हो, कोई आक्षेप नहीं किया जाता । विशेषतः समाचारपत्र या किसी अन्य आधार पर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु ऐसे आक्षेप करना असंसदीय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । अगला प्रश्न ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय: मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं कर रहा हूं।

†श्री नाथ पाई : जो कुछ उन्होंने कहा, यह उसका उत्तर है।

†अध्यक्ष महोदय : वह बाहर जाकर झगड़ सकते हैं। अगला प्रश्न।

पुनर्वास मंत्रालय का बन्द होना

†*६२२. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में भारत सरकार को केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के बन्द किये जाने के बाद शेष समस्याओं को निबटाने के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ५० करोड़ रुपये के भुगतान की मांग पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवशिष्ट कार्य का निर्धारण तैयार किया है जिसका व्यय लगभग ५० करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था। इस निर्धारण के बारे में अभी पश्चिम बंगाल से बातचीत हो रही है।

†श्रीमती इला पालचौधरी : इस निर्धारण में पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न मदों के अधीन ५० करोड़ रुपये मांगे हैं। क्या इस राशि में उन शरणार्थियों के ऋण की वापसी भी शामिल है जो उनका भुगतान नहीं कर सकते ?

†श्री पू० शे० नास्कर : इस में उस ऋण की वापसी शामिल नहीं है जो शरणार्थियों को दिया गया है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल सरकार ने जो यह रकम मांगी है, इस में कौनसी अवशिष्ट समस्यायें शामिल हैं ? मैं अवशिष्ट समस्याओं की मुख्य मदें जानना चाहती हूं।

†श्री पू० शे० नास्कर : अवशिष्ट कार्य की मुख्य मदें ये हैं : नगरीय क्षेत्रों में पुनर्वास के लिये ऋण, ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास के लिये ऋण, औद्योगिक योजनायें, शिक्षण योजनायें और चिकित्सा योजनायें।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अनधिकारवासियों की बस्ती के विकास और उस के विनियमन के बारे में समूची अवशिष्ट समस्याओं का क्या होगा ?

†श्री पू० शे० नास्कर : अनधिकारवासियों की बस्तियों और अन्य बस्तियों के विकास कार्य को नगरीय क्षेत्रों में पुनर्वास के लिये ऋण और ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास के लिये ऋण में शामिल किया गया है।

†श्री बांगशी ठाकुर : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह मांग की है कि पश्चिम बंगाल में भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय को पहले की तरह कार्य करने दिया जाये ? यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ? क्या यह भी

†मूल अंग्रेजी में

सच है कि त्रिपुरा ने भी ऐसी ही मांग की है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: दो एक महीन पहले पश्चिम बंगाल विधान-सभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें इस मंत्रालय को चालू रखने की प्रार्थना की गई थी। जैसा मैं पहले संसद में बता चुका हूं, इस मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। परन्तु यदि त्रिपरा में एसी कोई बाकी समस्या रहती है और यदि मंत्रालय चालू रखा जाय और स्पष्टतः वह समस्या भी पुनर्वास मंत्रालय द्वारा सुलझाई जायगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या उन बाकी शाणार्थियों को, जो दण्डकारण्य अथवा अनधिकार-वासी बस्तियों में नहीं जायेंगे, छोटे उद्योगों में रोजगार दिलाने की कोई विशिष्ठ योजना है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि माननीय सदस्या शिविरों में रहने वाले उन विस्थापित व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें दण्डकारण्य जाने को कहा गया है और जो नहीं गये हैं, तो वे स्वयं अपना प्रबन्ध करेंगे। हम इस मामले में और कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। उनके पनर्वास के लिये दण्डकारण्य के दरवाजे खले हैं। यदि वे वहां जाने से इन्कार करते हैं, तो मैं पश्चिम बंगाल में उनके लिये कुछ नहीं कर सकता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या दण्डकारण्य में उन शरणार्थियों को जाने दिया जायेगा जो सियालदह में सड़कों पर पड़े हुये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे सियालदह के अनधिकारवासियों से बड़ी सहानुभूति है। हमें उन्हें, एक, दो, और तीन बार हटा चुके हैं। परन्तु यह गम्भीर समस्या बन गई है। अभी तक यह पता नहीं चला है कि ये विस्थापित व्यक्ति हैं अथवा स्थानीय व्यक्ति। यदि वहां कोई विस्थापित व्यक्ति हैं जो कृषक हैं और जिन्हें पश्चिम बंगाल में अथवा पूर्वी क्षेत्र में किसी अन्य स्थान में कोई पुनर्वास सहायता नहीं मिली है, तो मैं निश्चय ही उनके मामले पर विचार करूंगा। परन्तु मैं उनको कई बार पुनर्वास की सहायता नहीं देना चाहता।

चीनी मिल की मशीनें

+

†*६२३. { **श्री रा० चं० माझी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में चिनी मिल की मशीनों का उत्पादन उसके लक्ष्य से बढ़ गया है ;

(ख) क्या वर्तमान उत्पादन से देश की समस्त आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी ;

(ग) क्या देश के अधिक उत्पादन को देखतें हुय चीनी मिल मशीनों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन मशीनों के लिये बाजार ढूंढ़ लिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). चीनी मशीनों का दश में उत्पादन संतोष-जनक रूप से हो रहा है। पूरे संयंत्र समेत चीनी मशीनों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया जा

---

†मूल अंग्रेजी में

रहा है। वर्ष १९६०–६१ में भारत से ७ लाख रुपये के मूल्य की मशीनों का निर्यात किया गया। चालू वर्ष में इसमें काफी वृद्धि होने की आशा है।

†श्री रा० चं० मांझी : यह चीनी की मिलों की मशीनें किस देश को निर्यात की जाती हैं?

†श्री मनुभाई शाह : अभी हमने रूमानिया को निर्यात किया है। परन्तु इसके बर्मा, श्रीलंका और अर्जेनटाइना समेत लेटिन अमरीकी दशों को भेजने का बड़ा क्षेत्र है।

†श्री म० ला० द्विवेदी : शुगर मिल्ज़ के लिये मशीनरी और प्लांट्स बनाने के लिये कितनी जगह कारखाने खोले गये हैं? क्या उनकी संख्या एक है या दो है और इस काम में किस किस देश से हमें कोलोबोरेशन प्राप्त हुआ है?

†श्री मनुभाई शाह : एक दो नहीं २४ हैं। उनमें से सात बहुत बड़े पैमाने के कारखाने हैं और १७ मध्यम श्रेणी के हैं। जहां तक कोलोबोरेशन का सम्बन्ध है, वह चैकोस्लोवाकिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, अमरीका से और स्वीडन से प्राप्त हुआ है।

†श्री तिरूमल राव : क्या यह सारी मशीन भारत में बनाई जाती हैं या यह उद्योग अभी भी विदशी मशीनों पर निर्भर करता है?

†श्री मनुभाई शाह : ८४,००,००० रुपये के संयंत्र में ६८,००,००० रुपये के मूल्य की मशीनें देश में निर्यात की जाती हैं और प्रति संयंत्र १६ लाख रुपये के मूल्य की मशीनों का आयात किया जाता है।

†श्री विश्वनाथ राय : क्या भारत में निर्मित चीनी मशीनों के विभिन्न भागों के निर्माण में भारत आत्म निर्भर है?

†अध्यक्ष महोदय : अभी यह प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

†श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न के भाग (क) के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि लक्ष्य क्या था और कितना उत्पादन किया गया है?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा माननीय सदस्य को पता है मशीन निर्माण उद्योग का पिछले तीन वर्षों में विकास हुआ है। अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। परन्तु तृतीय योजना में यह लक्ष्य ५०० से ६०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का है।

†श्री तिरूमल राव : क्या ये सब नये संयंत्र संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं अथवा उनमें कोई पिछड़ा हुआ संयंत्र भी है जो आशातीत स्तर पर नहीं है?

†श्री मनुभाई शाह : क्या इस बात में कोई संदेह है कि भारत सर्वोत्तम मशीनें नहीं बना सकता?

†श्री तिरूमल राव : मेरा प्रश्न बड़ा आसान है। इसके अधीन जो कारखाने स्थापित किये गये हैं उनमें अकुशल कारखानों की क्या प्रतिशतता है?

†श्री मनुभाई शाह : ऐसी एक भी नहीं है। वास्तव में छः सहकारी चीनी कारखानों म इस वर्ष उत्पादन आरम्भ हुआ है और वे सभी ठीक तरह से काम कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्योंकि चीनी मशीनों के निर्माण की क्षमता इन मशीनों की स्थानीय आवश्यकता से कई गुना अधिक है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये संयंत्र भारत से मशीनों के निर्यात को ध्यान में रख कर स्थापित किये जाते हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : मैंने भी वही बात कही है। परन्तु हम उत्पादन में परिवर्तन कर रहे हैं। चीनी मशीन निर्माता केवल चीनी मिलों की मशीनों और उनके पुर्ज़ों का ही उत्पादन नहीं करेंगे परन्तु वे सीमेंट, कागज और अन्य वस्तुओं की मशीनें भी बनायेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री हैमरशोल्ड की मृत्यु

+

†*६२३-ख. { **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रमेश प्रसाद सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस विमान दुर्घटना के कारण श्री डाग हैमरशोल्ड की दुखद मृत्यु हुई उस के बारे में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ख) भारत सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में यदि कोई दिलचस्पी ली है तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). रोडेशिया और न्यासालैण्ड की सरकारों द्वारा स्थापित किये गये जांच बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि संयक्त राष्ट्र महासचिव, स्वर्गीय श्री डाग हैमरशोल्ड और उनके दल को ले जाने वाला विमान अन्दौला से ९ मील दूर टूटा और विस्फोट से क्षतिगृस्त हुआ । परन्तु दुर्घटना का कोई निश्चित कारण नहीं निर्धारित किया जा सका । इस जांच में भारत सरकार का कोई सहयोग नहीं था ।

संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने २६-१०-१९६१ को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें विमान दुर्घटना की एक अन्तर्राष्ट्रीय जांच करने को कहा गया। इस प्रस्ताव की भारत ने भी मांग की थी ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या मैं प्रधान मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि उस विमान की उड़ान के बारे में, जिसमें स्वर्गीय महा-सचिव को यात्रा करनी थी, जानकारी कांगो की राजधानी से किसी संयुक्त राष्ट्र अधिकारी द्वारा कटंगा भेजी गयी थी ; यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)**: मैं कैसे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं? मुझे कोई जानकारी नहीं है । मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता—'क्या किसी ने कटंगा अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी' ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उठीं—

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । क्या हम इस मामले की जांच कर रहे हैं ? जब एक जांच समिति नियुक्त की गई है, जब हमारे प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने कुछ जांच करने वाले नियुक्त किये

†मूल अंग्रेज़ी में

हैं और वे कारण का पता नहीं लगा सके हैं, क्या हम अब उसके ब्यौरे पर चर्चा करेंगे ? मेरा मतलब है कि क्या यहां पर कोई अच्छी जांच समिति है ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न यह है कि जांच समिति किस प्रवुम पर पहुंची है। जो रिपोर्ट दी गई है वह रोडशिया और न्यासालैंड द्वारा स्थापित की गई समिति की रिपोर्ट है। परन्तु संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय जांच होनी है। हम यह जानना चाहते हैं कि इसका क्या परिणाम निकला, क्या वह समिति बना दी गई है अथवा वह बनाई जा रही है या इसमें कोई कठिनाई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): केवल रोडेशिया में ही नहीं परन्तु अनेकों ने समितियां नियुक्त की हैं। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ ने, एक प्रस्ताव के अधीन, एक समिति नियुक्ति की जिसके सभापति बर्मा के एक जज हैं और इनमें तीन अन्य दशों के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र में वाद-विवाद किया जायगा।

†श्री तंगामणि : इस रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र में विचार किया जायेगा या यह उठा कर रख दी जायेगी और विचार नहीं किया जायेगा जैसा कि श्री लुमुम्बा की हत्या के बारे में हुआ था ?

†अध्यक्ष महोदय : इसका क्या मतलब है ? मंत्री महोदय बता चुके हैं कि इस पर विचार होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह निश्चय ही माननीय सदस्य की इच्छा नोट करेंगे कि इस पर विचार किया जाय।

†श्री तंगामणि : इस पर कब विचार किया जायेगा ?

†श्री त० ब० विट्ठल राव : हमें प्रतिक्रिया का पता लग जाना चाहिये।

†अध्यक्ष महोदय : इस पर कब विचार होन की संभावना है ?

†श्री कृष्णमेनन : सामान्य राय यह है कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। इस पर तत्काल ही विचार न किये जाने का यह कारण है कि सुरक्षा परिषद् में कांगो के मामले पर विचार किया जा रहा था और सम्बन्धित प्रतिनिधिमण्डलों ने यह सोचा कि कांगो की स्थिति के कारण इस पर कुछ बाद में विचार करना अच्छा होगा। रिपोर्ट पर विचार किया जाना है। यदि अधिकांश ने विचार किये जाने की बात अस्वीकार नहीं की तो इस पर विचार किया जायेगा। हम महा-सभा के निर्णय पर नियंत्रण नहीं कर सकते पर हमारा प्रतिनिधिमण्डल रिपोर्ट पर विचार किये जाने की मांग का समर्थन करेगा।

पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

*६२४. श्री हेम राज : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों की उन्नति के लिये केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में विशेष अनुदान के लिये कितनी रकम निश्चित की है ; और

(ग) १९६१-६२ में केन्द्रीय सरकार कितनी धनराशि पंजाब सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों की उन्नति के लिये दे रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख) राज्य की तीसरी योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष लाभ की विकास योजनाओं के लिये साढ़े बाइस करोड़ रुपये की व्यवस्था है। तीस ी योजना बनने के बाद से अब तक राज्य सरकार ने किसी विशेष अनुदान के लिये नहीं लिखा है ।

(ग) राज्य की सालाना योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने १६.५ करोड़ रुपये की सहायता देने की व्यवस्था की है इस सालाना योजना में से ३.१ करोड़ रुपये पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये है ।

श्री हेम राज : जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हैं उन की स्थिति भी वैसी ही है जैसी कि हिमाचल प्रदेश की है। ऐसी सूरत में मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इन पहाड़ी क्षेत्रों को डेवेलप करने के लिये पंजाब सरकार को भी उतना ही रुपया देगी जितना कि वह हिमाचल प्रदेश मे खर्च कर रही है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : दोनों पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि पंजाब में और क्षेत्रों के लिये जो काम रक्खे गये हैं उन से पहाड़ी क्षेत्रों को भी सहायता मिलती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का तो करीब करीब सारा ही इलाका पहाड़ी क्षेत्र है इसलिये किसी अन्य क्षेत्र के कार्यक्रम से उस में सहायता जाने की ज्यादा सूरत नहीं है ।

श्री हेम राज : जहां तक कम्यूनिकेशन का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं इसलिये अगर एक क्षेत्र में स कें बनाई जाती हैं और दूसरे में पैसे की कमी की वजह से नहीं बनाई जातीं, तो क्या उन क्षेत्रों को मिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को कुछ पैसा देगी ?

श्री श्या० नं० मिश्र : यह सवाल अभी हम लोगों के पास नहीं आया और इस की विशेष जानकारी भी मुझे नहीं है कि यातायात के लिये वहां क्या सूरत होनी चाहिय । लेकिन अगर इस की व्यवस्था करनी जरूरी समझा गया तो फिर हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री अ० मु० अतारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुकूमत के पेशे नज़र कोई ऐसी स्कीम है कि जो पहाड़ी रियासतें हैं और उन का जो सिलसिला है, जैसेकि कश्मीर कांगड़ा का, जिस के लिये पहले मोगल रोड के नाम से सड़क थी, उस को अज़ सरे नौ चालू किया जाय और रियासतों को मिला दिया जाये ।

श्री श्या० नं० मिश्र : ज्यादा मुनासिब होगा कि इस सवाल को मिनिस्ट्री आफ ट्रांस्पोर्ट एंड कम्यूनिकेशन्स से पूछा जाये । अगर माननीय सदस्य इस के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो मैं भी उस का पता लगा कर उन को दे सकता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्लेनिंग कमिशन की कोई ऐसी टीम्स हैं, जोकि देश भर में घूमती रहती हैं डेवेलपमेंट कार्यों का पता लगाने के लिये और प्लेनिंग कमिशन के नये कार्यों का पता लगाने के लिये। और क्या लाहोल स्पीती या दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोई टीम भेजने की संभावना है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : उस क्षेत्र के विकास के लिये क्या माननीय सदस्य कोई खास टीम भेजने के सुझाव रखते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां ।

श्री श्या० नं० मिश्र : ऐसी बात पेशे नज़र नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह जो योजना है वह सिर्फ पंजाब के हिल एरियाज़ के लिये ही लागू की गई है या जो दूसरी हिल एरियाज़ हैं उन पर भी लागू होगी ?

श्री श्या० नं० मिश्र : उत्तर प्रदेश के सीमान्वर्ती क्षेत्रों के लिये तो हमारी विशेष योजना है और उस पर हम बहुत ध्यान दे कर कार्रवाई भी कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हिमालय के जितने पर्वतीय प्रदेश हैं उन में से सब से अधिक अनुदान इस समय हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, उस के बाद कांगड़ा को मिल रहा है, उस के बाद उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को मिल रहा है, लेकिन उन में से भी गढ़वाल जिले को बहुत कम मिल रहा है । तो क्या इस असमानता को दूर करने के लिये कोई अध्ययन किया जा रहा है या उस को दूर करने की कोई तरकीब निकाली जा रही है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : अगर माननीय सदस्य असमानता की बारीकियों में जाते हैं तो साथ साथ उन के कारणों में भी उन को जाना पड़ेगा जिन की वजह से थोड़ी बहुत असमानता हो सकती है । लेकिन जहां तक हम लोगों का खयाल है खास तौर पर कोई असमानता नहीं है । अगर है भी तो हम लोग उस को दूर करने की विशेष कोशिश करते हैं, और अगर कोई नामुनासिब ढंग की असमानता होती है तो हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि इस असमानता की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन में बहुत डिस्सैटिसफैक्शन पैदा हो गया है, और अगर डिस्सैटिसफैक्शन है तो क्या केन्द्रीय सरकार उस में न्याय करेगी ?

श्री श्या० नं० मिश्र : इस की कोई विशेष सूचना हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं उस से कुछ आभास मिलता है कि हो सकता है असन्तोष हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दी० चं० शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पंजाब में कुछ जिले हैं जो . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने अगला प्रश्न पुकारा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय सर्वेक्षण कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार

†*६२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान द्वारा भारतीय सर्वेक्षण कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जैसाकि २८ सितम्बर, १९६१ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यदि कोई उत्तर आया है तो वह क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) पाकिस्तान सरकार से उत्तर प्रतीक्षित है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या कोई विरोध प्रकट किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, हां ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उत्तर प्रतीक्षित है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सर्वेक्षण दल के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया और क्या कोई क्षतिपूर्ति आदि मांगी गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वे ४ जून को गिरफ्तार किये गये थे । उन को २० जून को एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया । उन पर कोई आरोप नहीं था । उन को १७ जुलाई को छोड़ दिया गया । उन को सभी प्रकार की कठिनाईयां हुईं और उन के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया । फिर उन को छोड़ दिया गया ।

केरल में छोटे कारखाने

\+

†*६२५-क. { **डा० राम० सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र की छोटी इकाइयों को गैर-सरकारी उद्योग को देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग की पूर्व स्वीकृति ले ली गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जी, नहीं । परन्तु कुछ छोटी योजनाओं को, जो मुख्य आधार पर 'वाणिज्यिक' योजनाओं के रूप में अथवा "उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण" योजनाओं के रूप में चालू की गई हैं और जिन की उपयोगिता और प्रशिक्षण की अवधि पूरी हो गई है, या तो सहकारी समितियों में बदला जा रहा है या गैर-सरकारी पक्षों को बेचा जा रहा है । यह पूर्णतः सम्बन्धित राज्य सरकार पर निर्भर है और केन्द्रीय सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री वे० ईयाचरण** : कौन से छोटे एकक सहकारी एकक बनाये जा रहे हैं और गैर-सरकारी पक्षों को बेचे जा रहे हैं ? .

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : मैं ने भी वही बात कही है। प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस को गैर-सरकारी पक्षों को और सहकारी समितियों को हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति है।

†श्री वे० ईयाचरण : वे कौन से औद्योगिक एकक हैं जिन का सहकारी समितियों में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक हमें केरल राज्य से पता चला है, कुछ छोटी प्रमुख सांयकल एककों को बदलने का प्रस्ताव है।

केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड

*६२६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) की व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक जमा धन राशि कितनी है ; और

(ग) इसके विनियोजन (इन्वस्टमेंट) के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) ३० सितम्बर, १९६१ तक १६,५४६ रुपये।

(ग) फिलहाल मासिक चन्दा डाक बचत बैंक में जमा किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय योजना बचत में लाने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि वर्कर्स की एजूकेशन की जो योजना बनायी गयी है वह श्रम मंत्रालय ने बनायी है या शिक्षा मंत्रालय की सलाह से बनायी गयी, और इससे वर्कर्स को क्या लाभ है ?

श्री आबिद अली : इसको श्रम मंत्रालय ने बनाया है और इससे वर्कर्स को बहुत लाभ है। पहले तो हम कुछ ऐसे लोग भरती करते हैं जिन्हें सिखाया जाए कि वह क्या सिखाएं, और उसके बाद ऐसे लोग लिये जाते हैं कि जो कामगरों में हों और उन्हें सिखाया जाता है कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन क्या है, उसके बारे में कौन कौन से कायदे पास हुए हैं और उन पर किस तरीके से अमल किया जाए। वर्कर्स को बताया जाता है कि उनके हक और उनके कर्तव्य क्या हैं, ये दोनों बातें उनको बतायी जाती हैं। अभी तक सत्रह हजार को सिखाया जा चुका है और आठ हजार को सिखाया जा रहा है और कोशिश है कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद इसमें शामिल की जाए।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो शिक्षा दी जा रही है, इस सम्बन्ध में जो बैंक में रुपया जमा है उसमें सरकार कितना रुपया लगाएगी ?

श्री आबिद अली : सब सरकार का ही है।

श्री म० ला० द्विवेदी : १६ हजार रुपया तो .....

श्री आबिद अली : आधा आधा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** भविष्य निधि योजना के अनुसार यह रकम राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों अथवा सरकारी प्रत्याभूतियों में विनियोजित होनी है । तो इस मामले में डाक बचत लेखे क्यों खोले गये हैं ?

†**श्री आबिद अली :** क्योंकि आरम्भिक दशा में प्रभारी अधिकारी ने यह समझा कि ऐसा करना ठीक होगा और इसलिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का परामर्श नहीं लिया गया था । बाद में यह मालूम हुआ कि इस बचत लेखे से अधिक लाभ नहीं मिलेगा इसलिए इसको और अधिक लाभदायक लेखे में हस्तांतरित किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को लाभ हो सके ।

हौजरी उद्योग

+

†*६३०. { **श्री कोडियान :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हौज़री उद्योग को आधुनिक ढंग का बनाने के लिए क्या कार्रवाई की है ;

(ख) विदेशों को भारतीय ऊनी वस्त्र उद्योग के माल का निर्यात करने के लिये नये बाजार ढूंढने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

ऊन उद्योग के पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण के कार्यकारी दल ने ऊनी वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रश्न की जांच की थी । कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद निर्यात पर मशीनों के आयात को उदार बना दिया गया था और इससे उद्योग के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सहायता मिलनी चाहिए । तीन वर्ष की अवधि के लिए मशीनों के आयात के लिए व्यवस्था की सुविधा करे । हौज़री उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए कोई अलग से कार्यवाही नहीं की गई है ।

इस समय लागू ऊनी वस्त्रों के लिए विशेष निर्यात संवर्द्धन योजना के द्वारा निर्यात की रक़म पर कच्चे माल, पुर्जे, मशीनें तथा रंग और रसायनों के आयात की व्यवस्था है । परन्तु पिछले कुछ वर्षों में ऊनी वस्तुओं के निर्यात में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई है ।

†**श्री कोडियान :** ऊनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कार्यवाहियां की गई हैं और विवरण में उनको बता दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह क्या जानना चाहते हैं ?

†**श्री कोडियान :** परन्तु इसके साथ साथ विवरण में यह भी बताया गया है कि ऊनी वस्तुओं के निर्यात में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है । मैं ऊनी वस्तुओं के निर्यात के बारे में इस स्थिरता के कारण जानना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जो भी कार्यवाही की गयी है वह निर्यात बढ़ाने के लिये ही की गई है। क्योंकि सभा को जानकारी है कि अशोधित ऊन विदेशों से आती है और इसलिए निर्मित ऊनी वस्त्रों को बाहर भेजना बड़ा कठिन है। अशोधित रुई का निर्यात धीरे धीरे बढ़ रहा है।

†**श्री कोडियान :** कार्यकारी दल की सिफारिश के अनुसार आधुनिकीकरण योजना पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग २६ करोड़ रुपया।

अनिवार्य निर्यात

†*६३१. { **श्री कोडियान :**
श्री महन्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री वारियार :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनिवार्य निर्यात जारी करने के बारे में सरकार के हाल के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** मामले पर सरकार विचार कर रही है।

†**श्री कोडियान :** यह बहुत दिनों से लम्बित है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि निर्णय लेने में कितना समय लग जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** कुछ शुरुआत की जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले सभा ने चोनी निर्यात अधिनियम पारित कर दिया है। साइकिलों, पेंचों आदि के निर्यात की निजी योजनायें लागू हैं। सामान्य विधान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह एक उलझन वाला मामला है और इसलिए समय लगेगा।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या सरकार का ध्यान एसोशियेटेड चेम्बर्स आफ अकामर्स द्वारा पारित इस संकल्प की ओर दिलाया गया है कि निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर स्थानीय तथा केन्द्रीय शुल्क नहीं लगेगा। इस संकल्प के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह एकदम दूसरा प्रश्न है। इन मामलों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार का शुल्क लगता है। प्रत्येक मामले पर अलग से विचार किया जाता है।

†**श्री हेडा :** निर्यात को उत्साहन देने की योजना लागू है। अनिवार्य निर्यात तथा प्रोत्साहन योजना में क्या अन्तर है।

†**श्री सतीश चन्द्र :** अनिवार्य निर्यात अभी आरम्भिक दशा में है तथा विचाराधीन है। कठिनाई इस कारण उत्पन्न होती है क्योंकि देश में ही इन वस्तुओं के लिये अच्छा बाजार है और निर्माताओं को भारत में ही अपनी वस्तुएं बेचने पर अपना लाभ मिल जाता है। इसलिये वह विदेशी

†मूल अंग्रेजी में

बाजार खोजने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। इसलिए जब उद्योग स्वयं निर्यात करने को उत्सुक नहीं तो कुछ जबरदस्ती करना आवश्यक हो जाता है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी चीजों को अनिवार्य रूप से बाहर भेजने की बात सरकार सोच रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : कारखानों में बनने वाली सभी चीजें का सवाल है। अभी तक ज्यादातर एक्सपोर्ट कच्चे माल या कृषि पदार्थों का है। अब सवाल यह है कि जो चीजें कारखानों और मशीनों में बनती हैं और जिनके लिये बाहर से रा मैटीरियल मंगाया जाता है उनका एक्सपोर्ट लाजमी किया जाये ताकि वे अपने रा मैटीरियल पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा उपार्जन कर सकें।

†श्री स० चं० सामन्त : यदि स्वयं निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो क्या सरकार अनिवार्य निर्यात लागू करने से पहले इनको और प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : जितना संभव होता है उतना प्रोत्साहन दिया जाता है। मैंने बताया देश में ही वस्तुओं को बेचने पर अधिक लाभ मिल जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, अन्य देशों से भी प्रतिस्पर्धा करनी होती है। क्योंकि भारत में ही बिक्री से अधिक आय हो सकती है इसलिए व्यापारियों को निर्यात में कोई दिलचस्पी ही नहीं है।

†श्री मो० ब० ठाकुर : इस अनिवार्य निर्यात योजना के अधीन निर्माता कितने आगे बढ़े हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : अनिवार्य निर्यात की योजनायें अभी लागू नहीं हुई हैं। केवल चीनी का निर्यात करने के लिए निर्माता आगे बढ़े हैं।

†श्रीमती इला पालचौधरी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि निर्यात के लिए प्रोत्साहन किया जायेगा जिससे वस्तु अथवा सामग्री के मामले में हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पायें। क्या चाय को शुल्क से छूट दी जायगी जिससे विदेशों में इसकी बिक्री बढ़ सके।

†श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि चाय का निर्यात पिछले वर्ष से इस वर्ष बढ़ गया है।

†श्रीमती इला पालचौधरी : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं जानना चाहती हूं कि क्या कुछ छूट शुल्कों में दी जायेगी।

†श्री सतीश चन्द्र : इस समय छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपका निर्यात बढ़ रहा है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार अनिवार्य रूप से जो निर्यात करेगी उसमें पब्लिक सैक्टर का क्या खयाल है और प्राइवेट सेक्टर का क्या खयाल है और दोनों सेक्टरसे कौन कौन-सा सामान भेजगी ?

श्री सतीश चन्द्र : जब यह सवाल उठेगा कि क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होनी चाहिएं उस वक्त सोचा जायेगा। अगर किसी खास उद्योग की बनी चीजों के लिये प्राइवेट इन्डस्ट्री को मजबूर किया जायेगा तो उस प्रकार को पबलिक सेक्टर इन्डस्ट्री को भी निर्यात करने की मजबूरी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये ट्रांसमीटरों की स्थापना

+

†*६३२. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने नये ट्रांसमीटर स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री अ० चं० मणि):** (क) काम अभी पूरा नहीं हुआ है परन्तु काम हो रहा है ।

(ख) इस योजना पर ३१ अक्टूबर, १९६१ तक लगभग ३१.६८ लाख रुपये व्यय हुए हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** कितने प्रतिशत काम समाप्त हो गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** इसकी प्रतिशतता के आधार पर गणना नहीं की जा सकती है । ५६ परियोजनायें हैं । लगभग सभी चल रही है । इसी कारण प्रतिशतता बताना कठिन है । भूमि अर्जन के कारण विभिन्न कामों के आरम्भ करने में विलम्ब हो रहा है । परन्तु लगभग सभी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** यह परियोजनायें कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

†**डा० केसकर :** हमें आशा है कि फरवरी अथवा मार्च १९६२ में कुछ परियोजनायें पूरी हो जायेंगी परन्तु सभी परियोजनायें १९६२ के दौरान पूरी हो जायेंगी ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि यह जो नये ट्रान्समिटर्स के लगाने की तजवीज होती है उसे कौन बनाता है और उसके बनाने का क्या आधार है ? क्या उसके लिए कोई समिति भी नियुक्त की गई है ?

डा० केसकर : यह एक टेक्निकल सवाल है । ट्रान्समिटर्स ऐसी जगह लगाये जाते हैं और ऐसी शक्ति के लगाये जाते हैं जो हमारे रेडियो कवरेज को बढ़ाने के लिए काफी होते हैं । उसके लिए कोई नौन टेकिनकल कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या मख्य स्टेशनों के लिए अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाये जा रहे हैं जिससे विदेशों तथा भारत में दूर दूर के स्थानों पर उनको सुना जा सके क्योंकि इस समय कलकत्ता अथवा बम्बई से मद्रास अथवा मद्रास को कलकत्ता अथवा बम्बई में सुनना बड़ा कठिन होता है ।

†**डा० केसकर :** यह बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है । मैं कई बार सभा में बता चुका हूं कि सारे देश में किसी भी स्टेशन को नहीं सुना जा सकता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं बड़े स्टेशनों के बारे में जानना चाहती हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : बड़े स्टेशनों पर शक्तिशाली स्टेशन होंगे ।

†**डा० केसकर** : उदाहरणतः बहुत से सदस्य चाहते हैं कि दिल्ली में मद्रास तथा कलकत्ता में बम्बई स्पष्टतः सुना जाना चाहिए ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : तथा मद्रास में कलकत्ता भी ।

†**डा० केसकर** : ऐसा सभव नहीं है । भारत बड़ा लम्बा चौड़ा देश है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : बी० बी० सी० को स्पष्टत : सुना जा सकता है ।

†**डा० केसकर** : मेरा निवेदन है कि सभी केन्द्रों में संभव नहीं है ......

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कम से कम चार बड़े केन्द्रों में ।

†**डा० केसकर** : कि ऐसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाये जा सके जिनको सारे देश में सुना जा सके । पर्याप्त धन तथा टैक्निकल कर्मचारी होने पर संभवतया बाद में ऐसा करना संभव हो सके । इस समय इसमें धन अधिक लगने के कारण ऐसा करना संभव नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न केवल भारत के चार मुख्य केन्द्रों के बारे में है ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या माननीय सदस्य समझते हैं कि निकट भविष्य में ऐसा करना संभव नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बच्चे लंका ही अधिक मिलाते हैं ।

†**डा० केसकर** : जब हमारे पास धन तथा यंत्र होंगे तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे परन्तु इस समय ऐसा करना संभव नहीं है ।

†**श्री त्यागी**: जब हमारे देश में घाटे की अर्थ-व्यवस्था है और हम ऋण के भार से दबे हैं तो क्या इतने ट्रांसमीटर लगाना उचित है ? यह ट्रांसमीटर क्या ऐसे स्थानों पर लगाये जा रहे है जहां पर इस समय ट्रांसमीटर नहीं है अथवा जहां पर स्टेशन सुने नहीं जाते हैं अथवा जहां पर तरंगें नहीं पहुंचती है ? इन ट्रांसमीटरों योजनाओं अथवा परियोजनाओं की आवश्यकता क्या है ?

†**डा० केसकर** : देश के अधिकांश भाग में रेडियो ट्रांसमीशन नहीं हैं । इसलिए हमारा उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक भाग के ट्रांसमीशन लगाये जायें । जिसे स्थानीय रूप से लोग बंगाल में बंगाली, हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में हिन्दी सुनी जा सके ।

†**श्री त्यागी** : यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ । मैंने बम्बई में, कलकत्ते में तथा मद्रास में दिल्ली को सुना । मैं नहीं जानता कि अन्य स्थानों पर तरंगे पहुंचती हैं अथवा नहीं । यदि वह इतने दूर तक जा सकती है तो अन्य स्थानों पर भी जा सकती हैं ।

†**डा० केसकर** : उदाहरणतः मध्य प्रदेश का वासी दिल्ली को सुनना नहीं चाहेगा वह भोपाल को सुनना चाहेगा । हमारा यही प्रयत्न है कि वह भोपाल सुने ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : इन परियोजनाओं पर कितनी रकम व्यय होगी । हमारा धन आवश्यक वस्तुओं पर व्यय होना चाहिए । क्या यह ट्रांसमीटर बहुत आवश्यक हैं ।

†डा० केसकरः यह अत्यावश्यक हैं क्योंकि हमारा देश इटरनेशनल फ्रीक्वेंसी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से रजिस्टर्ड हो गया है । यदि हम इन फ्रीक्वैंसीज को इस समय नहीं लेंगे तो संभव है कि वह फिर कभी भी हमें नहीं मिलें ।

अल्प-संख्यक कार्य विभाग की समाप्ति

+

†*६३३. श्रीमती मैमूना सुलतानः
श्री दी० चं० शर्माः
श्री प्र० गं० देवः

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यक-कार्य विभाग समाप्त करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान विदेश कार्यालय के एक प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में यह वक्तव्य दिया था कि भारत सरकार की यह कार्यवाही अनावश्यक तथा नेहरू लियाकत संधि की शर्तों के विरुद्ध है ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने अपना अल्पसंख्यक-कार्य विभाग बंद कर दिया है जो नेहरू-लियाकत संधि की शर्तों के विरुद्ध था ; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या राय है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) अल्पसंख्यक कार्य विभाग बन्द कर दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथ्य यह है कि मार्च १९६१ में वैदेशिक-कार्य तथा राष्ट्रमंडल सम्पर्क मंत्रालय, पाकिस्तान सरकार, ढाका की शाखा से पत्र मिला था कि पाकिस्तान सरकार ने अपना अल्प-संख्यक कार्य विभाग बन्द करने का निर्णय कर लिया है तथा इससे संबंधित सभी पत्र-व्यवहार सामान्य राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा होना चाहिए । पाकिस्तान सरकार ने यह इकतरफा निर्णय ले लिया था । तथा नेहरू-लियाकत करार की शर्तों का उल्लंघन किया था । इसके बाद मजबूरन हमें अल्प-संख्यक कार्यालय कलकत्ता बन्द करना पड़ा ।

†श्रीमती ममूना सुलतानः क्या यह सच है कि काश्मीर में पाक-अधिकृत क्षेत्र से बड़ी संख्या में शरणार्थी हमारी ओर आगये हैं और यदि हां, तो इन शरणार्थियों की संख्या क्या है तथा सरकार इनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के कर्त्तव्य नहीं जानते हैं । उनके कर्त्तव्य केवल पूर्वी क्षेत्र से संबंधित हैं तथा वह समस्त भारत के लिए नहीं हैं । अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री का विभाग १९५० में नेहरू-लियाकत करार के परिणामस्वरूप बनाया गया था और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के लिए था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेरूबाड़ी

†*६३३क. { **श्री स० मो० बनर्जी:**
क श्री सुबिमन घोष:
श्री प्र० गं० देव:
श्री न० रा० मुनिस्वामी: }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को दिया जाने वाला बरूबाड़ी का भाग निश्चित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र कितने वर्गमील का है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है; और

(घ) इस पर अन्तिम निर्णय करने के लिये दोनों देशों के अधिकारियों के कब तथा कहां पर मिलने की आशा है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) जी नहीं। यह तय पाया गया है कि भारत के निकट का बेरूबाड़ी संघ संख्या १२ का उत्तर की ओर का आधा भाग भारत से मिल जायगा तथा दक्षिण आधा पाकिस्तान को हस्तान्तरित हो जायगा ।

(ख) पाकिस्तान को हस्तांतरित क्षेत्र लगभग ४ वर्ग मील होंगे । भूमि का पूरा सर्वेक्षण हो जाने के बाद वास्तविक क्षेत्र का निश्चय हो सकेगा ।

(ग) और (घ). विभाजन रेखा का निश्चयन तथा भूमि पर उस का चिह्न लगाने के बारे में पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बंगाल के भूमि अभिलेख तथा सर्वेक्षण निदेशकों के बीच बातचीत हो रही है। इन अधिकारियों के बीच २९ तथा ३० नवम्बर, १९६१ को ढाका में बातचीत हुई थी। इन बातचीतों में क्या तय पाया गया उस की पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस का कोई निर्धारण किया गया है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र को देने के बाद कितने परिवार बेघरबार हो जायेंगे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मैं वास्तविक आंकड़े नहीं बता सकता हूं । परन्तु यह पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं । संभवतया इस क्षेत्र में १२,००० व्यक्ति रहते हैं और सीमा का चिह्न लगाने पर आधारित ५००० व्यक्तियों पर इस का असर पड़ेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इन में से जो लोग पश्चिम बंगाल अथवा भारत आना चाहेंगे उन को ऐसा करने दिया जायेगा। और क्या उन के पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार पर होगी ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** जो भारत आना चाहेंगे उन को निश्चित रूप से भारत आने दिया जायेगा और उन के पुनर्वास के लिये सहायता दी जायेगी। मैं इस समय नहीं बता सकता कि यह सहायता कितनी होगी ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** डरसाना सीमा चौकी पर गिरफ्तार किये गये दो अधिकारियों तथा उन के पास के कागजातो को जब्त करन के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या पाकिस्तान से इस बारे में कोई उत्तर मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इन कागजातों के बारे में माननीय सदस्य के प्रश्न के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। परन्तु समाचारपत्रों के समाचारों से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान सरकार ने इन कागजातों को लौटा दिया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के पुनर्वास के बारे में प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उन को भारत के बेरूबाड़ी के भाग में बसाने का विचार है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अनुसूची 'क' के अधीन उद्योगों में विनियोजन

†*६१८. **इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची 'क' के अधीन उद्योगों में कितने मामलों में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी के विनियोजन की अनुमति दी गयी है और उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ख) कितने मामलों में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी को संयुक्त समवायों में ५० प्रतिशत से अधिक धन लगाने की अनुमति दी गयी है और उस का क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योगमंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा के बाद, औद्योगिक नीति संकल्प, १९५६ की अनुसूची 'क' के अधीन आने वाले ३ औद्योगिक एककों में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के विनियोजन की अनुमति दी गयी है।

वे इस प्रकार हैं :—

(१) जिंक स्मैल्टर की स्थापना के लिये मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया, लिमिटेड

(२) आयल इंडिया लिमिटेड, कच्चे तेल की खोज, उत्पादन और परिवहन के लिये भारत सरकार तथा बर्मा आयल कम्पनी का संयुक्त प्रयास

(३) स्टैण्डर्ड वैकुम रिफायनरी

(४) औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन अनुमति प्राप्त औद्योगिक अधिनियम के अधीन इन एककों को लाइसेंस देने के लिये अनुसूची 'क' में आने वाली कुछ मशीनों के लिये विनियोजन की अनुमति दी गई है।

(ख) ३०० से अधिक में से जनवरी-सितम्बर, १९६१ के पहले नौ महीनों में १२ मामलों में अधिकांशतः विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है तथा इसी अवधि में कई विदेशी वित्तीय तथा/अथवा प्रविधिक सहयोग समझौते हुए हैं।

आवश्यक उद्योग जैसे कोयला धोने के कारखाने, कागज की मशीनें, मोटर के बिजली के यंत्र, बाल बयरिंग, स्वयंचालित खराद, कीटाणु नाशक और प्लास्टिक साइजर्स आदि में मुख्यतः विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†*६२३-क. **श्री बं० च० मलिक :** क्या **प्रधान मंत्री** ६ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को सीधे जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडलों को निमंत्रण पत्र मंत्रालय की मार्फत प्राप्त न होने की दशा में पासपोर्ट जारी न करने की नीति में संशोधन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) और (ख). विदेशों से सीधे प्राप्त निमंत्रण पत्रों के आधार पर विदेश जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडलों को पासपोर्ट देने की सुविधा के बारे में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

चाय उद्योग का सर्वेक्षण

†*६२७. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने भारतीय चाय की लागत और किस्म का अध्ययन करने के लिये कोई सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है; और

(ग) उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) चाय बोर्ड के विभिन्न चाय जिलों में उत्पादन की लागत का सर्वेक्षण किया है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं ोता ।

पटसन मिलें

†*६२८. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिल मालिकों ने पटसन मिलों में प्रति सप्ताह काम करने के ४८ घंटों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का निर्णय क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). पटसन मिलों में १६ अक्तूबर १६६१ से सप्ताह में ४८ घंटे काम करना शुरू कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मशीनी औजार डिजाइन और प्रौद्योगिकी संस्था

†*६२९. **श्री खीमजी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची और बंगलौर में मशीनी औजार डिजाइन और प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या अन्य स्थानों पर ऐसी संस्थायें स्थापित करने के बारे में और कोई प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बंगलौर के सैंट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट की स्थापना के बारे में चैक विशेषज्ञों का परियोजना प्रतिवेदन मिल गया है तथा विचाराधीन है । संस्था बंगलौर में समान पंजीयन अधिनियम १९६० के अधीन रजिस्टर्ड हो गई है ।

''मशीनी औजार डिजाइन संस्था'' के बारे में समिति नियुक्त की गई है जो इस पर विचार करेगी कि ऐसी संस्था किस प्रकार की स्थापित हो तथा उस का विवरण लागत के प्राक्कलन आदि क्या हों समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अन्य मशीनी डिजाइन संस्थाओं के प्रस्तावों पर समय समय पर विचार होगा ।

ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के आर्थिक कार्यों के महा-आयुक्त

†*६३४. **श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और अमरीका में भारत के आर्थिक कार्यों के महा-आयुक्तों द्वारा तथा दोनों देशों में हमारे उच्च आयुक्त और राजदूत द्वारा किये जाने वाले कार्य के समन्वय के सम्बन्ध में कोई सक्रिय व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि ऐसी कोई व्यवस्था की गई है, तो क्या वह संतोषजनक ढ़ंग से चल रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य उप मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख) . ऐसे समन्वय के संतोषजनक प्रबन्ध नहीं किये गये थे । अब यह निर्णय कर लिया गया है कि वाशिंगटन और लन्दन में आर्थिक-कार्य के महा आयुक्तों के कार्यालय बन्द कर दिये जायें ।

तिब्बती शरणार्थी

†*६३५. { **श्री न० रा० मनिस्वामी**:
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २९ अक्तूबर, १९६१ के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तिब्बती लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आने की योजना बना रहे हैं !

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी तौर पर इस समाचार की पुष्टि की गयी है; और

(ग) इस मामले में यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की हो तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० न० हजारिका): (क) जी हां।

(ख) अभी समाचार की पुष्टि नहीं की गयी है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय गोदी कर्मचारी सलाहकार बोर्ड

† ६३५-क. { **श्री तंगामणि :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय गोदी कर्मचारी सलाहकार बोर्ड की बैठक १९६ **तथा** १९६१ में एक बार भी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त बोर्ड का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक पुनर्गठित किये जाने की आशा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) जी हां ।

(ख) समिति के कार्य यह हैं कि जो मामले उसे सौंपे जायें उन के बारे में वह परामर्श दे इसलिए आवश्यक होने पर समिति की बैठक बुलाई जाती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सम्बन्धित संगठनों से नामनिर्देशन मिलने के बाद ।

दिल्ली में दूकानों के बन्द होने का समय

†*६३५-ख. { **श्री नौशीर भरूचा:**
श्री इ० मधुसूदन राव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई दिल्ली में कनाट प्लेस जैसे दूकानदारी के केन्द्रों में दूकानों को प्रति दिन शाम को ७ बजे बंद करने के आदेश जारी कर दिये हैं;

(ख) ऐसे आदेश जारी करने के क्या कारण हैं तथा यह किस कानून के अन्तर्गत जारी किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस आदेश के कारण दिल्ली के लाखों निवासियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इस आदेश को कब तक लागू रखने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) जी, हां ।

(ख) व्यापारियों और कर्मचारियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने के लिए दुकानों और संस्थापनों के काम के घंटे कम करने की बहुत समय से की जा रही मांग की पूर्ति करने के लिए दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने दिल्ली दुकान और संस्थापन नियम, १९५४ की धारा १५ (१) के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की है जिस में नये समय निर्धारित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं। आवश्यक संभरणों और सेवाओं से सम्बन्धित दुकानों और संस्थापनों को इन समय प्रतिबन्धों से छूट दी गई है।

(घ) अभी इन समयों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन के मामले

†*६३६. **श्री अमजद अली:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६१ (३१ अक्तूबर तक) में नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कितने कर्मचारी (सभी श्रेणियां) सेवा-निवृत्त हुए हैं;

(ख) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन के मामले तय करने में बहुत विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के अत्यधिक विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) १११।

(ख) जी हां, कुछ मामलों में।

(ग) पेंशन के मामलों पर सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख से १८ महीने पूर्व कार्यवाही शुरू करने और सेवा का कर्मचारियों के सेवाकाल में ही सत्यापन कर लेने, ताकि सेवा का सत्यापन न होने से सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के मामलों के निर्णय में विलम्ब न हो, के लिए आदेश जारी किये गये हैं।

लंका में भारतीय

†*६३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त:**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्रीमती मफीदा अहमद:
श्री प्र० के० देव:
श्री बी० चं० शर्मा:

क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लंका में भारतीय उद्भव के राज्यविहीन निवासियों के प्रश्न पर लंका सरकार तथा भारत सरकार के अधिकारियों की बैठक करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** संसद् में गत अगस्त में दिये गये उत्तर के बाद से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नमक का उत्पादन

†*६३८. **श्रीमती इला पालचौधरी:**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:
श्री राम कृष्ण गुप्त:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ अगस्त, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ के

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक के उत्पादन के लिये कारखाना स्थापित करने के मामले में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जैसा कि २३-८-१९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ के उत्तर में बताया गया था, मद्रास में वेदारनयम और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में नमक के बड़े कारखानों की स्थापना के लिए अनेक पक्षों ने प्रस्ताव भेजे हैं । उन के नक्शों और यांत्रिक व्यवस्था की छानबीन की जायेगी और यदि वे उपयुक्त निकले तो उन्हें नमक बनाने के लिए लाइसेंस जारी कर दिये जायेंगे ।

इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार भी सरकारी उद्योग क्षेत्र में नमक के कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही है ।

तिब्बत में पकड़े गये भारतीय राष्ट्रजन

६३८—क. { **श्री भक्त दर्शन:**
श्री बी० चं० शर्मा: }

क्या **प्रधान मंत्री** ८ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा पकड़े गये भारतीय राष्ट्रजनों अथवा भारतीय संरक्षणाधीन व्यक्तियों को छुड़ाने के लिये किये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका): तारांकित प्रश्न संख्या १३२० के उत्तर में हम ने जो स्थिति बताई थी, उस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

पूर्वी जर्मनी और अल्जीरिया की अस्थाई सरकार को मान्यता

†*६३९. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास:
श्री राधा रमण :
श्री विद्या चरण शुक्ल:
श्री हेम बरुआ:
पंडित द्वा० ना० तिवारी:
श्री बहादुर सिंह: }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने (क) पूर्वी जर्मनी की सरकार और (ख) अल्जीरिया की अस्थाई सरकार को मान्यता देनेके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : भारत सरकार की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी कि प्रधान मंत्री ने अपने लोक-सभा में १६ अगस्त को अल्जीरिया की अस्थायी सरकार के सम्बन्ध में और १७ अगस्त को पूर्व जर्मन सरकार के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्यों में बताई थी।

आवास सहकारी समितियां

†*६४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के देहाती और नगरीय क्षेत्रों में आवास सहकारी समितियां बनाने की नीति का अधिक जोर से अनुसरण करने का है;

(ख) क्या इस सिलसिले में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). जो विभिन्न आवास योजनायें इस समय चल रही हैं उन में गृह-निर्माण प्रयोजनों के लिए आवास सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए उचित उपबन्ध, जहां कहीं सम्भव है, मौजूद ही हैं। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में आवास सहकारी समितियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधायें दी गई हैं। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४५]**

समुद्री मीनक्षेत्र

†*६४१. { **श्री कोडियान:**
श्री वारियर:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री मीनक्षेत्रों के लिये उत्तम प्रकार के यंत्रों का देश में निर्माण करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये नियुत की गई समिति ने इस बीच अपना काम पूरा कर लिया है और सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समुद्री मीन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार को ठोस सुझाव देने के लिए समिति को विभिन्न राज्यों की मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे समुद्री डीजल इंजन, तार के रस्से, आउट बोर्ड मोटर विन्च[1] आदि उपकरण, का निर्धारण करना पड़ा था और यह पता लगाना पड़ा था कि इस में से कितने उपकरण देश में ही निर्मित किये जा सकते हैं। समिति को ये आंकड़े एकत्रित करने पड़े और उसकी अभी तक दो बैठकें इन मामलों की चर्चा करने के लिए हो चुकी हैं और एक अन्य बैठक दिसम्बर, १९६१ में होने वाली है। समिति अपना कार्य यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है।

---

[1] Out Board motors winches.

†मूल अंग्रेजी में

केन्या में भारतीय व्यापारी

†*६४१–क. { **श्री प्र० गं० देव:**
श्री प्र० चं० बरुआ:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक १८ अक्तूबर, १९६१ के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित केन्या अफ्रीकी वाणिज्य मंडल के प्रधान श्री आर० ओ० अकोइनो के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्या में भारतीय व्यापारियों की स्थिति के बारे में उस देश में स्थित व्यापार मिशन से रिपोर्ट मंगाई है जिस से यह पता लग सके कि इस वक्तव्य से केन्या सरकार की नीति का कहां तक पता लगता है और यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जी, हां । हमारी सूचना के अनुसार न तो केन्या सरकार और न किसी अन्य जिम्मेदार सूत्र ने ही ऐसे वक्तव्य दिये हैं जिन से भारतीय व्यापारियों के लिए कोई चिन्ता उत्पन्न हो । केन्या सरकार यह तो चाहती है कि अफ्रीकी लोग अपना व्यापार बढ़ायें परन्तु एशियाई व्यापारियों को तंग नहीं करना चाहती ।

गोदी मजदूर (नौकरी का विनियमन) योजना

†*६४१–ख. { **श्री तंगामणि :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंजीबद्ध गोदी मजदूर (नौकरी का विनियमन) योजना सभी बड़े बन्दरगाहों में लागू कर दी गई है ;

(ख) क्या सरकार १९५८ की गोदी मजदूर सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार इस सूचीबद्ध मजदूरों को सम्बन्धित गोदी मजदूर बोर्डों के अधीन ले आई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) योजना बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों में लागू की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अभी उनको 'डिकजुएलाईजेशन' योजना में सम्मिलित करने के लिये समय उपयुक्त नहीं है ।

नेपाल में भारतीय समाचारपत्रों का प्रावेक्षण (सेंसरशिप)

†*६४२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने नेपाल में आने वाले भारतीय समाचारपत्रों पर प्रावेक्षण (सेंसरशिप) प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या वहां की सरकार ने इस बीच इस आदेश के अधीन किसी भारतीय समाचारपत्र को जब्त कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने समाचार पत्रों को ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). १६ नवम्बर, १९६१ को काठमाण्डू के मजिस्ट्रेट ने एक नई प्रक्रिया लागू की है जिसके अन्तर्गत काठमाण्डू में आने वाले समस्त समाचारपत्रों की जनता को दिये जाने के पूर्व छानबीन की जाती है। यह प्रक्रिया भारतीय समाचार पत्रों पर भी लागू होती है। छानबीन का प्रयोजन यह देखना है कि समाचारपत्रों में कोई ऐसी बात न हो जिस पर नेपाल की सरकार आपत्ति करे ।

(ग) और (घ). जब से यह प्रक्रिया लागू हुई ह तब से १६–११–६१ का अमृत बाजार पत्रिका का अंक और १५–११–६१ का आर्यावर्त का अंक जब्त किये गये हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का उद्यान-कर्म विभाग

†*६४२–क. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सम्पत :
श्री तंगामणि :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान-कर्म विभाग के ३५० कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के नोटिस दे दिये गये हैं ;

(ख) क्या नोटिस ३० नवम्बर, १९६१ को समाप्त हो गये ;

(ग) क्या यह छंटनी नई दिल्ली नगरपालिका को काम के हस्तान्तरण के कारण हुई है ;

(घ) क्या काम के साथ साथ इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी किया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) क्या इन कर्मचारियों ने इस विभाग में दो वर्ष से अधिक की सेवा की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सार्वजनिक पार्कों और लॉनों की देखभाल केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के औद्यानिकी विभाग द्वारा नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की ओर से 'निक्षेप कार्यों' के रूप में की जाती थी । १९६० में नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने इन पार्कों और लानों की देखभाल स्वयं करने की इच्छा व्यक्त की । हस्तान्तरण की विभिन्न शर्तों के सम्बन्ध में लम्बी बातचीत के पश्चात् अस्थायी तौर से यह निर्णय किया गया कि देखभाल का कार्य १ दिसम्बर, १९६१ को हस्तान्तरित किया जाना चाहिये ।

उन कार्यों के हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के लगभग ३५० कर्मचारियों की केन्द्रीय लोककर्म विभाग से औद्योगिक विवाद अधिनियम, धारा २५ (६) के उपबन्धों

†मूल अंग्रेजी में

के अन्तर्गत छंटनी की जानी होगी। संस्थापन में कटौती किए जाने के मामले में विभाग के कनिष्ठतम कर्मचारियों की छंटनी की जाती है। परिणामस्वरूप १–१२–१६६१ को ३५० कर्मचारियों को उनकी सेवायें समाप्त करने के नोटिस दिये गये थे। इन ३५० कर्मचारियों को केन्द्रीय लोककर्म विभाग वैकल्पिक काम नहीं दे सकता है। अनौपचारिक रूप से यह व्यवस्था की गई कि नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी इन कर्मचारियों को नियोजित करेगी ताकि कार्य में कम से कम गड़बड़ हो। ऐसे कोई नियम अथवा उपबन्ध नहीं हैं जिनके अन्तर्गत इन कर्मचारियों को नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को हस्तान्तरित किया जा सके।

परन्तु विभिन्न छोटे मोटे कारणों से इन कार्यों को १-१२–१६६१ को हस्तांरित नहीं किया जा सका जैसा कि निश्चय किया गया था। इसलिये नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी से यह प्रस्ताव किया गया है कि वास्तविक हस्तान्तरण चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक स्थगित कर दिया जाए।

यह छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार है और उसे रोका नहीं जा सकता है। यदि नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी केन्द्रीय लोककर्म विभाग से छोनी किये गये कर्मचारियों को नियोजित करने के लिये सहमत हो जाती है, जैसा कि वास्तव में हो भी गया है, तो कर्मचारियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों की कुल सेवा कुछ महीनों से लेकर ४ वर्ष तक की की है। छंटनी में अधिकांश में माली और गाड़ीवान अन्तर्ग्रस्त हैं।

औद्योनिकी शाखा में भी इसी प्रकार की छंटनी की गई है जिसमें अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के छोटे मोटे कार्य संस्था के नियन्त्रण में हस्तान्तरित किये गये थे।

१–१२–१६६१ को नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि कार्यों का हस्तातरण १–४-१६६२ तक के लिये आस्थगित कर दिया जाए और इस बीच में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी और केन्द्रीय लोककर्म विभाग द्वारा आदान प्रदान की विस्तृत योजना तैयार की जाए। इसलिये औद्योनिकी का काम करने वाले कर्मचारियों की तुरन्त छंटनी का कोई कारण नहीं है।

चाय का निर्यात

†*६४३. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात बढ़ाने के लिये देश में चाय बोर्ड प्रचार एककों को खत्म करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). यद्यपि चाय के संवर्धन में मुख्य ज़ोर निर्यात पर चला गया है, परन्तु आन्तरिक संवर्धन सर्वथा खत्म नहीं किया गया है। परन्तु आन्तरिक कार्यों को एक नया रूप दिया गया है और बहुत से कर्मचारी बड़े औद्योगिक संस्थापनों की कैन्टीन में मन्त्रणा सेवा में भेज दिये गये हैं।

रुपया भुगतान देशों के साथ व्यापार

†*६४४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रुपया भुगतान देशों के साथ भारत के व्यापार के बुरे आर्थिक परिणामों की ओर तथा भारतीय वाणिज्य मण्डल संघ के ज्ञापन में उल्लिखित ऐसे व्यापार में अन्तर्ग्रस्त कदाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य मण्डल संघ द्वारा ज्ञापन आयात तथा निर्यात नीति समिति को पेश किया गया है जिसका प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

फिल्म संस्था

†*६४५. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म संस्था को पेरिस के अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा और टेलीविजन स्कूल से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इससे संस्था के विकास में कितनी सहायता मिलेगी ;

(ग) क्या संस्था द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमा विश्वविद्यालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मान्य है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संस्था ने अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और उनका प्रशिक्षण उद्योग के किन क्षेत्रों में हुआ है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) हां, श्रीमान।

(ख) पेरिस का सिनेमा और टेलीविजन स्कूलों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र समस्त विश्व की मुख्य फिल्म प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध हैं। अतः फिल्म संस्था प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत प्रतिमानों के अनुसार कार्य कर सकेगी और अन्य देशों की फिल्म प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ लेक्चरारों के विनिमय की सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेगी। सम्बन्ध भी संस्था को व्यापक मान्यता प्रदान करेगा।

(घ) संस्था में दिये जाने वाले डिप्लोमाओं को संघ लोक सेवा आयोग और सरकार द्वारा कुछ डिगरियों के समान मान्यता दिलाये जाने के प्रश्न पर कालान्तर में विचार किया जायेगा।

(ङ) मार्च-जून, १९६१ में १६ व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित विषयों में रिफ्रेशर कोर्सों की व्यवस्था की गई थी :—

मोशन पिक्चर फोटोग्राफी	८
साउण्ड रिकार्डिंग	५
फिल्म एडिटिंग	३
योग	१६

नियमित कोर्स १६ अगस्त, १९६१ से प्रारम्भ हुए थे।

†मूल अंग्रेजी में

भारत से कांगो को शस्त्र सहायता

†*६४५–क. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगो के प्रधान मंत्री ने कांगो से कटंगा के अलग होने का मुकाबला करने के लिये भारत से शस्त्र सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने कांगो के प्रधान मंत्री को क्या उत्तर भेजा है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). हां, श्रीमान । कांगो के प्रधान मंत्री श्री सिरिल एडूला की भारत से ठोस सहायता की प्रार्थना के उत्तर में उन्हें यह बताया गया था कि कांगो को भारत द्वारा सहायता राष्ट्रसंघ के माध्यम से दी ही जा रही है ।

श्री लुमुम्बा की हत्या

†*६४५–ख. **श्री तंगामणि :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र आयोग ने, जिस ने कांगो के प्रथम प्रधान मंत्री श्री पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या की जांच की थी, यह लिखा है कि कांगो के प्रेजीडेंट जोज़ेफ़ कसावुबु तथा उन के सहायकों और कटंगा के शोम्बे को श्री लुमुम्बा, श्री ओकीता और श्री एमपोलो की हत्या की जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र क्या कार्यवाही करेगा;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) आयोग का प्रतिवेदन ११ नवम्बर, १९६१ को प्रकाशित किया गया था और अभी यह नहीं बताया जा सकता कि राष्ट्रसंघ आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करेगा ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन

†१३३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ला० ना० मिश्र):** अधिनियम के संशोधन के प्रस्ताव, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित रूप में, प्राप्त हो चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बकाक में फिल्म समारोह

†१३३१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकाक में भारतीय फिल्म समारोह के संगठन के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख). वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है ।

चाय उद्योग के लिए केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था

†१३३२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग के लिए एक केन्द्रीय गवेषणा संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के सहायतार्थ अनुदानों से एक चाय गवेषणा संस्था के निर्माण के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । शीघ्र ही निर्णय कर लिये जाने की आशा है ।

केबिल फैक्टरी

†१३३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्योग क्षेत्र में एक और केबिल फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). यह निर्णय किया गया है कि देश में एक और एकक स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन शुरू किया जाना चाहिए । अग्रेतर निर्णय इस प्रतिवेदन की प्राप्ति पर किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कारखाना अधिनियम, १९४८

†१३३४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कारखाना अधिनियम, १९४८ को कारखानों में अधिक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था का उपबन्ध करने की दृष्टि से संशोधित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): कारखाना अधिनियम, १९४८ में संशोधन के प्रस्तावों पर विभिन्न राज्य सरकारों, नियोजक मंत्रालयों, अखिल भारतीय नियोजकों और कर्मचारियों आदि से टिप्पण प्राप्त हो गये हैं और उन की जांच की जा रही है ।

बिजली के खम्भों का आयात

†१३३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता निगम द्वारा उचित साधनों से प्राप्त किये गये बिजली के खम्भों के आयात के लिए परमिट से सम्बन्धित जांच का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

†१३३६. **श्री पांगरकर**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में महाराष्ट्र के नांदेड़ और औरंगाबाद जिलों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या ऐसे उद्योगों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् ।

महाराष्ट्र को सीमेंट का कोटा

†१३३७. **श्री पांगरकर**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से महाराष्ट्र के लिए सीमेंट का कोटा बढ़ाने की प्रार्थना की है;

(ख) महाराष्ट्र का वर्तमान आवण्टित कोटा कितना है; और

(ग) राज्य द्वारा कितने कोटे का सुझाव दिया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १,३०,६०० मीट्रिक टन प्रति तिमाही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६१ की चौथी तिमाही के लिए १३,१३० टन अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ी थी जिस में से १०,००० टन उपलब्ध की गई है ।

पूना में फिल्म संस्था

†१३३८. **श्री प्र० गं० देव:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना की फिल्म संस्था के लिए कुछ विशेषज्ञ बुलाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी विशेषज्ञों के बुलाए जाने के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) हां, श्रीमान् । पेरिस की फिल्म संस्था के प्रिंसिपिल मार्च, १९६१ में पन्द्रह दिन के लिए पूना की फिल्म संस्था का निरीक्षण करने आये थे । थोड़े थोड़े समयान्तर पर कुछ और विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) पूना की फिल्म संस्था भारत में अपनी किस्म की पहली संस्था है । पेरिस संस्था के प्रिंसिपल से संस्था के पाठ्यक्रम का निश्चय कराया गया । कुछ और विदेशी विशेषज्ञों से विद्यार्थियों को पढ़ान का काम लेने का प्रस्ताव है । उनके ज्ञान और अनुभव से हमारे कर्मचारियों को भी लाभ होगा ।

राज्य व्यापार निगम

†१३३९. **श्री प्र० गं० देव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा मई, १९६० से अभी तक कुल कितने वस्तु विनिमय सौदे किए गए हैं ; और

(ख) आयात और निर्यात के देश और वस्तुएं और उनके मूल्य क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) मई, १९६० से अब तक राज्य व्यापार निगम ने २९ वस्तुविनिमय सौदे किए हैं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें आयात और निर्यात की वस्तुएं तथा गन्तव्य देशों के नाम दिए हुए हैं । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४६]** आयात के संसाधनों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जायेगी । मूल्य बताना निगम के व्यापारिक हित में नहीं होगा ।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

†१३४०. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग सेवा संस्था द्वारा १९६० और १९६१ में उड़ीसा के सम्बलपुर, तलचेर, भुवनेश्वर और कटक जिलों में स्थित उद्योगों की क्या सहायता की गई थी ; और

(ख) इस सहायता के बाद कितने उद्योग प्रारम्भ हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) एक विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४७]

(ख) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रलेख चित्र 'आन्ध्र प्रदेश'

†१३४१. श्री ई० मधुसूदन राव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा "आन्ध्र प्रदेश" नामक प्रलेख चित्र तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वारंगल का मूर्तिकला सौन्दर्य भी फिल्म में सम्मिलित किया गया हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो वह फिल्म कब तक पूरा होगा ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) फिल्म तैयार की जा रही है।

(ख) उसमें वारंगल के पुरातत्वीय स्मारकों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) १९६२–६३ के प्रारंभ में।

असम के दंगों से प्रभावित व्यक्ति

†१३४२. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १४ सितम्बर, १९६१ के "अमृत बाजार" में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि असम सरकार ने गोरेश्वर क्षेत्र के कई गांवों के निवासियों को, जो जुलाई, १९६० में हुए दंगों से प्रभावित हुए हैं, बेदखली की सूचना व आदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). असम भूमि और लगान विनियमों के अनुसार गोरेश्वर आदिवासी क्षेत्र में आता है। बेदखली की सूचना उन सब लोगों को, जिनमें भाषायी दंगों से प्रभावित कुछ लोग भी शामिल हैं, दी गयी है जो आदिवासी क्षेत्र में घुस आए हैं। असम सरकार दंगे से प्रभावित लोगों को कहीं और जमीन देने के लिये कदम उठा रही है।

दासता को समाप्त करने के लिये कानून

†१३४३. श्री बी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के कई भागों में प्रचलित दासता की प्रथा को समाप्त करने के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये जिसके अन्तर्गत ऋण लेने वाले व्यक्तियों को महाजन की नौकरी का या व्यक्तिगत सेवा की शपथ लेनी पड़ती है, राजस्थान सरकार जैसा कोई कानून बनाने का इरादा है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार का ऐसी कोई कार्यवाही करने का इरादा नहीं हैं क्योंकि जहां कहीं आवश्यक था वहां राज्य सरकारों ने ऋण देने से सम्बन्धित अनुचित प्रथाओं को समाप्त करने या उन्हें रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर ली है ।

पटसन की मिलें

†१३४४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन मिलों में अब तक कितने स्वचालित करघे लगाने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) सम्बन्धित मिलों के नाम क्या हैं ;

(ग) एक बुनकर को कितने "वन मैक" और "सर्कूलर" करघे चलाने पड़ते हैं ;

(घ) क्या इन करघों की स्थापना का व्यय उत्पादन को अलाभप्रद बना देगा ; और

(ङ) क्या स्वचालित करघे बड़े पैमाने पर लगाने से अन्य देशों को भेजी जाने वाली पटसन की वस्तुओं का अतिरिक्त स्टाक रहेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १४४।

(ख) दी बरानगर जूट फैक्टरी कम्पनी लि० कलकत्ता

दी गोरेपुर कम्पनी लि० कलकत्ता

दी नार्थब्रुक जूट कम्पनी लि० कलकत्ता

दी अगरपारा कम्पनी लि० कलकत्ता

दी एंग्लो-इंडिया जूट मिल्ज कम्पनी लि० कलकत्ता

दी हावड़ा मिल्ज़ कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

(ग) एक बुनकर लगभग ५ "वन मेक" या ३ "सर्कुलर" करघे चला सकता है ।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं । स्वचालित करघे सामान्य करघों के स्थान पर लगाये जायेंगे और इन दोनों की उत्पादन-क्षमता में कोई अन्तर नहीं है ।

पाकिस्तान से डाक द्वारा भेजी गयी वस्तुएं

†१३४५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री ३१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान से डाक द्वारा भेजी गई जिन वस्तुओं को भारत में आने से रोक दिया गया था क्या उन्हें इस बीच भारत आने दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** ये वस्तुयें पाकिस्तान को लौटा दी गई थीं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान स्थित डाक विभाग के अधिकारियों ने बाद में उन्हीं वस्तुओं को डाक से भेज दिया हो। यदि उन्हें फिर से भेजा गया हो तो उन्हें भारत में आन दिया गया है।

समाचार-पत्र उद्योग

१३४६. { **श्री भक्त दर्शन :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्र उद्योग में स्वामित्व के एकत्रीकरण और एकाधिकारिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार इस बारे में कब तक किसी निश्चय पर पहुचने की आशा करती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). इस विषय में आगे कोई प्रगति नही हुई है। इस पर अभी विचार हो रहा है।

रामपुर (उ० प्र०) के निकट ट्रांसमिटर

१३४७. श्री भक्त दर्शन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर के निकट ट्रांसमिटर लगाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : रामपुर में ट्रांसमिटर लगाने के लिये जगह का चुनाव कर लिया गया है और राज्य सरकार से उसको हासिल करने की प्रार्थना की गई है। रेडियो और केबल बोर्ड ने उस स्थान को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इमारत बनाने के लिये सी० पी० डब्ल्यू० डी० से तखमीना मांगा गया है। उपकरणों के लिये संभरण और निपटाने के हो जायेगा। शालय को इन्डेन्ट भेज दिये गये हैं और उम्मीद है कि माल १९६२ के अन्त तक प्राप्त महा-निदे-

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

१३४८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हेम राज :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कुल कितने भारतीय व्यापारी तिब्बत गये थे ;

(ख) वे किन किन क्षेत्रों से कितनी-कितनी संख्या में वहां गये थे ;

---

*मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या वे सब वहां से सकुशल लौट आये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो वहां अभी भी किस क्षेत्र के कितने भारतीय व्यापारी रुके पड़े हैं ;

(ङ) उन्हें सकुशल भारत लाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ;

(च) इस बार हमारे व्यापारियों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ; और

(छ) उन कठिनाइयों को दूर करने में सरकार को कहां तक सफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ऐसी रिपोर्ट है कि ३० सितम्बर, १९६१ तक, लगभग ३,८१० भारतीय व्यापारी तिब्बत गए थे।

(ख) उनकी क्षेत्रानुसार संख्या निम्नलिखित है :—

(१) जम्मू-कश्मीर	३१५
(२) हिमाचल प्रदेश	२१३
(३) पंजाब	११२
(४) उत्तर प्रदेश	२८५३
(५) नेफा	१७४
(६) सिक्किम	१४३

(ग) अधिकांश मौसमी व्यापारी सही-सलामत भारत वापस आ गए हैं। थोड़े-से व्यापारी अभी तिब्बत में हैं लेकिन इसकी संभावना है कि वे भी जल्दी ही लौट आएंगे।

(घ) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि चीनियों ने किसी व्यापारी को रोक रक्खा है।

(ङ) इस तरह का प्रबन्ध करने का कोई मौका नहीं आया।

(च) भारतीय व्यापारियों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ा :

(१) घूमने-फिरने पर प्रतिबन्ध ;

(२) निर्यात की परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का निषेध ;

(३) परम्परागत वस्तु-विनिमय (बार्टर) प्रथा की समाप्ति ;

(४) चीनियों द्वारा व्यापार पर एकाधिकार ;

(५) मुद्रा-विनिमय पर प्रतिबन्ध ;

(६) आयात और निर्यात शुल्कों का लगा दिया जाना ;

(७) ऋणों का वसूल न हो पाना।

(छ) अभी तक कुछ भी नहीं। चीन-भारत सम्बन्धों पर श्वेतपत्र संख्या ५ में प्रकाशित नोटों से इस बात का पता लगेगा कि भारत सरकार ने एकाधिक बार चीन सरकार से यह प्रार्थना की है कि उपयुक्त कठिनाइयां दूर की जाएं ?

राष्ट्रीय संसाधनों का सर्वेक्षण

१३४६. श्री भक्त दर्शन: क्या **योजना** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से योजना आयोग में जो विशेष विभाग खोला गया था, उसने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : योजना आयोग में प्राकृतिक साधनों के लिए जो अनुभाग खोला गया है, उसने इन साधनों के उपयोग और नियंत्रण से सम्बन्धित सब सरकारी विभागों से आवश्यक सम्बन्ध बना लिया है और इन विभागों के परामर्श से सर्वेक्षणों और अध्यानार्थ समस्याओं की एक प्रारम्भिक सूची भी तैयार कर ली है । वे अध्ययन और सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरु कर दिए जायेंगे ।

परामर्शदाता इंजीनियरिंग संस्थायें

†१३५०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीयों के सहयोग से भारत में परामर्शदाता इंजीनियरिंग संस्थाओं की स्थापना के लिये अमरीकी, स्विस, और इटैलियन फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी जांच कर ली है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । भारत सरकार को भारतीयों के सहयोग से भारत में परामर्शदाता इंजीनियरिंग संस्थाओं की स्थापना के लिये विभिन्न विदेशी दलों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच कर ली है और सम्बन्धित दलों को प्रस्तावों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया सूचित कर दी गई है ।

मेसर्स कापर्स एक्सपोर्ट जी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी और मेसर्स अमेरिकन हाइड्रोथर्म कारपोरेशन, अमेरिका से प्राप्त दो प्रस्ताव सरकार ने इस बीच स्वीकार कर लिये हैं ।

पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश

†१३५१. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानियों के १६ मई, १९६० को पूर्व पाकिस्तान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश के बारे में जो संयुक्त जांच की जा रही थी क्या वह इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) जी, नहीं। संयुक्त जांच के लिये तिथि निश्चित करने के लिये भारत सरकार ने जो पत्र आदि लिखे उनका पूर्व पाकिस्तान सरकार ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों के लिये चार मंजिल वाले मकान

†१३५२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उपलब्ध भूमि का अधिकाधिक उपयोग करने की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों के लिये चार मंजिल वाले मकान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : यह मामला अब भी विचाराधीन है।

एक भारतीय नागरिक के साथ पुर्तगाल अधिकारियों द्वारा किया गया व्यवहार

†१३५३. श्री वी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने श्री श्रीधर तेलकर और उनकी पत्नी के साथ गोआ में पुर्तगाली अधिकारियों के साथ किये गये व्यवहार के विरोध में कोई पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पुर्तगाल सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। संयुक्त अरब गणराज्य दूतावास, जिसके द्वारा विरोधपत्र भेजा गया था, इस विषय में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

दिघा में केबल टफैक्टरी

†१३५४. { श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पटना में दिघा में एक केबल फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत मेसर्ज एलुमीनियम केबल्ज एंड कंडक्टर्ज को एक

†मल अंग्रेजी में

विशिष्ट प्रकार के केबल बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है । अभी यह ज्ञात नहीं है कि फर्म फैक्टरी को पश्चिम पटना में स्थापित करेगी या नहीं । फर्म से निश्चित जानकारी देने के लिये कह दिया गया है ।

सूती कपड़े की मिलें

†१३५५. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पांगरकर : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बन्द मिलों में से कुछ और मिलों ने पुनः काम करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की संख्या व नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). निम्नलिखित दस मिलें, जो इस समय बन्द हैं, निकट भविष्य में पुनः काम करने लग जायेंगी ऐसी आशा है :—

(१) मे० ओरिसा काटन मिल्ज़, भगतपुर (उड़ीसा)

(२) मे० मुरादाबाद स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज़, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

(३) मे० ललामल हरदेवदास काटन मिल्ज़, हाथरस (उत्तर प्रदेश)

(४) मे० श्री महागणपति मिल्ज़ पुडुकोट्टा (मदरास)

(५) मे० श्री सयाजी जुबली काटन एण्ड जूट मिल्ज़, सिद्धपुर (अब नार्थ गुजरात काटन मिल्ज़), गुजरात

(६) मे० श्री गोपाल इंडस्ट्रीज़, कोटा (राजस्थान)

(७) मे० हरीसिंह मैन्यु० कम्पनी लि० अहमदाबाद (गुजरात)

(८) मे० सत्यनारायण पंडा लपका, राजामुन्द्री (आन्ध्र प्रदेश)

(९) मे० राजेन टेक्स्टाइल मिल्ज़, बम्बई (महाराष्ट्र)

(१०) मे० राय साहेब टेकचन्द गोपालदास सोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज़, अकोला (महाराष्ट्र)

बेरूबाड़ी

†१३५६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरूबाड़ी के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कितने परिवार विस्थापित होंगे क्या इस बात की जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) उन्हें पुनः बसाने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं। सीमा निर्धारित हो जाने के बाद ही इसका पता लगाया जा सकता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में जिलों का पुनर्गठन

†१३५७. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने योजना आयोग के इस सुझाव को कि बर्तमान बड़े जिलों को दो या तोन जिलों में इस प्रकार विभाजित किया जाये कि वे विकास के प्रयोजन के लिये उपयुक्त बन जायें, कहां तक कार्यान्वित किया है; और

(ख) ३१ अक्तूबर, १९६१ तक इस प्रकार निर्माण किये गये जिलों की राज्यवार संख्या क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में लिख दिया गया है और जानकारी उपलब्ध होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमिहीन श्रमिक

†१३५८. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण दास : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन श्रमिकों को प्रत्यक्ष सहायता दे कर तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में भूमि देकर बसाने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनायें और कार्यक्रम किस प्रकार के हैं ;

(ख) राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों आदि को कहां तक कार्यान्वित कर सकी हैं ;

(ग) इस प्रकार बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार भूमि देकर अब तक कुल कितने भूमिहीन श्रमिक बसाये गये क्या इसका कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने लोग बसाये जा चुके हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) हाल में कृषियोग्य बनाई गई भूमि के बड़े खण्डों में तथा छोटे खण्डों में इन श्रमिकों को बसाने की जो योजनाओं के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने तीसरी योजना के प्रथम वर्ष के लिये ८६.२३ लाख रुपये का उपबन्ध किया है ;

(ख) चूंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होगा इसलिये प्रस्तावित कार्यक्रम किस हद तक कार्यान्वित किये गये हैं यह अभी से बताया नहीं जा सकता ।

(ग) और (घ). निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भूमि पर बसाये गये भूमिहीन श्रमिकों की कुल संख्या का मूल्यांकन १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही किया जा सकता है ।

मलाया में उर्वरक संयंत्र

†१३५९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया की सरकार ने अपने देश में एक उर्वरक संयंत्र की

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थापना के लिये भारत सरकार से प्रविधिक सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चाय का विकास

†**१३६०. श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड ने चाय के विकास और पंजाब के कांगड़ा ज़िले में एक सहकारी चाय फैक्टरी खोलने के लिये १६६१-६२ में कितना धन मंजूर किया है ;

(ख) क्या सहकारी चाय फैक्टरी की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा और केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार उसमें कितना योग देंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). चाय बोर्ड ने फरवरी, १६६१ में चाय के छोटे उत्पादकों को चाय की खेती के बारे में प्रविधिक सहायता देने के लिये पालमपुर में एक क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय खोला है। सरकार ने हाल में पंजाब के पहाड़ी जिलों में चाय की खेती के सुधारहेतु अनुसन्धान की एक योजना स्वीकार की है जिस पर चाय बोर्ड १६६१-६२ से ले कर १६६५ ६६ तक पांच वर्षों में कुल ६७,५१० रुपया खर्च करेगा। जहां तक चाय की सहकारी फैक्टरी खोलने का सम्बन्ध है, चाय बोर्ड को पंजाब सरकार से योजना का ब्यौरा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्यात और आयात सलाहकार परिषदें

†१३६१. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात और आयात सलाहकार परिषदों को, जिनकी सितम्बर, १६६१ में बैठकें हुई थीं, मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) निर्यात और आयात परिषदों की सितम्बर, १६६१ में हुई बैठकों के कार्यवाही की एक-एक प्रति, जिसमें इन बैठकों में व्यक्त विचार दिये गये हैं, संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) ये परिषदें सलाहकार निकाय हैं। अक्तूबर-६१—मार्च, १६६२ की अवधि के लिये लाइसेंस देने की नीति निर्धारित करते समय सितम्बर, १६६१ में हुई इन बैठकों में व्यक्त विचार ध्यान में रखे गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में खेल कूद उद्योग

†१३६२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में खेलकूद उद्योग के विकास के लिये कोई विशिष्ट कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८] ।

साम्भर नमक पर उप-कर में वृद्धि

†१३६३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी के प्रबन्ध ने साम्भर क्यार नमक, 'पेन' नमक और रेष्टा नमक के उप-कर की वर्तमान दर बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इस वृद्धि के परिणामस्वरूप साम्भर नमक की इन किस्मों के खुदरा मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) 'उप-कर' से माननीय सदस्य का अभिप्राय हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी द्वारा लगाया गया अधिभार है जो हाल में बढ़ाया गया है।

(ख) नमक बनाने का काम व्यापारिक ढंग से चले इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अधिकार बढ़ाया गया है।

(ग) चूंकि थोक बिक्री का मूल्य अपरिवर्तित रहा है इसलिये खुदरा मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

†१३६४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सीमेंट की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी, हां । सीमेन्ट की मांग बराबर बढ़ती जा रही है ।

(ग) नई यूनिट स्थापित करने और वर्तमान फैक्टरियों के विस्तार के लिये लाइसेंस दिये गये हैं और वर्तमान सीमेन्ट फैक्टरियों को उत्पादन की यथाशक्य वृद्धि करने के लिये सहायता दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात की चोर बाजारी

†१३६५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि पंजाब में छोटे निर्माता चोर बाजारी में इस्पात खरीदते हैं;

(ख) यदि हां, तो छोटे निर्माताओं को उचित दामों पर कच्चा माल मिले, इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस्पात के लिये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस का दुरुपयोग किये जाने के बारे में पंजाब की ४ फर्मों के विरुद्ध शिकायत की जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) चोर बाजारी में इस्पात खरीदे जाने की किसी विशिष्ट घटना की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सामान्यतया सभी छोटे निर्माताओं को, जो १ अप्रैल, १९५६ से पहले उद्योग चला रहे हैं इस्पात के कोटे दिये जाते हैं । औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक संपदाओं, नमूने के गांवों, पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित सभी फैक्टिरियों को और बिजली के द्वारा अपनी वर्कशाप चलाने वाली सहकारी संस्थाओं को, चाहे वे कभी भी स्थापित हुई हों, इस्पात का कोटा लेने का हक है । जहां तक संभव हो सकता है, देशी इस्पात छोटे पैमाने की इकाइयों को आवंटित किया जाता है । जहां तक विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो, आयात की भी अनुमति दी जाती है । विभिन्न श्रेणियों के इस्पात के आयात की व्यवस्था, छोटे पैमाने की इकाइयों को बांटने के लिये राज्य व्यापार निगम के द्वारा की गई है । इन प्रयत्नों के बावजूद, क्योंकि कुछ श्रेणियों के इस्पात का संभरण कम है, ऐसा हो सकता है कि कुछ को इस्पात नियंत्रित मूल्य से अधिक भाव पर बेचा गया हो । ये लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश, १९५६, जिनको लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है, के अन्तर्गत अपराध बनते हैं ।

(ग) एक फर्म के विरुद्ध लगाया गया आरोप जांच करने पर निराधार सिद्ध हुआ है । दूसरी फर्मों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हो की जा रही है ।

पंजाब के लिये औद्योगिक विकास योजनाएं

†१३६६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या योजना मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये औद्योगिक विकास की योजनाओं संबंधी अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मद के बारे में भारत सरकार का निर्णय क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

†१९६२–६३ की वार्षिक योजना के संबंध में पंजाब सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये योजनाओं की एक विस्तृत सूची दी है। तीसरी योजना की योजनाओं को कुल अनुमानित लागत सहित यह सूची दी संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६।]**

कार्यक्रम तीसरी योजना में कार्यान्वित होने के लिये सामान्यतया अनुमोदित हो चुका है।

अम्बाला शहर के समीप बलदेव नगर

†१३६७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला शहर के पास बलदेव नगर नामी शरणार्थी बस्ती बहुत बुरी हालत में है और वहां नाली व्यवस्था तथा उचित सुविधाएं नहीं हैं ;

(ख) इसका कैसे प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ग) इस को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). बस्ती की सेवाओं का प्रबन्ध अम्बाला के स्थानीय निकाय के द्वारा किया जा रहा है। यह सूचना मिली है कि वह निकाय, अतिरिक्त गली प्रकाश और हाथ से चलने वाले नलों की व्यवस्था तथा बस्ती के प्राथमिक स्कूल को बढ़ाकर मिडिल स्कूल बनाने के द्वारा बस्ती की नागरिक सुविधाओं को सुधारने के लिये कार्यवाही कर रहा है।

कलकत्ता निलामी मूल्य

†१३६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूचना मिली है कि इस वर्ष कलकत्ता की नीलामियों में बहुत मूल्य गिर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जब कि, चालू मौसम में निर्यात नीलामी (८ अगस्त तक) बेची गई चाय और आन्तरिक नीलामी (२२ अगस्त, तक) बेची गई चूरा चाय के साप्ताहिक औसत मूल्य संतोषजनक थे, पिछली मौसम में बेची गई चाय के मूल्यों की तुलना में उसके बाद मूल्यों में गिरावट शुरू हो गई। पिछले मौसम के पहले भाग में भारी सूखे के कारण, उत्तर पूर्व भारत में १९६० में चाय के उत्पादन में कुछ मात्रा तक गिरावट आई, जिसका मूल्यों पर प्रभाव पड़ा। चालू वर्ष में अक्तूबर, १९६१ के अन्त तक उत्तर भारत में चाय का उत्पादन, पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग ६७८.३ लाख पौंड अधिक था। चालू मौसम में कलकत्ता की नीलामी में बेची गई चाय की कुल मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। नीलामी के मूल्यों में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि चालू वर्ष में चाय का अधिक उत्पादन

†मूल अंग्रेजी में

होने के कारण माल अधिक था। ८ नवम्बर तक कलकत्ता निर्यात नीलामियों में बेची गयी चाय का औसत मूल्य १९५९ के मौसम में, जो सामान्य मौसम था, बेची गई चाय के औसत मूल्य की तुलना में थोड़ा कम था।

बंगाल देशी रूई का निर्यात

†१३६९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल देशी रूई को केवल निर्यात के लिये घोषित करने के लिये बम्बई रूई मंडलों में एक आन्दोलन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). इस आशय का सुझाव एक रूई निर्यातक के द्वारा दिया गया था, किन्तु सरकार ने इसे व्यवहारिक नहीं समझा। देश के कुछ सूती मिलों द्वारा बंगाल देशी रूई की खास मांग है। इस रूई के और भी देशी उपभोग हैं।

पटसन का माल

†१३७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी खरीददारों को, जो केवल तैयार पटसन का माल लेने के लिये कलकत्ता आये थे, संभरण की कमी के कारण इस वर्ष सितम्बर–अक्तूबर, में खाली लौटना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विदेशी खरीददारों को उचित संभरण मिले इसके लिये तब से क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जब कि इस वर्ष सितम्बर/अक्तूबर, में पटसन के तैयार माल की कमी थी, सरकार को इस बात की सूचना नहीं है कि इस कारण किसी विदेशी खरीददार को खाली लौटना पड़ा था।

(ख) मिलों ने एक सप्ताह में ४८ घंटे काम करना ही आरम्भ नहीं किया बल्कि पटसन के माल के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से २½ प्रतिशत बन्द करघों को पुनः चालू कर दिया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

†१३७१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रतियां, लोक-सभा में पेश किये जाने से पहले समाचारपत्रों को दे दी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात प्रचलित क्रिया के प्रतिकूल है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना ७ अगस्त, १९६१ को प्रातः काल लोक-सभा में पेश की गई थी। प्रेस को अग्रिम प्रतियां इन हिदायतों के साथ दी गईं थीं कि वे उनको ७ अगस्त, १९६१ को १ बजे बाद दोपहर के पश्चात ही प्रकाशित करें।

वृद्ध नागरिकों को सहायता

†१३७२. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री चुन्नी लाल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वृद्ध नागरिकों के लिये जो कोई काम करने के लिये असमर्थ हैं तथा जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, क्या सहायता उपाय उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ कोई सहायता देने के बारे में बात की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में और केरल में लागू हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बूढ़ों और निराश्रित लोगों को पेंशन देने का फैसला किया है तथा ऐसी ही योजना मद्रास सरकार के विचाराधीन है। पंजाब सरकार ने बूढ़े और असमर्थ लोगों के लिये, जिन के पास निर्वाह का कोई साधन नहीं है, आश्रम खोल रखे हैं।

(ख) तीसरी योजना में बूढ़ों तथा असमर्थ एवं अपाहिजों के लिये सहायता विधि स्थापत करने के हेतु २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना का ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

त्रिपुनिथुरा में केबुल फैक्टरी

†१३७३. { श्री कोडियान :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३१ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सहयोग के साथ त्रिपुनीथुरा में एक तार फैक्टरी स्थापित करने के बारे में कोई अग्रतम प्रगति की गई है; और

(ख) फैक्टरी कब उत्पादन आरम्भ करने वाली है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ४० लाख रुपये के अंश जारी करने की अनुमति दे दी गई है। १० रुपये की लागत के ४ लाख अंश कम्पनी द्वारा जारी किये गये हैं और वे पूर्णतः खरीदे जा चुके हैं। केरल सरकार ने ३०,१७,००० रुपये के अंश खरीदे हैं और शेष अंश जनता के लिये थे। प्रति अंश ५ रुपया प्रार्थना पत्र के तौर पर प्राप्त हो चुके हैं। ५ रुपये की आवंटित राशि अब प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार ने अंश पूंजी अंशदान में से १५,२५,००० रुपये दे दिये हैं और शीघ्र ही शेष १४,९२,००० रुपये का अंशदान

†मूल अंग्रेजी में

देगी। कंपनी के दो निदेशक शीघ्र ही शेष १४ संयंत्र और मशीनरी आयात करने का ब्यौरा तयार करने के लिये जापान जाएंगे।

(ख) १६६२ के अन्त तक या १६६३ के आरंभ में फैक्टरी उत्पादन आरम्भ कर देगी ऐसी आशा है।

रूई का आयात

†१३७४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई सलाहकार बोर्ड ने चालू मौसम में १२ लाख गांठ कपास का आयात करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की कपास का आयात करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) रूई सलाहकार बोर्ड ने आयात की जाने वाली रूई की किस्म के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं दिया। आयात की व्यवस्था करते समय सरकार जितना अधिक संभव होगा लंबे रेशे वाली रूई मंगवाने का प्रयत्न करेगी।

सेवा निवृत्ति लोगों की पुनर्नियुक्ति

†१३७५. **श्री वामानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने विशेषीकृत कार्यों पर सेवा निवृत लोगों की पुनर्नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनको दिये गये कामों का स्वरूप क्या है ?

†**योजना उप मंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) और (ख). इस समय दो सेवा निवृत अफसर विशेषीकृत कामों पर पुनः नियुक्त किये गये हैं। वे हैं विशेषत कर्मण्य अधिकारी (वैज्ञानिक अनुसंधान) तथा स्वास्थ्य डिवीजन का प्रमुख। पहला अधिकारी योजना आयोग में लगाया गया था जब वह नौकरी पर था और वधिवयता प्राप्ति कर उसकी पुनर्भर्ती की गई थी। दूसरा अफसर एक राज्य सरकार का सेवा निवृत स्वास्थ्य निदेशक था, और उसकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किये गये चुनाव के आधार पर है। क्रमशः वैधानिक अनुसंधान तथा स्वास्थ्य प्रमुखों के डिवीजनों के प्रमुख के नाते, उन अफसरों को अपने अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, की योजनाओं को सभी समीक्षात्मक अध्ययन करना तथा उन क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर योजना आयोग को मशवरा देना है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

†१३७६. **श्री वामानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग में पिछले क्षेत्रों के विकास के प्रभार के तौर पर एक पृथक इकाई स्थापित की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसे क्या काम सौंपा गया है तथा इसने कब से कार्य आरम्भ किया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). योजना आयोग में विभिन्न राज्यों की कम आय वाले क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करने के लिये एक पृथक इकाई स्थापित की जा रही है ।

आसाम, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में उर्वरक परियोजना

†१३७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में नाहर कटिया उर्वरक परियोजना स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति की गई है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश एवं गुजरात में तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाली अन्य दो उर्वरक परियोजनाओं के संबंध में कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) परियोजना के लिये संयंत्र एवं मशीनरी संभरण करने के लिये, टेंडर आ चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है । १६०० एकड़ भूमि की कुल आवश्यकता में से ९०० एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिये अधिसूचना जारी की जा चुकी है । मिट्टी हटाने के सामान के लिये प्राप्त टेंडरों की जांच की जा चुकी है और उनके लिये आर्डर देने का काम आरम्भ किया जा चुका है । अपेक्षित निर्माण संबंधी उपकरण के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । टेंडर मंगवाने और सिविल कामों के लिये ठेके देने के बारे में संविदा के निदेश तथा शर्तें तैयार की जा रही हैं । साइडिंग बनाने के लिये विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने का काम रेलवे अपने हाथ में ले रही है । रेलवे साइडिंग के लिये भूमि अधिग्रहण करने का काम आरम्भ किया जा चुका है ।

(ख) और (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक लाइसेंस मैसर्स खंडेल वाल ब्रदर्स प्राइवेट सीमित को मध्य प्रदेश में, उड़ी के रूप में ५०,००० टन नाइट्रोजन तयार करने के लिये एक उर्वरक फैक्टरी लगाने के लिये दिया गया है । फैक्टरी स्थापित करने के स्थान के बारे में अभी विचार किया जा रहा है ।

भारत सरकार ने गुजरात में उर्वरक फैक्टरी लगाने के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । उसका ब्यौरा राज्य सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपभोक्ताओं की समस्या संबंधी गोष्ठी

†१३७८. श्री र० चं० बरुआ :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धी :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की उपभोक्ता संस्था द्वारा आयोजित उपभोक्ता समस्याओं संबंधी गोष्ठी अक्तूबर, १९६१ में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गोष्ठी में व्यक्त की गई उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान दिया है ;

(ग) कौन सी मुख्य समस्याएं व्यक्त की गईं; और

(घ) यदि सरकार ने उन समस्याओं को हल करने के बारे में कोई फैसला किया है तो वह क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ). इस गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशें हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई हैं और वे विचाराधीन हैं।

विस्थापित व्यक्तियों के पेंशन आदि के दावे

†१३७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पेंशनों, भविष्य निधि वेतन और छुट्टी वेतन के कितने मामलों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है ;

(ख) इन में से प्रत्येक श्रेणी के कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) अन्तिम रूप में कब तक उन का निपटारा हो जाएगा ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

पाकिस्तान द्वारा सत्यापित दावे

दावे का स्वरूप	पाकिस्तान सरकार को भेजे गये दावों की संख्या	पाकिस्तान द्वारा सुलझाये गये दावों की संख्या	३१-१०-१९६१ को बकाया
पेंशन .	३६७६	२०७६	१६००
भविष्य निधि .	७२४६	५३६६	१८८०
वेतन तथा छुट्टी वेतन .	८८८६	४६७६	४२१०
योग .	१९८०८	१२११८	७६९०

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दावे पाकिस्तान सरकार द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् ही निपटाये जा सकते हैं। अतः उन के सत्यापन के लिये कोई अवधि सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि हम लगातार मामले में उनको पूछते रहते हैं।

चीन को निर्यात

†१३८०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल की चीन के साथ व्यापार वार्ता के बारे में मालूम है; और

(ख) यदि हां, तो इसका चीन को भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोहा तथा इस्पात उद्योग में श्रमिक संबंध

†१३८१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग में औद्योगिक सम्बन्ध अपने हाथ में लेने का सरकार ने अन्तिम निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

इटली की सहायता से स्थापित होने वाले उद्योग

†१३८२. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मिलान की मान्टेसेटिनी नामक इटालियन फर्म ने भारत के से कहा है कि भारत में उद्योग स्थापित करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार को हाल में 'पोली प्रोपेलीन' के निर्माण के लिये मिलान के मैसर्स 'मान्टेसेटिनो' के सहयोग से भारत में एक कारखाना स्थापित करने के बारे में एक भारतीय फर्म की प्रार्थना मिली है। योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

हाल में ही 'मान्टेसेटिनी' के प्रबन्धक संचालक भारत आये थे और भारतीय पार्टियों के साथ सहयोग करके ऐसे उद्योग स्थापित करने के सामान्य प्रस्ताव पर विचारविमर्श किया था

---

†मूल अंग्रेजी में

जिन को उन्हें टेक्निकल जानकारी है। फिर भी, अभी सरकार को कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं मिले हैं ।

कपड़े का निर्यात

†१३८३. { श्री अगाड़ी :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने योरोपीय साझा बाजार की इच्छानुसार निम्न लागत पर उत्पादन करने वाले देशों से सूती कपड़े का निर्यात अस्थायी रूप से रोकना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय निर्माताओं को कोई आर्थिक सहायता या गारन्टी दी जाती है, और

(ग) क्या इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग (उपमंत्री श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). योरोपीय आर्थिक समुदाय ने निम्न लागत पर उत्पादन करने वाले देशों से अपना निर्यात प्रतिबन्धित करने को नहीं कहा है। फिर भी, जुलाई १६६१ में जनेवा में जी० ए० टी० टी० के तत्वावधान में सूती कपड़ा बनाने, निर्यात और आयात करने वाले मुख्य देशों की एक कान्फ्रेंस हुई थी । १ अक्तूबर, १६६१ से एक वर्ष के लिये इस कान्फ्रेंस में स्वीकृत व्यवस्था में भाग लेने वाले एक देश द्वारा दूसरे देश के प्रार्थना करने पर स्वीकृत आधार पर निर्यात पर स्वयं रोक लगाने का उल्लेख है । भाग लेने वाले किसी भी देश ने भारत से जनेवा करार की शर्तों के अनुसार ऐसी रोक लगाने की प्रार्थना नहीं की है ।

पंजाब, लाहौल, आदि संबंधी फिल्म का उत्पादन

†१३८४. **श्री हेम राज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ७ अगस्त, १६६१ के प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, लाहौल, स्पीती, कुल्लू और कांगड़ा घाटी पर फिल्में बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : पंजाब सम्बन्धी फिल्म का आगे निर्माण अक्टूबर, १६६१ में पुनरारम्भ न किया जा सका परन्तु दिसम्बर, १६६१ के अन्त में इसे पुनः आरम्भ करने का विचार है।

"कांगड़ा और कुल्लू" पर रंगीन दो फिल्में पहिले ही पूरी हो चुकी हैं । एक फिल्म "कांगड़ा और कुल्लू" नाम से निश्चित प्रकार के पर्दे के लिये और दूसरी फिल्म "देवताओं की घाटी" के नाम से 'सिनेमास्कोप' में चौड़े पर्दे के लिये बनाई गई है । लाहौल और स्पीती पर कोई अलग अलग फिल्म नहीं बनाई जा रही हैं । "कांगड़ा और कुल्लू घाटी" तथा "देवताओं की घाटी" नामक फिल्मों के वृतान्त में दो स्थानों का उल्लेख है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों की केन्द्रीय समिति

†१३८५. श्रीमती मैमूना सुल्तानः क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों की केन्द्रीय समिति ने उन्हें अपनी कुछ बस्तियों को देखने के लिये आने के लिये आमन्त्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं के अभाव के बारे में समिति ने बहुत सी शिकायतें की थीं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य शिकायतें क्या थीं ; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट, २, अनुबंध संख्या ५०]**

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर, लि०, अल्वाय

†१३८६. **श्री कोडियान** : क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्वाय में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, लि० के विस्तार प्रोग्राम को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो कितना बढ़ा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) विस्तार प्रोग्राम की प्रथम अवस्था १९६० के अन्त में पूरी हो गई थी। १९६१ के आरम्भ में वणिज्यक आधार पर उत्पादन आरम्भ हो गया था।

(ख) हां।

(ग) नाइट्रोजन की अधिष्ठापित क्षमता १०० प्रतिशत बढ़ गई है परन्तु वास्तविक उत्पादन विद्युत् के कम मात्रा में मिलने के कारण अब तक पूरा नहीं हुआ है। जनवरी से अक्टूबर, १९६१ तक का वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष के तत्स्थानी काल के उत्पादन की तुलना में निम्नांकित है (अर्थात् विस्तार से पहिले) :—

उत्पादन	मैट्रिक टन (जनवरी से अक्तूबर, १९६१ तक का उत्पादन)	
	१९६०	१९६१
अमोनियम सल्फेट . . .	३४,७२५	४२,८३७
अमोनियम फोस्फेट . . .	—	११,१७२
अमोनियम क्लोराइड . .	५,१५०	६,१३९

†मूल अंग्रेजी में

खानों म सुरक्षा संबंधी कान्फ्रेंस

†१३८७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों में सुरक्षा सम्बन्धी कान्फ्रेंस की कितनी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है ; और

(ख) कितनी स्वीकार नहीं की गई है या विचाराधीन हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). एक के अतिरिक्त सारी सिफारिशें स्वीकारकर ली गई हैं ।

मशीनी औजार उद्योग

†१३८८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मशीनी औजार उद्योग के विकास में उत्तम प्रकार का कच्चा लोहा न मिलने के कारण बाधा उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बाधा उत्पन्न हुई है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). कुछ फर्मों ने कुछ समय पहिले अभ्यावेदन किये थे जो कि कच्चे लोहे के संभरण में बिलम्ब होने तथा उन्हें गलत किस्म का लोहा देने के बारे में थे । इन कठिनाइयों का सामना करने के लिये सरकार उद्योग को सहायता देने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है । मशीनी औजार के कुल उत्पादन पर हुए प्रभाव का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

शोधक पदार्थों[1] का उत्पादन

†१३८९ { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि ऊष्मप्रदेशीय उत्पाद सम्बन्धी ब्रिटिश संस्था ने हाल में ही एक अनुसंधान किया है और पता लगाया है कि शोधकों के उत्पादन के लिये चावलों का प्रयोग किया जा सकता है और ये उत्पाद कभी कभी पेट्रोलियम से बने शोधकों की अपेक्षा उत्तम प्रकार के होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में शोधकों के उत्पादन की ऐसी कोई प्रणाली लागू करने का विचार है; इस प्रकार अतिरेक चावलों का प्रयोग होगा और इस वस्तु के आयात करने पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या योजना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (ग). हां, श्रीमान् । सरकार को अमरीका और ब्रिटेन में किये गये अनुसंधानों का पता है जिससे ज्ञात होता है कि शोधकों का

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Detergents.

उत्पादन चीनी से सन्तोषजनक ढंग से किया जा सकता है। फिर भी, अभी यह मामला प्रयोगावस्था में है और उत्पादन का अधिक लागत तथा प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं के कारण किसी ने वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। भारत सरकार इसके सम्बन्ध में घटनाओं पर रुचिपूर्वक ध्यान दे रही है और उसका विचार अतिरेक चीनी को शोधकों तथा अन्य रसायनों का इस देश में उत्पादन के लिये उपलब्ध करने पर जोर देने का विचार है।

दावेदारों को भुगतान

१३९०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित दावेदारों में से अब तक कितनों का भुगतान हो गया है ;

(ख) कुल मिला कर कितनी राशि उन्हें दी गई है; और

(ग) क्या कुछ दावेदारों का निर्णय होना अभी शेष है ?

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). सितम्बर, १९६१ के अन्त तक ४.९७ लाख दावेदारों को १९०.९१ करोड़ रुपये प्रतिकर के रूप में दिये जा चुके हैं।

(ग) ३०-९-६१ को केवल ६,००० मामले शेष थे।

अखबारी कागज नियंत्रण आदेश

†१३९१. श्री प्र० गं० देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अखबार संस्था ने अखबारी कागज़ नियन्त्रण आदेश में संशोधन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) मामला विचाराधीन है।

त्रिपुरा में जूट का मूल्य

†१३९२. श्री बांगशी ठाकुर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा में जूट १८ रु०, २० रु० और २२ रुपये मन बिक रहा है जिसके कारण जूट उत्पादकों को बड़ी हानि हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल में जूट का न्यूनतम मूल्य ४० रु० प्रति मन निर्धारित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में जूट का न्यूनतम मूल्य ४० रु० प्रति मन निर्धारित करने का है ?

+

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अगरतला में त्रिपुरा जूट का मूल्य १७ नवम्बर, १९६१ को २३ रु० मन था।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार द्वारा बनाये गये मकान, आदि

†१३९३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी बने मकानों, आदि की भूमि के मूल्य पर उन्हें पाने वालों को १० प्रतिशत छूट दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि यह छूट मई, १९६० से रोक दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि यह छूट उन दावेदारों को दी गई थी जिनके प्रतिकर सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों पर मई, १९६० से पहिले निश्चय किया गया था और उन दावा न करने वालों को भी दी गई थी जिन्होंने उस मास से पहिले २० प्रति शत की पहिली किस्त दे दी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो छूट उन दावे दारों को क्यों नहीं दी जा रही है जिन्होंने अपने प्रतिकर के प्रार्थनापत्र १९५४ में दिये थे परन्तु जिन के प्रार्थनापत्रों पर पुनर्वास अधिकारी मई, १९६० तक निर्णय नहीं कर सके ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में ग्रामीण निष्क्रांत सम्पत्ति

†१३९४. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के राज्य क्षेत्र में कुछ ग्रामीण निष्क्रान्त भूमि जो विस्थापित व्यक्तियों को दी गई थी, दस वर्ष बाद उपनगरीय भूमि घोषित की गई है;

(ख) क्या इस प्रकार दी गई जमीनों का नियतन रद्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यवाही से नुकसान उठाने वाले मालिकों को प्रतिकर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) दिल्ली के कुछ क्षेत्र १९५८-५९ में नागरिक क्षेत्र घोषित किये गये थे ।

(ख) और (ग). दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी आधार पर भूमियां दी गई थीं और वे पट्टे पर दी गई थीं । इन जमीनों के विक्रय के समय, उनके मालिक पट्टेदार उन्हें अपने जमीनों के दावे या रक्षित मूल्य पर अपने नाम करा सकते थे । जिन मामलों में मालिकों ने यह व्यवस्था स्वीकार नहीं की, उनके पट्टे रद्द कर दिये गये । इनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों की जिनके कृषि भूमि के दावों का निश्चय हो गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक जमीन दे दी गई है । शेष व्यक्तियों को नगरीय सम्पत्ति खरीदने के लिये अपने दावों का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

†१३९५. **श्री बलराज मधोक** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक पुनर्वास मंत्रालय द्वारा बनाये गये तथा विस्थापितों को दिये गये कितने मकान पहिले ही पूरा मूल्य ले कर दिये गये थे, कितने किस्तों पर दिये गये थे और कितने

---

†मूल अंग्रेजी में

सबसे अधिक बोली लगाने वालों को दिये गये थे ; और

(ख) पहिली किस्त समय पर न दे पाने के कारण कितने मालिकों से, जिन्हें मूलतः मकान दिये गये थे, मकान खाली करा लिये गये हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दिल्ली में लगभग ३८,००० मकान बनाये गये हैं । इन में कई हज़ार मकान पूरे मूल्य पर बेच दिये गये हैं और लगभग उतने ही मकान प्रतिकर योजना के अधीन किस्तों पर दे दिये गये हैं। यदि किसी विशेष बस्ती के बारे में जानकारी चाहिये, तो उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये दुकानें

†**१३६६. श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक विस्थापितों के लिये मकानों व दुकानों के निर्माण पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) ऐसे मकानों व दुकानों के मूल्य की मद में, विस्थापित मालिकों से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या कोई राशि अप्राप्य राशि के रूप में बट्टेखाते में डाली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) लगभग २० करोड़ रुपये ।

(ख) अगस्त, १९६१ तक १३.२७ करोड़ प्राप्त हुये हैं ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारी

†**१३६७. श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५७; अप्रैल, १९५८; अप्रैल, १९५९; अप्रैल, १९६०; और अप्रैल, १९६१ में क्रमानुसार तथा वर्गानुसार पुनर्वास मंत्रालय में कुल कितने कर्मचारी थे ;

(ख) इन वर्षों में प्रति वर्ष वर्गानुसार कितने कर्मचारी नौकरी से निकाले गये ;

(ग) छटनी किये गये कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को भारत सरकार के अन्य विभागों में वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं ;

(घ) क्या इन छटनी किये गये और पुनः नियुक्त किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता तथा वेतन वही रखा गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"बुद्ध का जीवन" नामक जापानी फिल्म

†१३९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एक भारतीय प्रतिनिधि पांच अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ जापानी विदेश मंत्री से मिले थे और "बुद्ध का जीवन" नामक फिल्म को धर्म-विरोधी बताकर उसका विरोध किया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हां, श्रीमान् । जापान में हमारे राजदूत वर्मा, श्री लंका, लाओस और थाईलैंड के राजदूतों तथा पाकिस्तानी राजदूतालय के अन्त:कालीन दूत २५ अक्तूबर, १९६१ को जापान के विदेश मंत्री से मिले थे और "शक्या" फिल्म के विरुद्ध आपत्तिजनक दृश्यों के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध किया। उपयुक्त कार्यवाही उस समय की जायेगी जबकि इस फिल्म को भारत में दिखाने की अनुमति मांगी जायेगी, बशर्ते कि इसमें वे आपत्तिजनक दृश्य बने रहें ।

रेडियो सक्रिय धूल

†१३९९. **श्री रमेश प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि हाल के विस्फोटों के पश्चात् जनमत शिक्षित करने के लिये रेडियो सक्रिय धूल के बारे में वैज्ञानिक परिज्ञान को लोकप्रिय किया जाये ; और

(ख) रेडियो सक्रिय धूल से इस देश को कब तक खतरे की संभावना बनी रह सकती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां। अणुशक्ति विभाग द्वारा संग्रह किये गये रेडियो सक्रिय धूल संबंधी आंकड़ों का व्यापक परिचालन किया जाता है और उन्हें देश के विज्ञान संबंधी जर्नल अर्थात् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा जर्नल, चिकित्सा विज्ञान का भारतीय जर्नल, ऋतु विज्ञान और भूभौतिकी का भारतीय जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। धूल के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों को और अधिक प्रचारित करने का विचार है ।

(ख) हाल के परीक्षण विस्फोटों के फलस्वरूप रेडियो सक्रिय धूल का उच्च स्तर अभी एक वर्ष अथवा इससे अधिक रहने की संभावना है। उसके पश्चात् स्तर कम हो जायेगा। यद्यपि रेडियो सक्रियता की कुछ किस्में उसके बाद भी कई वर्षों तक बनी रह सकती हैं। रेडियो सक्रियता के वर्तमान स्तर में जन स्वास्थ्य के लिये हानिकर कोई बात नहीं है।

मंगला बांध

†१४००. { **श्री कालिका सिंह** :
श्री हेम राज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधु कमीशन ने विगत नवम्बर के दूसरे सप्ताह में मंगला बांध के स्थान का दौरा किया था ;

(ख) इस यात्रा का क्या अभिप्राय था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मंगला बांध और झेलम नदी के किनारे अधिकृत काश्मीर में उससे संबंधित निर्माण कार्य किसी भी रूप में सिंध जल बेसीन संधि के अन्तर्गत आते हैं ; और

(घ) क्या सिंधु कमीशन मंगला बांध से संबद्ध निर्माण कार्य का अनुमोदन करने में सक्षम है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) मिलेजुले निरीक्षण का प्रयोजन स्थायी सिंधु कमीशन द्वारा निरीक्षित निर्माण कार्यों से संबंधित तथ्यों की पुष्टि करना था ।

(ग) और (घ). सिंधु बेसीन के अधीन नदियों पर सब निर्माण कार्यों का कमीशन निरीक्षण कर सकता है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस प्रकार के कार्यों के संबंध में अथवा उसके अनुमोदन से कमीशन का कोई संबंध है ।

जम्मू और काश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१४०१. **श्री बलराज मधोक :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत भागों के दिल्ली में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में फ्लैट का आवंटन करने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने प्रार्थनापत्र आये हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग). जम्मू और काश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के साथ दिल्ली में मकानों/फ्लैटों के आवंटन के संबंध में वैसा ही व्यवहार किया गया है जैसा पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के साथ । पुनर्वास बस्तियों में फ्लैट के आवंटन के लिये अलग प्रार्थनापत्र आमंत्रित करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

दिल्ली में भूमिगत पानी का स्तर

†१४०२. **श्री बलराज मधोक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिगत पानी के स्तर में वृद्धि के संकट का सामना करने के लिये दिल्ली में कितन नलकूप खोदे गये हैं ;

(ख) इस प्रकार के नलकूप किन किन बस्तियों में खोदे गये हैं ; और

(ग) जमुना के पार की बस्तियों में पानी के धरातल में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये सरकार ने वहां पर भी नलकूप खोदने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) ३०३ नलकूप ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) बस्तियों के नाम इस प्रकार हैं :—

तुर्कमान गेट, रामलीला ग्राउन्ड, मिन्टो रोड, बेला रोड, राऊज एवेन्यू, मथुरा रोड, जूलोजिकल गार्डन्स, रिंग रोड, लोदी रोड, सेवा नगर, मान नगर, शान नगर, विनय नगर, रेस कोर्स, चाणक्यपुरी, मेडिकल एन्कलेव, अकबर रोड, इण्डिया गेट, यार्क रोड, हैस्टिंग्ज रोड, कनाट प्लेस, कर्जन रोड, गोल मार्केट, गोल पोस्ट आफिस, तालकटोरा गार्डन, रीडिंग रोड।

(ग) सरकार ने इन बस्तियों में इस समस्या का परीक्षण नहीं किया है और वहां इसे हल करने के लिये अभी कदम नहीं उठाये गये हैं।

किदवई नगर नई दिल्ली में "एच" टाइप क्वार्टर

१४०३. **श्री बलराज मधोक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किदवई नगर में क्वार्टरों के पानी नाली द्वारा बाहर ले जाने का कोई प्रबन्ध नहीं है जिसके कारण "एच" टाइप क्वार्टरों की सभी गलियां गन्दे पानी से अटी रहती हैं ; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख), बरसाती पानी के लिये पहले बनाई गई नालियां अपर्याप्त थी। जलोत्सारण (ड्रेनज) व्यवस्था को पर्याप्त बनाने का काम पूरा होने वाला है।

पांडिचेरी में उद्योग

†१४०४. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी में १९६१ में कितने उद्योगों के प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति दिये जाने की आशा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों का ब्यौरा एवं उनमें लगने वाली पूंजी कितनी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]।

जम्मू और काश्मीर राज्य में उर्वरक कारखाना

†१४०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में लिग्नाइट और जिप्सम पर आधारित उर्वरक के कारखाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

छंटनी शुदा कर्मचारियों को अवसान अवकाश[1]

†**१४०६. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९३ के उत्तर के संबंध में, जो पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी के बारे में है, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छंटनी शुदा कर्मचारियों को प्रार्थना पत्र देने पर अवसान अवकाश (टर्मिनल लीव) मंजूर किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों की भी छुट्टियां स्वीकार की थीं जिन्होंने इस के लिये प्रार्थना पत्र नहीं दिये ;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे उदाहरण आये हैं जहां न तो छंटनी शुदा कर्मचारियों ने अवसान अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे और न सरकार ने ही उन से ऐसा करने के लिये कहा ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को अवसान अवकाश छंटनी के बाद जब कुछ समय पश्चात् उन्होंने प्रार्थना पत्र दिये तब स्वीकृत की गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

अणु शक्ति विभाग के वैज्ञानिकों के वेतन क्रम

†**१४०७. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु-वैज्ञानिकों के लिये नवीन वेतन-क्रम निश्चित किये गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो वेतन-क्रम क्या है ; और

(ग) इन वेतन-क्रमों और अन्य क्षेत्रों में समानवर्ती श्रेणी के वैज्ञानिकों के वेतनक्रमों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अणु-शक्ति प्रतिष्ठान ट्राम्बे में नियोजित टेक्नीकल और वैज्ञानिक कर्मचारियों के नवीन वेतन क्रम निश्चित कर दिये गये हैं। नये वेतन क्रम १ जुलाई, १९५९ से लागू किये गये हैं।

(ख) और (ग) : दो विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं :—एक में ट्राम्बे प्रतिष्ठान में विभिन्न वैज्ञानिक और टेक्नीकल पदों के वर्तमान तथा नये वेतन क्रम और वैज्ञानिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Terminal Leave of Retrenched Employees.

तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् और प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा के अधीन सम्तुल्यी वेतनक्रम से उनकी तुलना की गई है और दूसरे में ट्राम्बे प्रतिष्ठान में विशेष गवेषणा वेतन क्रम बताये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]।**

एंड्रूजगंज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१४०८. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एण्ड्रूजगन्ज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर में पानी की दरें दूसरी बस्तियों में इस प्रकार के समान क्वाटरों से अधिक तय की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा में और क्यों; और

(ग) क्या उपरोक्त क्वार्टरों में रहने वालों से कंजरवेंसी शुल्क अधिक वसूल करने के कारण उन्हें उचित हिस्सा लौटा दिया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) अन्य बस्तियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्वार्टरों के लिये पानी की दरें प्रति क्वार्टर १ रुपया ८० नये पैसे हैं जब कि एन्ड्रूजगंज में इसी प्रकार के क्वार्टरों के लिये यह प्रति क्वार्टर २ रुपये ५० नये पैसे है। एन्ड्रूज गन्ज में दिल्ली नगर निगम ने तदर्थ दर निश्चित कर दी गई थी क्योंकि यहां पर पानी का सम्बन्ध कारपोरेशन "मैन" से है और क्वार्टरों में अलग अलग मीटर नहीं हैं।

(ग) उन्हें अतिरिक्त राशि लौटा दी गई है ।

होटल जनपथ

†१४०९. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल जनपथ में घटिया भोजन परोसा जाता है और कमरों की अवस्था अत्यंत शोचनीय है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवस्था के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

चाय का निर्यात

†१४१०. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात के लिये चाय बागानों को कोटे के आवंटन की वर्तमान पद्धति हाल में रोक दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नवीन पद्धति के अन्तर्गत चाय के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). देश की मौजूदा अर्थ-व्यवस्था के हित के लिये जब आज कल निर्यात बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तो इस स्थिति को दृष्टिगत करते हुए कोटा पद्धति के माध्यम से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना समयोचित नहीं होगा। यद्यपि निर्यात कोटा पद्धति के अस्थायी स्थगन से निर्यात पर प्रत्यक्ष अथवा तुरन्त कोई प्रभाव न हो क्योंकि इसका संबंध में मुख्यतः विश्व में संभरण और मांग की शक्तियों पर निर्भर है फिर भी इस से निर्बन्ध निर्यात में सुविधाएं उत्पन्न होंगी।

चाय का उत्पादन और कीमत

†**१४११. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब चालू वर्ष के प्रथम नौ महीने में चाय का उत्पादन बढ़ गया है उसका मूल्य स्तर बराबर कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विदेशी मुद्रा आय पर इन दो तथ्यों का विगत दो वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या प्रभाव होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). १९६१ के प्रथम नौ महीनों में भारत में चाय का कुल उत्पादन ५४९०.४ लाख पौंड था जब कि १९६० की समनुवर्ती अवधि में यह ४८७०.३ लाख पौंड था। कोचीन में नीलामी में दक्षिण भारतीय चाय की चालू वर्ष में १४ नवम्बर तक औसत कीमत गत वर्ष की समनुवर्ती अवधि से अधिक थी। निर्यात की जाने वाली चाय की औसत साप्ताहिक कीमत (८ अगस्त तक)। और आन्तरिक चूरा चाय (२२ अगस्त तक) चालू मौसम में कलकत्ता की नीलामी के दौरान पिछली मौसम में बिकी चाय की कीमतों प्राप्त रकम की तुलना में गिरावट की ओर थी। उत्तर भारत की चाय में नीलामी की कीमतें कम होने का कारण चालू वर्ष में चाय का उत्पादन अधिक होने से बाजार में उसकी अधिक मात्रा उपलब्ध होना है।

(ग) भारत से चाय का कुल निर्यात १९६१ में अक्तूबर के अंत तक ३२९०.९८ लाख पौंड और कीमत ९२ करोड़ ३८ लाख रुपये है जब कि १९६० और १९५९ में यह क्रमशः ३०४०.०९ लाख पौंड और कीमत ८५.३१ करोड़ रु० तथा ३४७०.१९ लाख लाख पौण्ड और ९१.५६ करोड़ रु० थी। यदि निर्यात की वर्तमान प्रवृत्ति बनी रहती है तो आशा है कि चालू वर्ष में ४७५० लाख पौण्ड चाय, १२६ करोड़ रुपये की कीमत का, निर्यात होगा जब कि १९६० और १९५९ में यह क्रमशः ४३०० लाख पौण्ड, कीमत १२१ करोड़ रुपये तथा ४७२० लाख पौण्ड, कीमत १२६ करोड़ रुपये थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मालेगांव (महाराष्ट्र) में कताई का कारखाना

†१४१२. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालेगांव जिला, नासिक, महाराष्ट्र के कताई के कारखाने के लाइसेंस की प्रार्थनाएं सरकार के सामने विचारार्थ रखी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में किन से बात चीत की गई है ;

(ग) बिजली से चलने वाले करघों के लिये, जिन में अनधिकृत और हथकरघे भी सम्मिलित हैं, विभिन्न प्रकार के कितने सूत की पालेगांव में वार्षिक आवश्यकता है ;

(घ) क्या यह सच है कि नासिक जिले का एक भाग जहां मेलगांव स्थित है, कपास उत्पादन के क्षेत्र में स्थित है ; और

(ङ) इस कतई के कारखाने को लाइसेंस देने में सरकार को कितना रुपया लगेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) नासिक के श्री चन्दूलाल वीर चन्द और मालेगांव के श्री हाजी ए० बी० हकीम और मैसर्स भारत कामर्स इण्डस्ट्रीज ।

(ग) अनधिकृत हथकरघों की आवश्यकता के लिये सूत की अनुमानित मात्रा उपलब्ध नहीं है । बिजली से चलने वाले अधिकृत करघों और हथकरघों की आवश्यकता लगभग ३० से ४० लाख पौण्ड सूत है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) महाराष्ट्र राज्य में नये यूनिटों के लिये कतलों को लाइसेंस देने के विषय पर शीघ्र निर्णय किया जाने वाला है ।

राज्य व्यापार निगम

†१४१३. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम में ५०० रुपये और इस से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की कितनी संख्या है ;

(ख) इन में से कितने अधिकारी केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से लिये गये हैं और कितने सीधे नियुक्त किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) व्यापार सम्बन्धी किस विशेष ज्ञान के आधार पर उन अधिकारियों को राज्य व्यापार निगम में लिया गया है ; और

(घ) इन में से कितने अधिकारी केन्द्रीय सरकार निर्धारित से अधिक व्यय की श्रेणी में हैं और किन विशेष अर्हताओं के आधार पर उन्हें राज्य व्यापार निगम में लिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) ११७ अधिकारी ।

(ख) सरकारी विभागों से डेपूटेशन पर . . .	४७
अधिक व्यय वाले . . . . . . केंद्रीय सरकार से निर्धारित से	८
गैर सरकारी साधन से डेपूटेशन पर . . .	१
सीधे नियुक्त किये गये	६१
कुल . .	११७

(ग) और (घ). इन अधिकारियों को इस लिये चुना गया था कि प्रशासन, वाणिज्यिक, आय-व्यय परीक्षा और लेखा सम्बन्धी अनुभवों के बारे में निगम द्वारा निर्धारित अर्हता की वे पूर्ति करते थे ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वर्दियां देना

†१४१४. **श्री अमजद अली** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के नियमित और मजूरी देकर काम कराने वाले कार्यालयों में ३१ अक्तूबर, १९६१ को कितने कर्मचारी थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें, सरकार द्वारा वर्दी दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो वह कैसी होती है और वर्दी देने का क्या तरीका है ;

(घ) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर गया है कि कर्मचारियों को वर्दी देने में असाधारण विलम्ब हुआ है ;

(ङ) क्या असाधारण और अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिये राजधानी में सेन्ट्रल स्टोर डिवीजन जैसा कोई संगठन स्थापित किया जायेगा जो कर्मचारियों को पहचान-पत्र दिखाने पर वर्दी दे दे ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :**

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
(क) (१) **मजूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी जो नियमित कार्यालयों में नियुक्त किये गये** . . .	१४०१
(२) **मजूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी**	जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती ।
(ख) (१) **मजूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी जो नियमित कार्यालयों में स्थानान्तरित किये गये**	जी, हां । अन्य नियमित कर्मचारियों को लागू होने वाले आदेशों के अनुसार ।
(२) **मजूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी** .	जी, हां । अनुबन्ध १ में जैसा बताया गया है ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]

(ग) अपेक्षित जानकारी अनुबन्ध २ में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]** ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति के सेक्शन अफसर (सिविल)

†**१४१५. श्री अमजद अली :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० पी० डब्ल्यू० डी० में अनुसूचित जाति के सेक्शन अफसरों को ३३५—१५—४८५ का सिलेक्शन ग्रेड देने का क्या तरीका है ;

(ख) ऐसे कितने अफसरों को उपरोक्त ग्रेड दिया जा चुका है; और

(ग) १९६१-६२ में अनुसूचित जाति के कितने सेक्शन अफसरों (सिविल) को यह ग्रेड दिया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). सी० पी० डब्ल्यू० डी० में सेक्शन अफसरों (सिविल) के लिये ३३५—१५—४८५ का सिलेक्शन ग्रेड अप्रैल, १९६१ में निर्माण किया गया है । सेक्शन अफसरों को (१८०-१०-२९०—१५—३०० रु०) के ग्रेड से तरक्की दे कर उनकी इस ग्रेड में नियुक्ति सितम्बर, १९६१ में बनाये गये नियमों के अनुसार की जाती है जिसकी एक प्रति संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]** । इस ग्रेड के लिये जिन अफसरों को पदोन्नति दी जानी है उनका चुनाव अभी

†मूल अंग्रेजी में

किया नहीं गया है। तरक्की दे कर भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के अफसरों के लिये कोई विशेष रक्षण नहीं है।

मजूरी के आधार पर नियुक्त कर्मचारी

†१४१६. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिये हैं कि काम के आधार पर मजूरी प्राप्त करने वाले जिन कर्मचारियों की स्थायी काम के लिये आवश्यकता हो उन्हें नियमित बना दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी नियमित बना दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि काम के आधार पर मजूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी अंश-दायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत नहीं आते; और

(घ) यदि हां, तो इस विभेद के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजूरी देकर काम कराने वाले कार्यालयों में १ अप्रैल, १९५८ से ३८३९ स्थायी पद निर्माण करने के लिये आदेश १२ अगस्त, १९५९ को जारी किया गया था। सेवा अभिलेखों की जांच करने के बाद अब तक २९६५ कर्मचारियों को स्थायी कर देने की सिफारिश की जा चुकी है।

इन कार्यालयों में और स्थायी पद के निर्माण का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(ग) जी, हां।

(घ) मजूरी प्राप्त करने वाले दिल्ली के कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

शरणार्थियों को ऋण

†१४१७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई राज्यों में शहरों में रहने वाले जिन शरणार्थियों के कोई दावे नहीं थे उन्हें दिये गये ४०० रुपये से कम ऋण माफ कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या संघ राज्य-क्षेत्र के निवासी शरणार्थियों को दिये गये ऐसे ऋण अब तक माफ नहीं किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस असगति को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां। किन्तु यह सीमा ३०० रुपये है, न कि ४००।

(ख) ये आदेश संघ राज्य-क्षेत्रों को भी लागू होते हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीपों की खरीद

†१४१९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्ज़, चौद्वार, दी कलिंग ट्यूब्ज़ एण्ड दी कलिंग इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, उड़ीसा को १९६०–६१ और १९६१–६२ में जीपों की खरीद के लिये कोई कोटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना-कितना कोटा दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं। जीप गाड़ियों के वितरण और उनकी खरीद पर कोई नियंत्रण नहीं है। इन गाड़ियों के निर्माता गाड़ियों को अपने वितरकों को प्रति मास बचे हुए आर्डरों के आधार पर बेच देते हैं और ये वितरक अपने व्यापार क्षेत्रों की मांग और उपलब्धि के अनुसार गाड़ियों का वितरण करते हैं। किसी ग्राहक, व्यक्ति, कम्पनी या सरकारी विभाग के लिये कोटा निर्धारित करने या देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आयात व्यापार नियंत्रण संगठन

†१४२०. **श्री बर्मन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात व्यापार नियंत्रण संगठन में काम कर रहे नियंत्रकों तथा सहायक नियंत्रकों के वेतनक्रम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नगर प्रतिकरात्मक भत्ते में कटौती की गई है और भविष्यनिधि के लिये कुछ राशि अनिवार्य रूप से काट ली जाती है; और

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इन दो श्रेणियों के वेतनक्रम अन्तिम रूप से निर्धारित करने में कितना समय लगेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हाँ। ये वेतनक्रम वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद निर्धारित किये गये हैं और अधिसूचना जारी की जा रही है।

(ख) वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद केवल बम्बई और कलकत्ता स्थित नियंत्रकों और सहायक नियंत्रकों का नगर प्रतिकरात्मक भत्ता कम कर दिया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से सामान्य भविष्य-निधि के लिये अनिवार्य रूप से कटौती की जा रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात व्यापार नियंत्रण संगठन

†१४२१. **श्री बर्मन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात व्यापार नियंत्रण संगठन में कुल कितने नियंत्रक तथा सहायक नियंत्रक हैं ;

(ख) इन में से कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के हैं; और

(ग) इनमें से कितने लोग गत पांच वर्षों में स्थायी बना दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

श्रेणी का नाम	श्रेणी में अधिकारियों की कुल संख्या	श्रेणी में अधिकारियों की संख्या		स्तंभ ३ और ४ के स्थायी किये गये अधिकारियों की संख्या	टिप्पण
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति		
नियंत्रक	४२	२	--	--	ये अधिकारी बारी आने पर स्थायी किये जायेंगे ।
सहायक नियंत्रक	११६	१८	१	--	

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के मामले

१४२२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग के कितने अफसरों के खिलाफ दुर्विनियोग और गबन के मामले दर्ज किये गये ;

(ख) ये मामले किस प्रकार के हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन अफसरों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

जयपुर हाउस के क्वार्टरों से वसूल किये गये पानी के किराय की वापसी

१४२३. श्री बलराज मधोक : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जयपुर हाउस के क्वार्टरों में रहने वाले दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों से २७ सितम्बर, १९५८ से २३ अक्तूबर, १९५८ तक का २८ दिन की अवधि के लिये प्रति क्वार्टर पीछे पानी के किराये की मद में ४३ रुपये ५० नये पैसे वसूल किये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जयपुर हाउस में रहने वाले कर्मचारियो ने पानी के इतने अधिक किराये के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने का प्रयत्न किया और उसने किराये की अधिक राशि लौटाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, नहीं। अक्तूबर, १९५८ के पानी के किराये के बिल में पिछले १२ महीने की बकाया राशि भी शामिल है। इसलिये अक्तूबर, १९५८ का ४३.५० रुपये का जो बिल है वह केवल उसी महीने के पानी का किराया नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी हां। पानी का मीटर काम नहीं कर रहा था और उसे अक्तूबर, १९५८ में ठीक कर दिया गया है। नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने उस महीने की पानी की खपत को पहले १२ महीनों के लिये किराया वसूल करने का आधार मान लिया जो कुछ ज्यादा था। इस बीच नई दिल्ली नगरपालिका समिति पानी का किराया कम करने पर सहमत हो गई है और उन कर्मचारियों को राशि लौटायी जा रही है ।

मलाया और सिंगापुर को निर्यात

१४२४. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि सिंगापुर तथा मलाया के साथ हमारे देश का निर्यात व्यापार गिरता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) भारत से मलाया संघ और सिंगापुर को १९५४ से किये गये निर्यात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

मलाया संघ को निर्यात

	(लाख रु० में)
१९५६	४,०५
१९५७	४,१४
१९५८	४,९०
१९५९	४,९०
१९६०	४,६७
जनवरी से अगस्त, १९६१	५,४५ (जब कि १९६० की इसी अवधि के आंकड़े २८७ थे)

सिंगापुर को निर्यात

	(लाख रु० में)
१९५६	७,६६
१९५७	९,०८
१९५८	१०,४४
१९५९	७,६५
१९६०	६,९२
जनवरी से अगस्त, १९६१	५,७९ (जब कि १९६० की इसी अवधि के आंकड़े ४४२ थे)

१९५७ और १९५८ में जो वृद्धि हो गई थी उसका कारण चीनी और नकली वस्त्रों का अधिक निर्यात किया जाना था। १९६० में हुई कमी का प्रमुख कारण इन वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाना था। तब से निर्यात बढ़ता जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में रेडियो स्टेशन

†१४२५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में कितने रेडियो स्टेशन खोले जायेंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : तीसरी योजना में आंध्र प्रदेश में कोई बड़े रेडियो स्टेशन तो नहीं खोले जा रहे हैं किन्तु दो नये मीडियम वेव ट्रांसमिटर स्थापित किये जा रहे हैं और वर्तमान ट्रांसमिटरों में से एक की शक्ति बढ़ाई जा रही है। वर्तमान स्टेशनों के प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने के लिये विशाखापत्तनम् और कुड्प्पा में दो रिले ट्रांसमिटर स्थापित किये

†मूल अंग्रेजी में

जा रहे हैं। हैदराबाद स्थित मीडियम वेव ट्रांसमिटर की शक्ति बढ़ाई जा रही है। शहरी श्रोताओं को सुगम संगीत सुनाने के लिये एक और "चैनल" की व्यवस्था करने हेतु हैदराबाद और विजयवाड़ा में दो कम शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमिटर स्थापित किये जायेंगे।

श्रमिक संबंध अनुसंधान संस्था

†१४२५-क. { श्री न० म० देव :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने श्रमिक सम्बन्ध अनुसन्धान संस्था के जरिये श्रमिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्रमिक सम्बन्ध की केन्द्रीय संस्था स्थापित होने पर वह श्रम के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य को सहायता और प्रोत्साहन देने लगेगी।

अखबारी कागज का दुरुपयोग

१४२५-ख. { श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा अखबारी कागज के दुरुपयोग के बारे में जो जांच पड़ताल की जा रही थी, क्या इस बीच वह पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). कुछ वास्तविक उपभोक्ताओं के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो गई है और उसकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। कुछ अन्य उपभोक्ताओं के बारे में अब भी जांच हो रही है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साहित्य का संग्रह और प्रकाशन

†१४२५-ग. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों और साहित्य के संग्रह और प्रकाशन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : विदेशों से पहले जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसके अलावा कुछ और भाषण, जो १९३८ और १९३९ से संबंधित हैं, पांडुलिपि में शामिल कर लिया गया है जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। लेखक से जीवनी की प्रस्तावना इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेजर गागारिन की भारत यात्रा

†१४२५-घ. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत अन्तरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागारिन को भारत की यात्रा का आमंत्रण दिया था ;

(ख) मेजर गागारिन ने किन किन स्थानों का भ्रमण किया ;

(ग) उन्होंने भारत में क्या महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये ; और

(घ) क्या देश के वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष यात्रा के बारे में उनकी भावनायें जानने के लिये उनसे मुलाकात की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद ।

(ग) यह जानकारी मेजर गागारिन द्वारा समाचारपत्रों को दिये गये वक्तव्यों में उपलब्ध है ।

(घ) मेजर गागारिन की विशेषज्ञों से कोई विशेष मुलाकात नहीं करायी गयी। किन्तु अन्तरिक्ष यात्रा के दौरान उनकी भावनायें क्या थीं यह उन्होंने अपने वक्तव्यों में कह दिया है ।

दण्डकारण्य परियोजना

†१४२५-ङ. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों के हाल ही में पुनरवापण के लिये और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों और भूमिहीन आदिवासियों को आवंटन के लिये दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को हजा ों एकड़ भूमि दी है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों सरका ों में से प्रत्येक ने ठीक कितने एकड़ भूमि दी है ;

(ग) इस कुल भूमि में से कितनी भूमि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन के लिये है ; और

(घ) इस भूमि के पुनरवापण के लिये की गयी और की जाने वाली व्यवस्था का क्या ब्योरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) जुलाई १९६१ तक उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को लगभग १,५५,१५८ एकड़ भूमि दी गई जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

उड़ीसा सरकार :

	एकड़
उमेरकोट जोन	२०,५९३
रायगढ़ जोन	३३,१९१
मलकानगिरी जोन	३८,६२६
कुल	९२,४१०

मध्य प्रदेश सरकार :

परालकोट जोन	५८,७५५
फरसगांव जोन	३,९९३
कुल	६२,७४८

(ग) पुनरवापित भूमि का ७५ प्रतिशत भाग पश्चिम बंगाल में शिविरों में विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन के लिये है।

(घ) फारसगांव और उमेरकोट में भमि को पुनरवापित किया गया है। रायगढ़ और परालकोट में पुनरवापण-कार्य जारी है और इसके अगले मानसून तक पूरा हो जाने की आशा है। मलकानगिरी के क्षेत्र का अभी पुनरवापण के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है। दण्डकारण्य में सारा पुनरवापण-कार्य मशीनों द्वारा, विभागीय रूप से किया जा रहा है।

यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का शामिल होना

†१४२५-च. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सूपकार :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होता है, तो क्या इस बीच निर्यात में होने वाली अनुमानित हानि का कोई निर्धारण कर लिया गया है ; और

(ख) क्या इस बारे में ब्रिटन से कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त हो गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). यूरोपीय समुदाय में ब्रिटेन के शामिल होने से हमारे निर्यात पर बुरे अथवा अच्छे प्रभाव का निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है जब उसमें ब्रिटेन की सदस्यता की शर्तों का, जिनके बारे में बातचीत चल रही है, पता चल जाये ।

आणविक परीक्षणों पर प्रतिबन्ध संबंधी जेनेवा सम्मेलन

†१४२५-छ. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधारमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आणविक परीक्षणों पर रोक संबंधी जेनेवा सम्मेलन की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या इस बारे में रूस और ब्रिटेन के बीच समझौता कराने के लिये सम्मेलन हो रहा है या होने की संभावना है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). आणविक अस्त्र परीक्षणों को बन्द करने संबंधी सम्मेलन ९ सितम्बर, १९६१ को अल्पावकाश के लिये समाप्त हो गया था । अब यह २८ नवम्बर, १९६१ को फिर आरम्भ हो गया है। यह आशा की जाती है कि इसमें कोई समझौता हो जायेगा ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†१४२५-ज. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय राष्ट्रजनों के प्रति व्यवहार के बारे में दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ बातचीत करने के लिये उठाये गये कदमों का क्या परिणाम निकला ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : गणतन्त्र दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ व्यवहार के प्रश्न पर भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिये भारत सरकार की प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया । भारत सरकार ने एक बार फिर यह प्रश्न महासभा के चालू सत्र में उठाया है। महासभा की विशेष राजनीतिक समिति ने सर्वसम्मति से २५ नवम्बर को भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिये दक्षिण अफ्रीका को कहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा के लिये टेलीविजन

†१४२५-क्ष. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के लिये टेलीविजन का इस्तेमाल करने की कितनी सम्भावनायें हैं, इस संबंध में क्या खोज की गई है ;

(ख) इसमें कितनी सफलता मिली है ;

(ग) विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के लिये प्रलेख फिल्मों का इस्तेमाल करने की खोज के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) दिल्ली में टेलीविजन का इस्तेमाल वयस्क तथा स्कूल शिक्षा दोनों के लिये किया जाता है। वयस्क शिक्षा का कार्यक्रम एक साप्ताहिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अधीन दिल्ली नगर तथा इसके आसपास लगभग ६६ टेलीविजन क्लब स्थापित किये गये हैं। स्कूल की शिक्षा की हायर सैकेंडरी स्टैन्डर्ड के विद्यार्थियों के लिये फिजिक्स कैमिस्ट्री, अंग्रेजी और हिन्दी के पाठ्यक्रमो के टेलीकास्ट किया जाता है। इसके लिये १४४ स्कूलों में टेलीविजन सैट स्थापित किये गये हैं तथा कुछ समय बाद शेष स्कूलों में भी स्थापित कर दिये जायेंगे।

(ख) वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का कई महीनों तक प्रसारण किया गया है और वह बहुत लाभदायक पाये गये। स्कूल के प्रसारणों की सफलता के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है।

(ग) फिल्म्स डिवीजन ने स्कूलों के लिये कई उपयुक्त क्लास रूम फिल्में बनाई हैं। प्रलेख फिल्मों की प्रतियों की शिक्षा संस्थाओं में रियायती दामों पर बिक्री का प्रबन्ध किया जा रहा रहा है। कुछ शिक्षा संस्थाओं को फिल्में ऋण पर भी दी गई हैं और कभी कभी चलते फिरते सिनेमा की गाड़ियां शिक्षा फिल्मों का प्रदर्शन करती रहती हैं। पता लगा है कि कुछ राज्यों में शिक्षा फिल्मों की लाइब्रेरी भी है।

(घ) स्कूलों के लिये फिल्मों के इस्तेमाल के परिणामों का मूल्यांकन नहीं किया गया है परन्तु सामान्यतः ऐसी फिल्में लाभदायक पाई गई हैं।

मस्जिदों में रहने वाले विस्थापित व्यक्ति

†१४२५ अ. **श्री बलराज मधोक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की मस्जिदों में अभी भी कुछ विस्थापित परिवार रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां।

(ख)	(१) परिवार	९९
	(२) असंबद्ध व्यक्ति	३८

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास देने का प्रश्न, दिल्ली में इधर उधर रहने वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास देने के बड़े प्रश्न से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने इस मामले पर कार्यवाही करने के लिए एक विशेष समिति बनाई है।

निर्यात संवर्द्धन

†१४२५–ट. { **श्री बं० चं० मलिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, निर्यात संवर्द्धन के संगठनों की संख्या कम करने के प्रश्न के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)**: (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

राजस्थान में अणुशक्ति संयंत्र

†१४२५–ठ. { **श्री प्र० चं० बरुआ:**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती इला पाल चौधरी:
श्री दामानी :
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री विभूति मिश्र:
श्री हेमराज:
श्रीमती ममूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन राजस्थान और तीन अन्य राज्यों को विद्युत् का संभरण करने के लिए एक दूसरा अणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). योजना आयोग ने अणु शक्ति विभाग को यह अधिकार दे दिया है कि दिल्ली-पंजाब-राजस्थान-उत्तर प्रदेश के सामान्य क्षेत्र में तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव करें। यद्यपि ऐसे केन्द्र की स्थापना के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री एम० हयात, निदेशक (टैक्नीकल), हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड के सभापतित्व में एक विशेषज्ञ समिति उपयुक्त स्थान का चुनाव करने के लिए नियुक्त की गई है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत में चाय बागानों के विदेशी मालिक

†**१४२५-ड. श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि भारत में चाय बागानों के विदेशी मालिक बागानों के अपने हिस्से बेच रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). १९३३ से उत्तर भारत में ५८ चाय बागान तथा दक्षिण भारत में ५ चाय बागान अभारतीयों से भारतीयों के हाथ में आ गये हैं। अब इस प्रकार की बिक्री में कमी आ गई है, १९६० में केवल चार ऐसे बागानों का हस्तांतरण हुआ तथा १९६१ में केवल एक का। इन हस्तांतरणों के कारण जानने की सरकार ने कोई आवश्यकता नहीं समझी है।

दण्डकारण्य परियोजना

†**१४२५-ढ. { श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी: / श्रीमती रेणुका राय:**

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना की तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने का प्रस्ताव कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दण्डकारण्य विकास प्राधिकार से दण्डकारण्य के लिए पंचवर्षीय योजना शीघ्रता से बनाने का अनुरोध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंका का रेडियो कार्यक्रम

†१४२५-ग. **श्री रामेश्वर टांटिया:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका का रेडियो कार्यक्रम देश में बहुत सुना जाता है ;

(ख) क्या भारतीय वस्तुओं का विज्ञापन भी वहां किया जाता है ;

(ग) १९५९ और १९६० में लंका सरकार को इन विज्ञापनों से कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया; और

(घ) क्या सरकार इसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) बताया जाता है कि लंका का रेडियो कार्यक्रम बच्चे बहुत सुनते हैं तथा व्यस्क अधिक नहीं सुनते हैं परन्तु इस संबंध में कोई विस्तृत तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेडियो सोलोन को विज्ञापनों के लिए दी गई रकम नीचे दी जाती है :—

१९५९ .	२,४८,५१९ रुपये
१९६० . . .	२,७८,५४३ रुपये

(घ) विदेशों में भारतीय वस्तुओं की बिक्री के लिए विज्ञापनों के लिए इस रकम के भुगतान की अनुमति है क्योंकि इससे निर्यात बढ़ता है । भारत में बिकने वाली भारतीय वस्तुओं के विज्ञापनों पर धन देने की अनुमति नहीं है ।

शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त

†१४२५-त. { **श्री विद्याचरण शुक्ल:** : **श्रीमती इला पालचौधरी** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त के आपत्तिजनक कार्यों के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). जी हां । भारत सरकार को आसाम सरकार ने शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त के आपत्तिजनक कार्यों की अन्तिम रिपोर्ट भेजी है । और ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैसर्स भारत कला केन्द्र (प्रा०) लिमिटेड

†१४२५-ब. श्री ह० ना० सोनुले : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स भारत कला केन्द्र (प्रा०) लिमिटेड को रेशम बोर्ड ने रेशम के स्कार्फ बनाने के लिए कच्चा रेशम खरीदने की अनुमति दी है परन्तु बताया गया है कि इस फर्म ने स्कार्फ बनाने के बजाये कच्चे रेशम को पुनः बेच दिया और स्कार्फों को बनारस से खरीद लिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार कीं व्यवस्था की अनुमति है; और

(ग) ऐसी अनुमति रेशम बोर्ड किस आधार पर देता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). 'निर्यात संबर्द्धन योजना' के अधीन १९५९ और १९६० में मैसर्स भारत कला केन्द्र (प्रा०) लिमिटेड को ४,२९६.२० पौंड तथा १,०५८.४६ पौंड आयात किया गया कच्चा रेशम दिया गया था। निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन निर्यातकर्त्ताओं को आंवटित आयात किए गए रेशम की बिक्री अथवा उसका इस्तेमाल करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) शुद्ध रेशम की वस्तुओं तथा शुद्ध रेशम के बने हुए कपड़े का निर्यात करने के संबंध निर्यातकर्त्ताओं को ६६ २/३ प्रतिशत आयात किया हुआ रेशम दिया जाता है जब कि मिश्रित रेशम की वस्तुओं पर २५ प्रतिशत तट पर्यन्त निःशुल्क की अनुमति है। आयात किए गए रेशम की मात्रा की गणना अतिरिक्त खपत के लिए संभरित आयात किए गए रेशम के मूल्य के आधार पर होती है। भारत सरकार द्वारा निश्चित सिद्धान्त के अधीन उचित मूल्य पर रेशम का संभरण होता है।

केन्द्रीय सूचान सेवा

†१४२५-द. सरदार अ० सिं० सहगलः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के प्रकाशन डिवीज़न और प्रेस सूचना विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा के लिए ली गई परीक्षा में बैठे थे ;

(ख) उनमें से कितने लिखित परीक्षा में सफल रहे ; और

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों के संघ लोक सेवा आयोग ने अन्त रूप से चुना?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १७७।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने उनमें से ४६ उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया था। मौखिक परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर बुलाया गया था।

(ग) १०।

---

†मूल अंग्रेजी में

काहिरा में भारतीय सेना सहचारी

†१४२५-घ. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी:
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अगाड़ी:
श्री रामपुरे :
श्री सुगन्धि :
श्री रघुनाथ सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काहिरा में भारतीय सेना सहचारी के साथ हाल में बाजार में कुव्यवहार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो घटना का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) हां ।

(ख) २८ सितम्बर, १९६१ की रात में भारतीय सेना सहचारी एक अन्य मित्र मिशन के वायु सेना सहचारी के साथ और उनकी ही कार में अपने किसी काम से बाहर गये थे । उन्होंने एक रेस्टोरां से बाहर आकर देखा कि उनकी कार को सेना की एक गाड़ी ने नुकसान पहुंचाया है । उनके पुलिस को रिपोर्ट करने पर उक्त गाड़ी के व्यक्तियों ने गुस्सा हो कर सहचारी की कार का और नुकसान किया और दोनों अधिकारियों को पीटा ।

बाद में संयुक्त अरब गणराज्य सरकार को इस बारे में बताया गया जिन्होंने घटना पर खेद प्रकट किया और इसकी जांच पड़ताल करने का वचन दिया । जांच पड़ताल का परिणाम अभी विदित नहीं हुआ है ।

रूस के नाभिकीय विस्फोट

†१४२५-न. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० गं० देव:
श्री प्र० चं० बरुआ:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा के पिछले अधिवेशन के बाद रूस सरकार ने कितने नाभिकीय विस्फोट किये हैं ;

(ख) इन विस्फोटों का भारत पर प्रभाव (विकरण) की विस्तृत जानकारी यदि कोई है, तो क्या है ;

(ग) यदि भारत सरकार ने रूस की सरकार से इन विस्फोटों के बारे में कोई विरोध किया है तो उसका क्या ब्यौरा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि रूस की सरकार से कोई उत्तर मिला है, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ङ) इन नाभिकीय विस्फोटों के बारे में भारत सरकार ने यदि कोई और कार्यवाही की ह तो क्या की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) कोई सरकारी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर अमरीकी रिपोर्टों का अनुमान है कि रूस ने १ सितम्बर, १९६१ से इन विस्फोटों का पुनरारम्भ करने के बाद ५० विस्फोट किये हैं।

(ख) वातावरण में प्रयोगों के फलस्वरूप वायु, वर्षा-जल, भूमि, खाद्यान्न और समस्त वातावरण में रेडियो-सक्रियता बढ़ जाती है। देश में वायुमण्डल में रेडियो सक्रियता में वृद्धि देखी गई है। बम्बई में खाद्य पदार्थ के लिये गये कुछ नमूनों से भी पता लगता है कि हाल के प्रयोगों की रेडियो-सक्रियता विद्यमान है। इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप रेडियो-सक्रियता में हुई वास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए विस्तृत जांच पड़ताल हो रही है परन्तु यह कहा जा सकता है कि रेडियो-सक्रियता की मात्रा इतनी नहीं है कि हानिकारक हो।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने रूस सरकार से कोई विरोध नहीं किया था। फिर भी, भारत ने इन विस्फोटों का सार्वजनिक विरोध किया था। प्रधान मंत्री ने भी अपनी हाल की मास्को यात्रा में इसके बारे में विचार व्यक्त किये थे।

(ङ) भारत ने नाभिकीय तथा तापीय नाभिकीय प्रयोगों और देशों के उन्हें पुनः न करने के कर्तव्य के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र के चालू अधिवेशन में महत्वपूर्ण भाग लिया है। भारत तथा अन्य सदस्य देशों ने एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसे महा सभा ने अत्यधिक बहुमत से स्वीकार कर लिया है। इस संकल्प में इस पर भारी चिन्ता तथा अत्यन्त दुःख प्रकट किया गया है कि प्रयोगात्मक विस्फोट पुनरारम्भ हो गये हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित देशों से विनयपूर्वक निवेदन किया गया है कि वे इन प्रयोगों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय बन्धक करार होने तक और प्रयोगात्मक विस्फोट न करें। फिर, विश्वास व्यक्त किया गया है कि सम्बन्धित देश उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन प्रयोग रोकने पर यथाशीघ्र सहमत हो जायेंगे। अन्त में, उल्लेख है कि सम्बन्धित देश ऐसे करार शीघ्र करने के महत्व पर ध्यान देंगे।

अमरीकी निर्देश पुस्तकों में भारत के बारे में भ्रामक उल्लेख

†**१४२५-प. श्री ही० ना० मुकर्जी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका की महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तकों में, जैसे "संसार साहित्य का पाठक साथी", "कोलम्बिया एन साइक्लोपीडिया", "दर्शन का सचित्र इतिहास" जिनके रचियता डा० गोबर्ट डी० रिन्यूस, आदि हैं, भारतीय संस्कृति और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसी महान विभति के बारे में भ्रामक उल्लेखों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) क्या वह वाशिंगटन में हमारे राजदूत से इन मामलों पर पूरी रिपोर्ट देने को कहेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) हां। अमरीका की कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तकों में भारतीय संस्कृति तथा भारतीय व्यक्तियों के बारे में भ्रामक उल्लेख हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) वाशिंगटन में हमारे राजदूत ने इन बातों पर पहले ही रिपोर्ट दे दी है और जहां संभव है, ठीक करने की कार्यवाही की जा रही है ।

सर्वेक्षण अधिकारी की गिरफ्तारी

†१४२५-फ. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलपाईगुरी के सदर थाने के क्षेत्र में हरीबोलपाड़ा में पाकिस्तान सरकार के एक सर्वेक्षण अधिकारी और उनके पांच सहायकों के पकड़े जाने के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की न्यूनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) तथा (ख). १ अगस्त, १९६१ को जलपाईगुरी न्यायालय ने सर्वेक्षण अधिकारी और उनके तीन सहायक भारत में अवैध प्रवेश कर आने के अपराधी ठहराया और प्रत्यक को तीन महीने की कड़ी सजा दी । अन्य दो सहायकों को भी इसी प्रकार ३ अक्टूबर, १९६१ को अपराधी ठहराया गया और प्रत्येक को तीन सप्ताह की कड़ी सजा दी गई । १ नवम्बर, १९६१ को कुल छः व्यक्ति अपनी सजा पूरी करके पाकिस्तान चले गये ।

गिरफ्तारी के समय उनसे पकड़ी गई वस्तुयें उन्हें रिहा किये जाते समय लौटा दी गई ।

डालमिया उपक्रम

†१४२५-ब. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० गं० देब:
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डालमिया उपक्रमों की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच पड़ताल आयोग ने इस बीच अपने काम में कितनी प्रगति की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** ९ अगस्त, १९६१ को "इशूज" की घोषणा होने के बाद सम्बन्धित पार्टियों से बहुत बड़ी संख्या में याचिकायें और लिखित आपत्तियां प्राप्त हुई और आयोग ने अपनी २१ से २३ सितम्बर, १९६१ की सार्वजनिक सुनाइयों के बाद उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रख कर आवश्यक परिवर्तन करके "इशूज" के बारे में अन्तिम निर्णय किया ।

२८ सितम्बर, १९६१ से आयोग ने अपनी सार्वजनिक सुनवाइयों में गवाहियां लिखना आरम्भ की और जांच की "जांच अवस्था" में पर्याप्त प्रगति की है । २८ सितम्बर, १९६१ से २८ नवम्बर, १९६१ तक पुरानी और नई कुल ४३ गवाहियां की गई । उनका उल्लेख ५०० पृष्ठ में है । आयोग अपने अगले अधिवेशन और गवाहों की जांच करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कराची में भारतीय दूतावास का भवन

†१४२४अ. { **श्री सरदार इकबाल सिंहः**
श्री दी० चं० शर्माः
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **प्रधान मंत्री** १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने, २५ फरवरी, १९६१ को प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थर फेंकने के परिणामस्वरूप कराची के भारतीय दूतावास की क्षति के लिए कोई प्रतिकर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम दी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी नहीं । अब को कोई भगतान नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जाली पासपोर्ट

†**१४२५-म. श्री प्र० गं० देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० अक्टूबर, १९६१ को जाली पासपोर्ट रखने वाले दिल्ली में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). २० अक्टूबर, १९६१ को दिल्ली में जाली पासपोर्ट रखने वाले कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किये गये । परन्तु १४ तथा १८ अक्तूबर, १९६१ के बीच दिल्ली में आने पर जाली पासपोर्ट से ब्रिटेन जाने वाले ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

राज्य व्यापार निगम

†**१४२५--य. श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कोई अभिकरण राज्य व्यापार निगम की ओर से काम कर रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या एसा कोई प्रस्ताव है जिसके द्वारा त्रिपुरा में राज्य व्यापार निगम कार्य कर सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

---

†मल अंग्रजी में

पाकिस्तान में जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किये गये भारतीय

१४२५-क श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में कितने भारतीय सिख जाली पासपोर्ट लिये हुए गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि वे टांगानिका में बने और आठ-आठ हज़ार रुपयों में बेचे गये जाली पासपोर्ट द्वारा ब्रिटेन के लिये प्रस्थान करना चाहते थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ऐसी रिपोर्ट है कि ३५ भारतीय सिखों का एक दल, तथा एक अन्य दल जिसमें १४ भारतीय सिख थे, कराची में, क्रमशः २ नवम्बर तथा ११ नवम्बर, १९६१ को गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि ३२ ब्रिटिश पासपोर्ट पहले दल से प्राप्त हुए, जो यूनाइटेड किंगडम जाना चाहता था ; और यह भी कि ये पासपोर्ट, ८००० ० प्रति पासपोर्ट की कीमत पर तांगानिका और फ़िजी में जारी किये ग े थे ।

आसाम चाय उद्योग

†**१४२५-ख ख. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने कलकत्ता को चाय न भेजने का तथा पांडू और कांडला में नीलाम के बाद निर्यात करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सरकार ने यह निर्णय आसाम चाय उद्योग की कुछ रियायत देने के लिए कुछ कर हटाने के बारे में केन्द्र सरकार के प्रस्ताव पर किया है ; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस मांग पर उद्योग को क्या रियायतें दी गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) आसाम सरकार ने स्वयं आसाम में चाय नीलाम बाज़ार की स्थापना की संभावनाओं पर विचार के लिए एक समिति स्थापित की है ' समिति इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे कर रही है । राज्य सरकार समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी, दिल्ली

†**१४२५-ग ग. श्री राम गरीब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी, दिल्ली में कुछ खत्तों में ठेके के आधार पर, उनके मिल के अन्दर स्थित होने पर भी काम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा इन खत्तों में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन ठेके वाले खत्तों को मजदूरों को दिया गया लाभांश मिल के अन्य मजदूरों को दिये गये लाभांश से बहुत कम था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह भी सच है कि इन खत्तों में काम करने वाले मज़दूरों को कोई महंगाई भता नहीं दिया जाता है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) १७ व्यक्ति लदाई, उतराई (परिवहन) रूई की गांठें, भंडार की वस्तुयें आदि, प्रिंटिंगकालरों की खुदाई में २२ व्यक्ति, सांचे बताने में ६ व्यक्ति ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) ठेके के मज़दूरों को नियमित मज़दूर समझने के बारे में औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली विचार कर रहा है ।

काश्मीर हाउस, नई दिल्ली में नौकरों के क्वार्टर

†**१४२५-घ घ. श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर हाउस, नई दिल्ली के नौकरों के क्वार्टरों में पिछले पांच वर्षों से पुताई तथा मरम्मत नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस गन्दगी को कब दूर करने का है;

(ग) क्या भाग (क) में उल्लिखित ६० क्वार्टरों के लिए केवल दो स्नानगृह, एक पुरुषों तथा एक स्त्रियों के लिए है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन क्वार्टरों के लिए और स्नानगृह तथा पाखाने बनाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ). काश्मीर हाउस में नौकरों के ८७ क्वार्टर हैं । इन में से ३१ भारत सरकार के पास हैं तथा ५६ जम्मू तथा काश्मीर सरकार के अधीन हैं । ३१ में से ९ को भण्डार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । भारत सरकार के अधीन क्वार्टरों में प्रत्येक की मरम्मत तथा पुताई की जाती है । इन २२ क्वार्टरों के लिए दस पाखाने तथा आठ स्नान-गृह हैं । सरकार को इन क्वार्टरों में गन्दगी की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारी उद्योग

†**१४२५-ङ ङ. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार को उस राज्य में भारी उद्योग की स्थापना के बारे में काई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, ता केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आसाम की चाय

†१४२५-च च. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य की जांच की गई है कि आसाम के बागानों से पश्चिम बंगाल हो कर जहाज़ पर लादने के लिए लाई जाने वाली चाय पर दोहरा शुल्क लगाने से भाड़ा बाज़ार पर बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि आसाम के चाय बागानों चाय से आशानुकूल मात्रा में नहीं आई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से इस कारण भाड़ा बाज़ार पर कितना असर पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथय उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कलकत्ते में आने वाली आसाम की चाय के आंकड़े चाय बोर्ड अलग से नहीं रखता है परन्तु उत्तर-पूर्व भारत से रेल, नदी, विमानों द्वारा जनवरी-अक्तूबर, १९६१ में कलकत्ते में २७·६ लाख पेटियां आई थीं तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि में २३.१ लाख पेटियां आई थीं ।

(ख) उत्तर-पूर्व भारत के चाय उत्पादन क्षेत्रों से कलकत्ते में आने वाली चाय के इन आंकड़ों के कारण भाड़ा बाज़ार पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए । इस के विपरीत चालू वर्ष में कलकत्ते में चाय की अधिक नीलामी हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अक्तूबर के अन्त तक उत्तर-पूर्व की २६७.६ लाख पौंड भारतीय चाय को जहाज़ पर लादा गया था । जनवरी-अक्तूबर, १९६१ में उत्तर-पूर्व भारत की चाय के उत्पादन में से कलकत्ते में ५५·२२ प्रतिशत, १९६० में ५२·९५ प्रतिशत, तथा १९५९ में ६५·२१ प्रतिशत चाय आई है ।

श्रम कल्याण पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

†१४२५-छ छ. श्री अहजद अली : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि हमारे देश में श्रम कल्याण पदाधिकारियों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में श्रम कल्याण पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय, उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जो श्रम क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, सायंकालीन कक्षाओं वाले श्रम कल्याण पदाधिकारियों के लिये एक प्रशिक्षण स्कूल नई दिल्ली में स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भावात्मक एकीकरण सम्बन्धी प्रधान मंत्री की अपील

†१४२५-जज. श्री अमजद अली : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सरकारी कार्यालयों की क्या संख्या है जिन में 'भावात्मक एकीकरण' सम्बन्धी उनकी अपील, जिसमें उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों से सहयोग मांगा था, परिचालित नहीं की गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से यह कहा गया था कि यह अपील उनके प्रशासनाधीन सभी सरकारी कर्मचारी तक पहुंच जाये। इस बारे में प्रधान मंत्री ने भी सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था और उन से भी यही कार्यवाही करने को कहा था। उन सरकारी कर्मचारियों में परिचालन के लिये जो केवल प्रादेशिक भाषा जानते हैं, इस अपील को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुदित किया गया। इस को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया और समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया। अतः यह अपील सभी सरकारी कार्यालयों में और सरकारी कर्मचारियों को पहुंच गयी है।

गोंडिया में सिन्धी शरणार्थियों के मकान तथा दुकानें

†**१४२५-झझ. श्री बलराज मधोक:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोंडिया में सिन्धी शरणार्थियों के मकान तथा दुकानें, उन को बिना कोई वैकल्पिक आवास स्थान दिये, गिराये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) और (ख). जानकारी महाराष्ट्र सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

राम कृष्णपुरम्, नई दिल्ली में बिना बारी के आवंटन

†**१४२५-ञञ. श्री बलराज मधोक:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'रामकृष्णपुरम्' में सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन कब आरम्भ करेगी;

(ख) क्या यह सच है कि 'जी' श्रेणी के क्वार्टरों में से ५० प्रतिशत क्वार्टर बिना बारी के आवंटित किये जायेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'बिना बारी' के आवंटन की असामान्य अधिक प्रतिशतता से उन कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है जो काफी समय से आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और 'बिना बारी' के आवंटन की अधिक प्रतिशतता के कारण वे अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार 'बिना बारी' आवंटन की अपनी नीति में परिवर्तन करेगी और इस प्रतिशतता को कुल के १० प्रतिशत से अधिक नहीं करेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) वहां पर दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा स्वच्छ जल संभरण, नाले और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं के उपबन्ध का काम पूरा हो जाने पर केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा जैसे ही ये क्वार्टर एस्टेट्स डाइरेक्टोरेट को हस्तांतरित किये जायेंगे, सरकारी कर्मचारियों को रामकृष्णपुरम् में क्वार्टरों का आवंटन कर दिया जायेगा। इन के अगले वर्ष के आरम्भ में आवंटन के लिये हस्तांतरित किये जाने की संभावना है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). बिना बारी के आवंटन की मंजूरी कठिनाई के आधार पर अथवा प्रत्येक मामले पर अच्छी तरह विचार करके सार्वजनिक हित में किया जाता है। क्योंकि बिना बारी की प्रतीक्षा सूची काफ़ी बड़ी है, उस सूची में से कुछ व्यक्तियों को रामकृष्णपुरम् में 'जी' श्रेणी के क्वार्टर आवंटित करना आवश्यक होगा। अभी उन व्यक्तियों के इन क्वार्टरों के आवंटन की प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गयी है।

भारत सरकार के मुद्रणालयों में कम्प्यूटरों के पदों को उच्च श्रेणी का बनाना

†१४२५–टट **श्री बलराज मधोक:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रणालयों के प्रधानों ने यह सुझाव दिये हैं कि काम की टेक्नीकल प्रकृति को देखते हुए, उन प्रेसों की कम्प्यूटिंग शाखाओं में कम्प्यूटरों के कुछ पदों को उच्च श्रेणी का बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

आयात नियंत्रण संगठन

†१४२५.–ठठ. **श्री बर्मन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात व्यापार नियंत्रण संगठन में सहायक आयात नियंत्रकों की भर्ती १९५६ के बाद से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं करायी गयी और समय-समय पर तदर्थ नियुक्तियां की जाती रहीं;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष १९५८ में उन ४७ व्यक्तियों के किसी भूतलक्षी प्रभाव से स्थायीकरण के आदेश जारी किये गये थे जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती नहीं हुए थे और बिल्कुल स्थानापन्न स्थिति में नियुक्त किये गये थे यद्यपि इस संगठन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी परिवीक्षा-अवधि भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी; और

(ग) क्या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किये गये सभी १९ व्यक्तियों को, जो न संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किये गये हैं और न ही संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी नियुक्ति अभी मंजूर की है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों से वरिष्ठ घोषित किया गया है और उनको अन्य स्थायी रिक्त स्थानों पर स्थायी किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन युद्ध-काल में बना था और इसमें नियुक्तियां मुख्यतः पदोन्नति द्वारा अथवा भारत सरकार के अन्य विभागों में सेवा में पदाधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा तदर्थ आधार पर की गयीं। बाद में ७५ प्रतिशत सहायक नियंत्रकों के पदों पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने लगीं। ३१-१२-१९५१ तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों के

---

†मूल अंग्रेजी में

मामले संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये और वह उन में से ४७ को सेवा में रखने को राजी हो गये। उन ४७ सहायक नियंत्रकों को स्थायी कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के जरिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों को भी उनकी बारी आने पर स्थायी कर दिया जायेगा। प्रश्न के भाग (ग) में निर्दिष्ट १९ व्यक्तियों को आयोग की अनुमति पर बाद में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों से वरिष्ठ रखा गया है।

पश्चिम पाकिस्तान से प्रेस तार

†१४२५-डड. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान में भारत को आने वाले प्रेस तारों का सेन्सर किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ट्रांसमीटरों की स्थापना

†१४२५-ढढ. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५७ ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था पूर्ण करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसका क्या ब्योरा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख).

स्थानों का चयन: (५७ के बजाय) ५६ ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ३६ परियोजनाओं के लिये नये स्थानों की आवश्यकता है। तीस स्थानों के बारे में अंतिमरूप दिया जा चुका है। २१ मामलों में कब्जा ले लिया गया है। बाकी के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है।

भवन निर्माण : २५ केन्द्रों में नये निर्माण की आवश्यकता है। उन में से १७ पर कार्य चल रहा है अन्य स्थानों पर कार्य आरम्भ करने के लिये व्यवस्था की जा रही है।

उपकरण : आकाशवाणी के पास लगभग ३७ परियोजनाओं के ट्रांसमीटर और मस्तूल उपलब्ध हैं। बाकी उपकरणों के लिये इन्डेन्ट भेज दिये गये हैं।

जल-स्थलचारी साइकिल[1]

†१४२५-णण. **श्री सोनावने** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर के एक उद्योगपति ने एक ऐसी साइकिल का आविष्कार किया है जो पानी पर और सड़क पर--दोनों पर--चल सकती है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Amphibious cycle

(ख) क्या आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड इसके वाणिज्यिक इस्तेमाल से संतुष्ट है; और

(ग) इस आविष्कार का क्या ब्यौरा है और प्रत्येक साइकिल की क्या लागत है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) आविष्कारक का दावा है कि यह साइकिल कड़ी सतहों पर, अथवा तालाबों में अथवा झील में चल सकती है ।

(ख) इस मामले में आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ग) 'जल-साइकिल' में एक दूसरे के समानान्तर दो खोखली टयूबें हैं जो छ: फुट लम्बी हैं जिससे कम से कम २।। मन पानी हटेगा और साइकिल तैर सकेगी । सामान्य साइकिल की तरह इस में कोई पहिये नहीं हैं । इस में कम से कम ५ इंच का धकेलने वाला ब्लेड लगा है जो तेजी से पैडल लगाने पर चलेगा और जल-साइकिल एक उचित रफ्तार पर चलेगी । सामान्य साइकिल में अन्य सामान्य पुर्जे, जैसे पैडल, चेन आदि भी होते हैं । इस में एक परिवर्तन यन्त्र शाफ्ट है जो आधा पानी में रहेगा और उस से व्यक्ति साइकिल को दायें या बायें मोड़ सकेगा । आविष्कारक के अनुसार जल-साइकिल की लागत १५० रुपये प्रति मशीन हैं ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने सभा को श्री कनैयालाल नानाभाई देसाई की मृत्यु की, जिन का आज ७ बजे प्रातः सूरत में ७५ वर्ष की आयु में निधन हो गया है, सूचना देनी हैं । श्री देसाई भारत की संविधान सभा तथा प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे ।

हमें उनकी मृत्यु पर हार्दिक दुख है और मुझे विश्वास है कि सभा उन के शोक संतप्त परिवार को सम्वेदना भेजने में सहमत होगी ।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

केरल कृषक सम्बन्ध अधिनियम की क्रियान्विति

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "केरल कृषक सम्बन्ध अधिनियम को क्रियान्वित करने में योजना आयोग के निदेशों का पालन न होने की ओर, जिस के फलस्वरूप बहुत से काश्तकार बेदखल कर दिये गये तथा उनमें बड़े पैमाने पर असंतोष फैल गया ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

1640 (Ai) LSD—7.

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : मैं उक्त विषय के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]**

इस विवरण के तैयार होने के पश्चात हमें राज्य सरकार से एक तार द्वारा एक सूचना भी मिली है । उस में कहा गया है कि इस विधान को क्रियान्वित करने में पूरी कोशिश की गयी है । राज्य सरकार के सम्मुख कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिस में गैर कानूनी रूप से बेदखली की गयी हो । राज्य सरकार को ज्ञात हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के सम्मुख तीन लेख याचिकायें तथा केरल के उच्च न्यायालय के सम्मुख ५३४ लेख याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं जिन में इस अधिनिय को चुनौती दी गई है । उच्चतम न्यायालय ने संभवतः कुछ मामलों में अपना निर्णय दे दिया है जिस के अनुसार केरल कृषक सम्बन्ध अधिनियम को जहां तक उसका दक्षिण कनारा की रैयतवारी जमीन से है, रद्द कर दिया गया है ।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुज्ञा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषक सम्बन्ध अधिनियम को क्रियान्वित करते समय आयोग के निर्देशानुसार बड़े पैमाने पर भूमि सर्वेक्षण भी किया जा रहा है ?

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवल्ला): केरल के ४० प्रतिशत किसानों के पास भूमि सम्बन्धी कोई कागजात नहीं हैं । अतः उन्हें बेदखली का खतरा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानना चाहता था कि योजना आयोग के निर्देशों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है, तथा इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हुई हैं ? विवरण से ज्ञात होता है कि योजना आयोग तथा माननीय मंत्री इस विषय में बहुत उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं अतः उन्हें जो भी सुझाव दिये जायेंगे वे उस पर विचार करेंगे ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिन्दुस्तान केबल्स, नहान फाउन्ड्री, प्राग टूल्स कारपोरेशन, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सल के वार्षिक प्रतिवेदन, उनकी समीक्षायें तथा भारतीय उत्पादक दल के प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड बर्दवान का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४०५/६१]

(२) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड, नाहन का वार्षिक प्रतिवेदन,

---

†मूल अंग्रेजी में

लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४०६/६१]

(३) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिए प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४०७/६१]

(४) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४०८/६१]

(५) वर्ष १९६०–६१ के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४०९/६१]

(६) अमरीका, जापान और पश्चिमी जर्मनी में सामान तथा सूची नियंत्रण के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४१०/६१]

(७) जापान, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी में पर्यवेक्षण और कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४११/६१]

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मैं ऐसे मामलों का एक विवरण, जिन में इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा ३० जून, १९६१ को समाप्त होने वाली छमाही में न्यूनतम दर वाले टेन्डर्स स्वीकार नहीं किये गये ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३४१२/६१]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इक्यानवेवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का इक्यानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

एक सौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय रबड़ बोर्ड (प्रतिवेदन तथा लेखे) के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लोक लेखा समिति

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री चतुर्वेदी** (एटा) : मैं दामोदर घाटी निगम के वर्ष १९५९-६० के लेखे के बारे में लोक लेखा समिति (१९६१-६२) का उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुपस्थिति की अनुमति

बा ीस प्रतिवेदन में नि सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने दी है: नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिये अनुपस्थिति ो अनुमति दे

(१) रानी मंजुला देवी (२) श्री सारंगधर सिंह (३) श्री लक्ष्मी नारायण भंज देव (४) श्री बी० पोकर (५) श्री टी० आर० नैस्वी (६) श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल (७) श्री कन्सारी हाल्दार (८) श्री द्वारिका नाथ तिवारी (९) श्री यू० मुत्तुरामलिंग तेवर (१०) श्रीमती इला पालचौधरी (११) श्री वी० एन० स्वामी (१२) हर हाईनेस महारानी विजया राजे सिंधिया आफ ग्वालियर (१३) श्री नरसिंह मल्लदेव (१४) श्री कन्हैयालाल खादीवाला ।

श्रीमती ललिता राज्य लक्ष्मी की प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिये अनुपस्थिति माफ कर दी जाय ।

सभा का कार्य

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे दुर्घटनाओं पर जिस पर कि पिछले सप्ताह चर्चा हुई थी आदेश पत्र में स्थान नहीं मिला है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर कब चर्चा की जायेगी ?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैंने पिछली बार कहा था कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधेयकों को पूर्ववर्तिता दी जायेगी । सभा ८ तारीख को स्थगित होगी । अतः सरकार की दृष्टि से जो विधेयक सब से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें पहिले लिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब मंत्री महोदय कार्यसूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करें तो उन्हें सदस्यों को पूर्व सूचना दे देनी चाहिये । कार्य सूची से ऐसा ज्ञात होता है कि जो मदें उसमें दी गई

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं उन पर ही सप्ताह पर्यंत चर्चा होती रहेगी, जब तक कि उनमें परिवर्तन करने के विशेष कारण न हों। जहां तक दुर्घटनाओं पर चर्चा से संबंध है उस पर कल चर्चा की जा सकती है? तथापि मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से परमर्श करूंगा और यह प्रयत्न करूंगा कि चर्चा इस सभा में पूरी हो।

अनुदानों की अनुपूरक माँगें, १९६१-६२--जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा करेगी।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** मैंने पहिले दिन श्री विट्ठल राव द्वारा उठायी गयी कुछ बातों का उत्तर दिया था। अब मैं उठाई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में कहूंगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह कहा गया कि हिन्दुस्तान स्टील के पूंजी ढांचे में परिवर्तन करने का कोई संकेत नहीं दिया गया था। सभा को ज्ञात है कि हमारी योजना तीनों इस्पात संयंत्रों के विकास करने की है। हम तीसरी योजना के दौरान एक अन्य संयंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिये हिन्दुस्तान स्टील के पूंजो निर्माण के ढांचे को बदलना आवश्यक है। सरकार पूंजी के ढांचे का पुनरीक्षण कर रही है। जो राशि मांगी जा रही है वह हिन्दुस्तान स्टील के शेयर खरीदने के लिये खर्च की जायेगी।

तीनों संयंत्रों संबंधी जो प्राक्कलन गत अप्रैल में प्रस्तुत किये गये थे उनमें इस बीच कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। उस समय जो प्राक्कलन तैयार किये गये थे उनमें उर्वरक संयंत्र, पाइप संयंत्र और कोयला साफ करने के कारखानों को जो अब स्थापित किये जा रहे हैं शामिल नहीं किये गये थे।

संसद् में इस वर्ष हुई चर्चा के बाद "एस्कोलेशन्स" को छोड़ कर अन्य किसी बात में परिवर्तन नहीं किया गया है।

मैं अपने माननीय मित्रों को कहूंगा कि वे स्वयं जाकर देखे कि इन इस्पात संयंत्रों की स्थिति क्या है और फिर बात करें। श्री भरूचा कहते हैं कि वह वहां जाना नहीं चाहते, इस विचार से भी कि कहीं उनकी आलोचना कमजोर न पड़ जाये। अब बताइये, इस प्रकार के व्यवहार से समस्या थोड़े ही हल होने वाली है। न ही इस ढंग को किसी युक्ति का उत्तर ही दिया जा सकता है। यह वही कह सकते हैं कि विदेशों से हमें इस्पात सस्ता मिल सकता है। मैं इस दिशा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा तो निरन्तर ही प्रयत्न यह है कि इतना उत्पादन कर लिया जाये कि हमारी औद्योगिक आवश्यकताओं को देश में ही पूरा किया जा सके। क्योंकि यह तो सभी जानते और महसूस करते हैं कि इस्पात औद्योगिक विकास के लिए बड़ी आधारभूत आवश्यकता है। हमें औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रम के लिए अपेक्षित उत्पादन क्षमता तो देश में निर्माण करनी ही है। यह तो हो सकता है कि विदेशों से किसी समय कुछ सस्ता लोहा उपलब्ध हो जाय परन्तु इस दिशा में जो विदेशी विनिमय की समस्या सामने आ खड़ी होगी, उसे भी तो उपेक्षित नहीं किया जा सकता जापान और जर्मनी के मुकाबले में अमरीकी इस्पात महंगा है परन्तु अमरीकी लोग अपने देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन निरन्तर जारी रखते हैं। अमरीका में इस्पात का उत्पादन सारे संसार भर में अधिक है। मेरा निवेदन है कि देश में उत्पादन व्यय कुछ अधिक है केवल इस कारण से हमें देश में इस्पात का उत्पादन बन्द नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं भूल

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

जाना चाहिए कि एक टन इस्पात पर ४५ रुपये उत्पादन शुल्क के प्राप्त होते हैं और ८० और १०० रुपये तक और भी प्राप्त होता है। मेरा निवेदन है कि हमें इस समस्या पर तनिक स्वस्थ दृष्टिकोण से देखना चहिए ।

[श्री मूलचन्द दूबे पीठासीन हुए]

समय-समय पर मैं हिन्दुस्तान स्टील के प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता रहा हूं। उनमें जो भी उपलब्ध आंकड़े हमने दिये हैं, अध्ययन करने पर हम इसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि वे कुछ बुरी दशा के सूचक नहीं हैं। किसी भी देश के इस्पात उत्पादन के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि आरम्भ में इस्पात उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होता। इसलिये मेरा कहना है कि हम आयात पर निर्भर करें यह कथन एक आधारभूत प्रश्न के बारे में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्र हित में इसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। हमें इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हिन्दुस्तान स्टील के हानि लाभ के विवरण में इस्पात का संधारण मूल्य कम करने से जो हानि हुई है वही हमारे राष्ट्रीय राज्य कोष को उत्पादन शुल्क और समानीकरण निधि के लिए प्राप्त राशि के रूप में लाभ हुआ है। अतः इधर उधर के मामलों को घुसेड़ कर हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और चित्र को इस दिशा को भी हमेशा अपने सामने रखना चाहिए।

इस विषय का अन्य प्रश्न उत्पादन के व्यय सम्बन्धी हैं उत्पादन की लागत तो संसार भर में कहीं नहीं बताई जाती, चाहे मामला सरकारी क्षेत्र का हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का। सैद्धान्तिक तौर पर भी यह सत्य है कि इस्पात की सही लागत का बताना कठिन है। वित्तीय स्थिति की जानकारी लाभ हानि के विवरण से प्राप्त की जा सकती है। प्रशुल्क आयोग को भी सारा विवरण पता नहीं चल सकता न वास्तव में बताया ही जा सकता है। लागत कई प्रकार की बातों पर आधारित होती है। इसमें विमूल्यन इत्यादि जटिल बातें भी आ जाती हैं जिसका निर्णय करना सरल नहीं है। अतः मैं यह हमेशा के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक संयंत्रों की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है उसे देश और सदन के समक्ष निरन्तर रखा जायेगा। केवल लागत का बताना कठिन है।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भिलाई में अक्तूबर, १९६१ में ७२,२२५ टन डलियों का उत्पादन हुआ। यह उत्पादन मोटे तौर पर उसकी पूरी क्षमता का ८५ प्रतिशत है। भिलाई संयंत्र का कार्य बहुत अच्छा रहा है। दुर्गापुर में अक्तूबर में उत्पादन ४४,७०० टन रहा यद्यपि उसकी केवल दो भट्टियां काम करने लगी थीं। रूरकेला का जहां तक सम्बन्ध है हमारे समक्ष अब भी काफी कठिनाइयां हैं। परन्तु उन कठिनाइयों के बावजूद वहां भी दो भट्टियां काम करने लगी हैं। तीसरी भट्टी भी अगले कुछ सप्ताह में काम करने लग जायेगी। इसके बावजूद इस्पात संयंत्र कुछ महीनों में पूरी क्षमता से उत्पादन करने लग जायेंगे ऐसी हमारी धारणा नहीं है। हमें वास्तविकता का ध्यान रखते हुए यह समझ लेना चाहिए कि इस्पात संयंत्रों को पूरी क्षमता से उत्पादन करने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोयला का प्रश्न भी है। कोयले की जो स्थिति हमारे देश में है उसके बारे में मैं क्या कहूं। घटिया कोटि के कोयले और लोहे अयस्क से लोग अच्छा इस्पात निर्माण कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा उत्पादन कार्यक्रम ठीक ढंग से चलेगा और हमारे औद्योगिक विकास का आधार बनने में सफल होगा। इसके साथ ही हम इस्पात की कीमतों का भी विश्व की मंडी में मुकाबला हो सकेगा।

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : माननीय सदस्यों ने प्रकाश स्तम्भों के बारे में कुछ बातें कही हैं। इस सम्बन्ध में मैं अपने सहयोगी श्री राज बहादुर की ओर से कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सरकार की इस मामले में आलोचना की गई है कि हम प्रकाश स्तम्भों के पुर्जों को देश में निर्माण कर सकने में असमर्थ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि प्रकाश स्तम्भ विभाग अपने कार्य के लिए आवश्यक पुर्जे बनाने के प्रयत्न में काफी सफल रहा है। इसमें विशेष पुर्जों की आवश्यकता होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उचित समय में हम उपकरण के मामले में काफी आत्मनिर्भर हो जायेंगे। और इससे हमें ५ लाख विदेशी विनिमय का लाभ होगा। इसी प्रकार की स्थिति ''वायकाउन्ट'' की है। इस बात को देखते हुए कि वायकाउन्ट विमान अटलान्टिक सागर को पार नहीं कर सकते, हमें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सेवा के लिए बोइंग विमान खरीदने पड़े। बात यह है कि इसमें हमें अन्य देशों से काफी प्रतियोगिता करनी पड़ती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि "एयर इंडिया इंटरनेशनल" ने विदेशी बैंक से जो ऋण लिया है उससे "वायकाउन्ट" विमानों का खरीदना नितान्त रूप से सम्भव नहीं है। यह ऋण 'एयर इंडिया इन्टरनेशनल" ने व्यापार के सिद्धान्तों के आधार पर प्राप्त किया है। उस देश के अन्दर विमान सेवा के निमित्त 'वायकाउन्ट" विमानों के खरीदने के लिए काम में नहीं लाया जा सकता। इस बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न भी स्वीकृत है और उसके उत्तर में विमानों की स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण मंत्री महोदय सदन के समक्ष रखेंगे। उस पर माननीय सदस्य अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं।

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती वायलेट आल्वा) : मैं मांग संख्या ६० के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि गृह-कार्य मंत्री योजना कार्य समिति के सभापति हैं। एक संस्था की स्थापना द्वारा जनशक्ति सम्बन्धी व्यावहारिक अनुसंधान का समन्वय करने का जो काम उसे सौंपा गया है वह उचित ही है। यह व्यवस्था प्रथम और द्वितीय योजना के अन्तर्गत क्यों नहीं की गयी। इसके बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि उस समय हमारे साधन ऐसा करने के नहीं थे।

मैं यह भी सदन को बताना चाहती हूं कि इस संस्था जैसे स्वशासी निकाय का सरकार से निकट सम्पर्क रहेगा और वह प्रश्नों के बारे में अधिक अच्छे ढंग से काम कर सकेगा। दूसरी ओर यह भी संभव है कि एक संविहित संगठन के समक्ष कई कठिनाइयां हैं। इस संस्था की एक सामान्य परिषद् होगी। संस्था का वार्षिक अनावर्त्तक व्यय ३,५०,००० रुपये तथा आवर्तक व्यय ५ लाख रुपये होगा। । "फोर्ड फाउन्डेशन" अपने खर्च से प्रविधिज्ञों और परामर्शदाताओं की व्यवस्था करेगा। यह संस्था चालू वर्ष में अपना कार्य आरम्भ करेगी।

†श्री मुहीउद्दीन : माननीय सदस्य ब्याज दर जानना चाहते थे। मेरा निवेदन है कि "बोइंग" विमान की खरीद के लिए जिस ब्याज दर पर धन उधार लिया गया है वह ५ $^{1}/_{8}$ प्रतिशत है।

†वित्त मंत्री उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : यह जो उधार लिया गया है उसे १४ वार्षिक किस्तों में अदा कर दिया जायेगा। और पहली किस्त एक अक्तूबर, १९६२ से आरम्भ हो जायेगी। विभिन्न

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

बातों का उत्तर तो मेरे माननीय सहयोगी ने दे दिया है। मेरा यह निवेदन है कि केन्द्र द्वारा बनाये अधिनियम को पांडोचेरी को उसके विधिवत् हस्तांतरण के बाद ही लागू किया जायेगा। अभी केवल वास्तविक हस्तांतरण हुआ है।

जहां तक योग्यता छात्रवृत्ति का सम्बन्ध है प्रति वर्ष उसके अन्तर्गत ५०० छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। इसमें शर्त यह है कि ये जो छात्रवृत्तियां दी जायेंगी वह छात्रों की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने तक दी जायेंगी परन्तु छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र को प्रथम दर्जे में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये भी कि छात्रवृत्तियां राज्यवार चुनाव के आधार पर दी जायेंगी ताकि सभी राज्य समान रूप से लाभान्वित हों।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : हमें बताया गया था कि विधि मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि जो कानून अभी तक पांडिचेरी पर लागू नहीं किये गये हैं, वे वहां लागू किये जायें।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह स्पष्ट है कि उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। फिर भी मैं इस बात को विधि मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति देने का प्रश्न भी उठाया गया था। शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि इस बात का उत्तर मैं ही दूं। इस योजना के अधीन ५०० छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष दी जायेंगी और एक बार जो छात्रवृत्ति ी जायेगी वह अवर स्नातक पाठ्यक्रम के पूरे होने तक जारी रहेगी बशर्ते कि छात्र विश्वविद्यालय में निरन्तर प्रथम श्रेणी पाता रहे। ये छात्रवृत्तियां सभी राज्यों में बांट दी जायेंगी और योग्यता के आधार पर दी जायेंगी। राज्य सरकारें ये छात्रवृत्तियां बराबर बांट भी रही हैं। चूंकि छात्रवृत्तियां बांटने का काम केवल राज्य सरकारों का ही है अतः अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर छात्रवृत्तियों का देना संभव नहीं है। इस योजना से सभी राज्यों को समान रूप से लाभ हो इसलिये छात्रवृत्तियों का प्रत्येक राज्य के लिये बटवारा कर दिया गया है। छात्रवृत्तियों के बारे में चयन करने का अधिकार भी उन्हीं को दे दिया गया है। यदि ऐसा न किया जाता तो भेदभाव करने का आरोप लगता। अतः राज्यों द्वारा यह काम करना बहुत ही अपेक्षित है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

†**सभापति महोदय** : क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिये रखूं ?

†**श्री तंगामणि** : मेरा कटौती प्रस्ताव २१ अलग से रखा जाये।

†**सभापति महोदय** : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या २१ मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	२	३
		रुपये
२	उद्योग	१,०००
१९-क	दादरा और नगरहवेली क्षेत्र . . .	२१,२८,०००
३४	राज्यों को सहायतानुदान	१,०००
४१	पशु-पालन	१,०००
६०	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय . .	१,०००
९०	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	५४,००,०००
१३२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	६,७५,००,०००
१३७	परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	२,८३,००,०००

———

विनियोग (संख्या ५) विधेयक

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**सभापति महोदय** : अब सभा में भारतीय प्रशुल्क विधेयक पर विचार किया जायेगा।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है ताकि सरकार के उन निर्णयों को लागू किया जा सके जो उसने शुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिये हैं। साथ ही इसका उद्देश्य कैलशियम कार्बाइड, कास्टिक सोडा, इलेक्ट्रिक मोटर, सोडा एश और टिटैनियम-डाइ-आक्साइड को प्रदत्त संरक्षण को, ३१ दिसम्बर के बाद जारी रखने का है। प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है तथा इन उद्योगों में से प्रत्येक उद्योग के बारे में टिप्पणी सदस्यों की जानकारी के लिये प्रसारित करदी गई है। इस टिप्पणी में आयोग की सिफारिशों का उल्लेख भी किया गया है जिनमें इन उद्योगों को संरक्षण देने की सिफारिश की गई है।

स्थायी प्रशुल्क आयोग की स्थापना प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत हुई थी और यह अधिनियम २१ जनवरी, १९५२ से लागू किया गया था। इस आयोग ने उसी दिन से अपना काम शुरू कर दिया और बाद में चल कर इसने प्रशुल्क बोर्ड का स्थान ले लिया जो कि नवम्बर

---

†मूल अंग्रेजी में

१९४५ से बराबर काम कर रहा था। इस आयोग का काम मुख्यतः (१) प्रशुल्क संरक्षण सम्बन्धी मामलों पर सरकारी निदेशों की निपटान (२) संरक्षित उद्योगों की प्रगति पर उचित देखभाल रखना (३) संरक्षित अथवा असंरक्षित वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारण करना। यह आयोग अपने कर्तव्यों का निवर्हन अपनी स्थापना के दिनों से ही उचित रूप से कर रहा है।

यह आयोग संरक्षित उद्योगों की प्रगति की जांच हर तिमाही के बाद करता है। अधिनियम की धारा १३ और धारा ११(१) के अधीन प्रत्येक संरक्षित उद्योग की जांच उस उद्योग के संरक्षण की अवधि समाप्त होने से पूर्व की जाती है। इसके अलावा वस्तुओं के मूल्यों के निर्धारण के बारे में भी आयोग द्वारा सिफारिशें की जाती है। इसके अलावा कभी कभी व्यक्तिगत मालूमात भी आया करती हैं जिनको सरकार इसी आयोग के पास भेज दिया करती है। आयोग ने जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं उनके बारे में सभा के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं।

१९५२ में जिस समय प्रशुल्क आयोग की स्थापना की गई थी तब कोई ४३ उद्योगों का संरक्षण प्राप्त था। आज केवल २४ उद्योगों को संरक्षण प्राप्त है। इससे भारतीय उद्योगों के विस्तार का पता चलता है। सरकार ने अपनी नीति यह रखी है कि उद्योगों का संरक्षण तभी दिया जायेगा जब कि वह बहुत आवश्यक हों। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे उद्योग अन्य उद्योगों के साथ प्रतियोगिता कर सकें और वे अपने पैरों पर खड़े हो। उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर तथा उद्योगों की वर्तमान दशा को ध्यान में रखकर इस वर्ष संरक्षण शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। टिटैनियम डाइ-आक्साइड का प्रदत्त संरक्षण का हटा लेने का समय अभी नहीं आया है। केरल राज्य को, जिसमें यह उद्योग उपक्रम कार्य कर रहा है, अभी औद्योगिक क्षेत्र में काफी विकास करना है। इस उद्योग को जो संरक्षण प्राप्त है वह जारी रहे। अंत में मैं निवेदन करता हूं कि सभा यह विधेयक स्वीकार करे।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (विल्लेर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन है कि उन सभी उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिये जो आयातित वस्तुओं के आगमन के करण प्रतिस्पर्द्धा में ठहर नहीं सकते। प्रशुल्क आयोग को अपने कार्य के अतिरिक्त किसी विशिष्ट उद्योग की लागत के ढांचे और कुल व्यय की जांच भी करनी चाहिये। जिन उद्योगों का उत्पादन निर्धारित किस्म का न हो, उन्हें संरक्षण देने के बजाय उन्हें जो संरक्षण प्राप्त है उसे दंड के तौर पर कम किया जाये। इलेक्ट्रिक मोटर उद्योग संरक्षण देने योग्य नहीं है। इस प्रकार के थोक संरक्षण देना उचित नहीं है आंशिक संरक्षण दिया जाना चाहिये। सोडा एश के जो वर्तमान मूल्य हैं, उन्हें देखते हुए इस उद्योग को भी संरक्षण देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जहां तक टिटैनियम डाय-अक्साईड का सम्बन्ध है उसके दो प्रकार हैं; एक है एनाटेस ग्रेड और दूसरा सटाइल ग्रेड। इनमें से दूसरे प्रकार को संरक्षण देना चाहिये, किन्तु पहले प्रकार को संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संरक्षण गीने चुने उद्योगों को दिया जाये। सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत उदारता नहीं बरतनी चाहिये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : यह विधेयक चार उद्योगों को संरक्षण देने के लिये है। इन चार उद्योगों को पिछले दस या बारह वर्षों से संरक्षण प्राप्त है। हमें इन उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना चाहिये क्योंकि इन उद्योग का कार्य निर्धारित स्तर का नहीं है। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि ये उद्योग यथाशीघ्र आत्मनिर्भर हो जायें। हमें साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हम

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

इन उद्योगों को संरक्षण उपभोक्ता के हितों की अवहेलना करके ही की जायेगी । लेकिन हमें उन उद्योगों को संरक्षण उनके विकास करने की दृष्टि से ही देना है । लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उपभोक्ता को यह भार न वहन करना पड़े । आज हम यह भी देखते हैं कि हमारे देश में निर्मित वस्तुओं का मूल्य आयातित वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा अधिक है । कैलशियम कार्बाइड उद्योग का विकास करते समय हम इस बात को सुनिश्चित करें कि उस उद्योग के घटक भी देश में बनें ।

सवाल यह है कि जब अन्य सभी समवाय वर्तमान कठिनाइयों के बावजूद अच्छी किस्म का कैलशियम कार्बाइड तैयार कर रहे हैं, तब 'बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी' 'बी' ग्रेड का ही कैलशियम कार्बाइड क्यों तैयार कर रही है ? कठिनाइयां तो सभी के लिये समान हैं ।

कॉस्टिक सोडा उद्योग का वार्षिक उत्पादन भी हमारी वार्षिक मांग से काफी कम रहता है । इसे बढ़ाने का यत्न करना चाहिये ।

श्री न० रा० मुनिस्वामी इलैक्ट्रिक मोटर उद्योग के बारे में काफी कुछ कह चुके हैं । इस उद्योग में विदेशी हितों को दी जाने वाली रॉयल्टी की दर अत्यधिक है । उसी के कारण उसका मूल्य बढ़ जाता है और देशी उपभोक्ताओं को अधिक ऊंचा मूल्य अदा करना पड़ता है । सरकार को तुरन्त इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

इन उद्योगों को जो संरक्षण दिया गया है, उससे इन पर एक ग़लत प्रभाव यह पड़ता है कि फिर उनको सदा ही संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती रहती है । इसलिये संरक्षण को यथाशीघ्र हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । वह देशी उपभोक्ताओं के भी हित में रहेगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

†**श्री लें० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : इस विधेयक द्वारा १९३४ के भारतीय प्रशुल्क अधिनियम को संशोधित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि कैलसियम कार्बाइड, कास्टिक सोडा, इलैक्ट्रिक मोटर, सोडा एश और टिटैनियम डाइऑक्साइड उद्योगों को संरक्षण मिलता रहे । आयोग ने कास्टिक सोडा उद्योग को तीन वर्ष के लिये और संरक्षण देने की सिफारिश की है ।

सोडा एश उद्योग को १९५० से संरक्षण मिलता रहा है । इस उद्योग के बारे में यह शिकायत है कि सोडा एश अपेक्षित किस्म का नहीं होता । तृतीय योजना में कहा गया है कि द्वितीय योजना के दौरान उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है । इस उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिये जरूरी है कि इसे और अधिक संरक्षण दिया जाये । इसलिये हम विधेयक का समर्थन करते हैं ।

टाटा कैमिकल्स के मूल्यों में वृद्धि नहीं होने देनी चाहिये, क्योंकि उससे उपभोक्ताओं के लिये और भी कठिन हो जायेगा ।

हमारी कॉस्टिक सोडा की मांग उसके उत्पादन से कहीं अधिक है । औद्योगिक विकास के साथ-साथ उसकी मांग बढ़ती जा रही है । कॉस्टिक सोडा उद्योग को सबसे बड़ी कठिनाई बिजली की कमी के कारण पड़ती है । उसके लिये सस्ती बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कैलसियम कार्बाइड विस्फोटक पदार्थ है। उसके लिये उपयुक्त पीपों और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये।

देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ कैलसियम कार्बाइड की मांग बढ़ती जायेगी। इसलिये उसके काम आने वाले पेट्रोलियम कोक के क्षेत्र में किसी भी उद्योगपति को एकाधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। उसका समूचे उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मेरी पुख्ता राय है कि सोडा एश, कॉस्टिक सोडा और कैलसियम कार्बाइड जैसे बुनियादी. उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। तभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्पाद मिल सकेंगे।

इलैक्ट्रिक मोटर उद्योग का भविष्य बड़ा उज्जवल है। इस उद्योग के निर्माता संरक्षित घरेलू बाजार के कारण उत्पादन की वृद्धि करने में कोई उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। यह भी शिकायत है कि इसके उत्पादों की क़िस्म ठीक नहीं होती। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

इलैक्ट्रिक मोटर और टिटैनियम डाइऑक्साइड उद्योगों की क्षमता बढ़ाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिये। इन उद्योगों को संरक्षण की अवधि में अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

इन उद्योगों के निर्यात से हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेंगे। इस दिशा में योजनीकरण अधिक सफल नहीं हो सका है।

होना यह चाहिये कि सरकार संरक्षण देते समय एक अवधि निर्धारित कर दें। संरक्षण पाने वाले उद्योगों को उस अवधि तक आत्म-निर्भर बन जाना चाहिये। तभी हम विदेशों के बाजारों से प्रतियोगिता कर सकेंगे। तभी हमारे निर्यात व्यापार में वृद्धि हो सकेगी।

†**श्री मनुभाई शाह :** श्री न० रा० मुनिस्वामी ने कहा है कि संरक्षण देने के लिये कुछ यूनिटों को चुन लेना चाहिये; हर क्षेत्र में संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। मैं उनको बता दूं कि यूनिटवार संरक्षण देना संभव नहीं है। संरक्षण देने का उद्देश्य सामान्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना ही है। इसलिये यदि किसी उद्योग को संरक्षण देना सामान्य उपभोक्ताओं के हित में हो, तो उद्योग की किसी एक यूनिट या उत्पादन के प्रकार के बावजूद उसको संरक्षण दिया जाना चाहिये।

यह भी कहा गया था कि यदि किसी उद्योग का एक विभाग दूसरे विभाग के मुकाबले अधिक उत्पादन करे तो उसे संरक्षण की आवश्यकता नहीं रहती। प्रशुल्क आयोग ने स्वयं कहा है कि एक ही उत्पाद को संरक्षण देने में कठिनाई पैदा हो जायेगी। इसलिये कि उद्योगों में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन मांग के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। इसीलिये प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है कि संरक्षण या तो पूरे उत्पाद को दिया जाये या संरक्षण बिल्कुल हटा लिया जाये।

मैं पहले बता चुका हूं कि टिटैनियम डाइऑक्साइड को संरक्षण देना क्यों जरूरी है। उसे संरक्षण देना इसलिये जरूरी है कि इस अवस्था पर केरल राज्य को औद्योगिक रूप से विकसित करना अत्यावश्यक है।

कहा गया है कि इलैक्ट्रिक मोटर उद्योग का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये। हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी कसी हुई है, इतने आयात प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि सिद्धान्त रूप में संरक्षण का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

अधिक महत्व नहीं रह गया है। हमारी बुनियादी नीति यही है कि अपने पैरों पर खड़े हो सकने वाले अधिकाधिक उद्योगों का संरक्षण रद्द किया जाये।

देश का औद्योगीकरण बढ़ने के साथ साथ इलैक्ट्रिक मोटर्स का महत्व बढ़ता ही जायेगा। इसलिये इलैक्ट्रिक मोटर उद्योग का संरक्षण अभी निकट भविष्य में रद्द करने की संभावना नहीं है। हां, जब विशेष प्रकार की इलैक्ट्रिक मोटरों का उत्पादन काफी बढ़ जायेगा और उत्पादन का अधिकाधिक विस्तार होने पर मूल्यों में गिरावट आ जायेगी, तब हम इस उद्योग के उस विशेष विभाग का संरक्षण रद्द कर सकते हैं।

कैलसियम कार्बाइड उद्योग भारत के पूर्वी भाग में ही रहा है। इस की बार-बार आलोचना हुई है। इस के लिये जो स्थान चुना गया था वही कैलसियम कार्बाइड के उपभोग का सब से बड़ा केन्द्र था, लेकिन इस के लिये कच्चा माल काफी दूर से लाना पड़ता है। भारत में फासफोरस से रहित कैलसियम कार्बोनेट की बड़ी कमी है। अब यह उद्योग बढ़िया प्रकार के 'बी' ग्रेड का निर्माण भी करने लगा है। हम अब केरल राज्य, मद्रास और राजस्थान में 'ए' ग्रेड के कैलसियम कार्बाइड के निर्माण के लिये कारखाने स्थापित कर रहे हैं। प्रतिवेदन में यह सारी जानकारी जुटाई गई है। माननीय सदस्यों को प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन भी देख लेने चाहियें। उसके बाद ही उन के सुझाव अधिक संगत हो सकेंगे।

हर्ष की बात है कि देश की औद्योगिक प्रगति से सदस्यों को संतोष है। हम ने जिन उद्योगों को संरक्षण दिया है, उन में बड़ी प्रगति हुई है। किसी-किसी संरक्षित उद्योग ने तो एक ही वर्ष में सौ फी सदी प्रगति की है। एक नहीं, कई उद्योगों ने पिछले पांच वर्ष में अपना उत्पादन दूना और चौगुना कर लिया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†मूल अंग्रेजी में

विश्वभारती (संशोधन) विधेयक

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विश्व भारतीय अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक बड़ा सीधा सा विधेयक है । मैं आप को बताता हूं कि इस विधेयक को किन परिस्थितियों में यहां लाया जा रहा है ।

सभा को विदित है कि विश्वभारती विधेयक १९५१ में पारित हुआ था और विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था । उस विधेयक का उस समय मौजूद विश्वभारती संस्था पर एक निश्चित प्रभाव पड़ा था । उस के अनुसार विश्वभारती संस्था की समस्त आस्तियां विश्वभारती विश्वविद्यालय को मिल गई थीं ।

जुलाई, १९२३ में डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर और विश्वभारती संस्था के बीच किये गये विलेख के अनुसार संस्था ने उन को ५,००० रुपये देकर उन की पुस्तकों, लेखों, इत्यादि को प्रकाशित करने और उन से मुनाफा करने का अधिकार, प्रतिलिप्याधिकार ले लिया था । परन्तु अभी कुछ दिन पहले एक शंका प्रकट की गई थी कि अधिनियम में "हस्तान्तरण या अभिहस्तांकन" मौजूद नहीं हैं, इसलिये विश्वभारती विश्वविद्यालय को प्रतिलिप्याधिकार के अन्तर्गत सभी मुनाफे नहीं मिल सकते ।

अभी स्थिति यह है कि विश्वभारती विश्वविद्यालय ने विश्वभारती संस्था की सभी आतिस्यां अपने अधिकार में ले ली हैं । लेकिन चूंकि शंका प्रकट की गई थी, इसलिये उस त्रुटि को दूर करने के लिये यह संशोधन किया जा रहा है । महाकवि और संस्था के बीच किये गये विलेख का मंशा तो स्पष्ट ही है ।

दूसरा संशोधन यह है कि विश्वभारती विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले लोक शिक्षा संसद् केन्द्रों के द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमा या प्रमाणपत्रों को मान्यता दी जाये । हम चाहते हैं कि वे केन्द्र पश्चिमी बंगाल के गांवों में और तेजो से प्रसार करें ।

तीसरा संशोधन यह है कि विश्वभारती विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा अब आगे से नियंत्रक महालेखापरीक्षक किया करें । अभी तक विश्वविद्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा केन्द्रीय सरकार के निदेशों के मुताबिक होती थी । लोक लेखा समिति बार-बार कहती रही है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को करनी चाहिये ।

हम केन्द्रीय विश्व विद्यालयों को यह शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि वे अपनी सम्पत्ति की जमानत पर ऋण ले सकेंगे । विधेयक के खंड ६ में इस की व्यवस्था को गई है ।

आशा है सभा इन चारों संशोधनों को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इस वर्ष हम रवीन्द्र शताब्दी मना रहे हैं । यह अवसर है जब हमें विश्व भारतो को रवीन्द्र की परम्पराओं के योग्य बनाने के बारे में विचार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

प्रश्न यह उठता है कि हम ने विश्वभारती में महाकवि के किन-किन आदर्शों को जीवित रखा है? गुरुदेव की सब से बड़ी देन थी शिक्षा में मानवीयतावाद का समावेश।

दुर्भाग्य ही कहना चाहिये कि हम विश्वभारती में महाकवि की परम्पराओं को जीवित नहीं रख सके। और जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, विश्वभारती भी अन्य विश्वविद्यालयों जैसी बनती जा रही है।

हम ने गुरुदेव के शिक्षा सम्बन्धी आदर्शों का प्रसार प्रचार करने के लिये बहुत ही कम काम किया है। मानवीयतावाद और प्रकृति-प्रेम से ओत प्रोत शिशु-पुस्तकें कहां मिलती हैं?

गुरुदेव ने विश्वभारती के शिशुओं के लिये इतिहास, साहित्य, इत्यादि पर जो पुस्तकें लिखी थीं, आज उन को सामने रख कर शिशुओं के लिये पाठ्य पुस्तकें तैयार करना ही रवीन्द्र का सब से अच्छा स्मारक बनाना होगा।

विद्यार्थियों को सादा, पर सम्पन्न जीवन बनाना सिखाने की ओर अब ध्यान ही नहीं दिया जाता। प्रकृति के साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता। इन पहलुओं पर भी हमें इस अवसर पर सोचना चाहिये।

प्रतिलिप्याधिकार का प्रयोग इस ढंग से किया गया है कि आज हम महाकवि के लेखों, इत्यादि में से ६ लाइनों से अधिक उद्धृत तक नहीं कर सकते। होना यह चाहिये कि उन की सभी कृतियां पूरे देश की सम्पत्ति मानी जायें। इसी विधेयक में एक स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये कि सभी लोग रवि ठाकुर के लेखों, उन की कृतियों, इत्यादि का खुला प्रयोग कर सकते हैं। तभी रवीन्द्र के विचारों का अधिकाधिक प्रचार हो सकेगा। इस प्रतिलिप्याधिकार को व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने से रोकना चाहिये।

अब मैं मूल अधिनियम की धारा २३ के संशोधन को लेती हूं। उस में कर्म-समिति की शक्तियां और कर्तव्य पारिभाषित किये गये हैं। उस में एक व्यवस्था यह की जा रही है कि कार्यं समिति, शिक्षा समिति की सिफारिश के बिना, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी। यह बड़ी अच्छी व्यवस्था है। परन्तु इसके लिये शिक्षा परिषद् में शिक्षा से सम्बन्धित सुयोग्य व्यक्ति ही रखे जाने चाहिये। धारा २४ में शिक्षा समिति को सामान्य नियंत्रण की शक्ति दी गई है। मैं चाहती हूं कि शिक्षा समिति का विधान और उस की सदस्यता संविधि द्वारा विहित कर दी जाये।

हम कहते हैं कि लोक शिक्षा संसद् ये परीक्षाएं ले सकती है अथवा अन्य प्रकार की कार्यवाही कर सकती है। संसद् को सारे भारत में केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी गई है। मैं समझती हूं कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यही है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के समय के विचारों का यदि हम प्रसार कर सके तो भी अच्छा है। उन की पुस्तकों तथा शिक्षाओं का प्रसार किया जाये। इन परीक्षाओं का रूप क्या होगा इस बारे में भी स्पष्ट हो जाना चाहिये। क्या वे सर्टीफिकेट भी देंगे। मैं समझती हूं कि विश्वभारती द्वारा टैगोर की शिक्षाओं का प्रसार किया जा रहा है। सभी केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को भी वही कार्य करना चाहिये जो कि विश्व भारती कर रही है।

मैं खंड १५ का विरोध करती हूं जो कि मुख्य अधिनियम की धारा ३८ में संशोधन करने वाली है। पुराना उपबंध बहुत ही स्वस्थ है उस में कोई हेर-फेर नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि इस में एक प्रगतिशील उपबंध हैं जो विश्वविद्यालय तथा उस के किसी अधिकारी या अध्यापक के बीच

विवाद को निपटाने के बारे में है। प्रस्तावित परन्तुक धारा ३८ में स्वीकृत वस्तु के प्रभाव को निष्फल बना देगी, क्योंकि न्यायाधिकरण को किसी मामले के निर्देश करने या न करने का अधिकार विश्व-विद्यालय के अधिकारियों को दिया जा रहा है। इस से विश्वविद्यालय के मामलों में नौकरशाही के विचार को लाया जा रहा है। अतः इस संशोधन को स्वीकार न किया जाये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता--केन्द्र) : जहां तक संशोधनों का मामला है मैं खंड १५ का विरोध करता हूं जो कि मूल अधिनियम की धारा ३८ में परिवर्तन करता है। किन्तु अन्य सभी संशो-धनों से सहमत हूं। विश्वभारती विश्वविद्यालय अपने ढंग का अनूठा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है।

मेरा निवेदन है कि मंत्रालय सदस्यों को समय समय पर तथ्य उपलब्ध करे कि केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को किस प्रकार से चलाया जा रहा है। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि विश्वभारती का वह विशेष रूप जिस पर टैगोर ने इतना बल दिया था, वह एक शोचनीय सीमा तक बिगड़ चुका है। विश्व कवि ने राष्ट्रीय एकता पर अधिक बल दिया था। जब महाकवि जीवित थे तो हिन्दी का विशेष अध्ययन किया जाता था तथा वहां हिन्दी का एक भवन भी था। किन्तु अब यह काम उचित ढंग से नहीं हो रहा है। वहां इस्लामी सभ्यता के अध्ययन का भी प्रबन्ध किया गया था और इसके लिये निज़ाम हैदराबाद ने कुछ राशि भी दान में दी थी। वहां एक चीनी भवन भी था। इस के अतिरिक्त अन्य प्रकार के साहित्य तथा धर्मों का भी प्रध्ययन हुआ करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन की परम्परा तो अब विश्वभारती में समाप्त हो चुकी है।

टैगोर का ध्येय था कि जो भी लेक्चर वहां हो वे अपनी भाषा में ही हो। उन्होंने अपनी आयुभर देश की भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन किया था, परन्तु विश्वभारती अधि-कारियों का निर्णय कि स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम रहेगी महाकवि की इच्छा के विपरीत है। ये सब बातें इसलिये हो रही हैं कि टैगोर के विचारों का विकास करने की वांछनीयता को समुचित प्रकार से नहीं समझा जा रहा है। यह खेदजनक विषय है कि विश्वविद्यालय में नौकरशाही का वातावरण फैल रहा है। टैगोर संग्रहालय तथा पुस्तकालय को सावधानतापूर्वक कायम नहीं रखा जा रहा है। जहां तक टैगोर की कृतियों के प्रतिलिप्याधिकार का सम्बन्ध है, उस बारे में कुछ करना होगा ताकि उनके अनुवाद पर कोई अनावश्यक रोक न रहे। मामले पर सावधानी से विचार करना चाहिये।

शान्ति निकेतन जैसी संस्था में अध्यापकों के बीच आपस में झगड़ा होता है जो कि अच्छी बात नहीं है। टैगोर इस बात को कभी पसन्द नहीं करते थे। ऐसा करना तो उस मृत आत्मा को कष्ट पहुंचाना है। इस प्रकार के विचार वहां निन्दनीय हैं।

यदि हम उनकी पुस्तकों, उनके साहित्य को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें उसका संरक्षण उसी प्रकार करना चाहिये जिस ढग से कि वह करना चाहते थे।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार हमें यह बताये कि विश्वभारती विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है तथा इस सम्बन्ध में सरकार के विचार क्या हैं ?

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पहले दो वक्ताओं ने विश्वभारती के वर्तमान रूप का अत्यन्त खेदजनक वर्णन किया है। यद्यपि इन वक्ताओं को विश्वभारती का निकट परिचय प्राप्त है फिर मैं यह निवेदन कर दूं कि विश्वभारती में नौकरशाही की प्रभुता किसी अन्य विश्वविद्यालय से अधिक नहीं है। महामानव रवीन्द्र के व्यक्तित्व की उस संस्था पर छाप है और गुरुदेव का प्रभाव इससे बुराइयां से मुक्त रखने में सक्षम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वी० च० शर्मा]

विश्वभारती आज भी तीर्थ स्थल बना हुआ है। वहां हिन्दी भवन सराहनीय कार्य कर रहा है। महान टैगोर नहीं है किन्तु उनकी आत्मा, मानवता की भावना, विश्वबन्धुत्व की प्रेरणा, प्रकृति अराधना की अनुकल्पना आज भी वहाँ विद्यमान है। विश्वविद्यालय का कार्य आज भी उतना ही आलोकमय है। गुरुदेव अपनी कृतियों के माध्यम से सदा अमर रहेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं है किन्तु यह विश्वविद्यालय उन्हें शाश्वत कीर्ति प्रदान करेगा। राष्ट्र इस विश्वविद्यालय के लिये कवि का सदा कृतज्ञ रहेगा।

हमें त्रुटि की ओर दृष्टिपात न करते हुए सम्मान की भावना से इस विश्वविद्यालय की ओर निहारना है। यह आज भी गुरुदेव की विचारधाराओं का पोषक है।

जहां तक कापीराइट का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय को रवीन्द्र की पुस्तकों की आय पर अवलम्बित नहीं रहना चाहिये। वैसे भी कापीराइट की अवधि केवल पचास वर्ष की अवधि के लिये है किन्तु गुरुदेव की पुस्तकें और रचनायें सबको निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहियें। क्योंकि उनके विचार और भावनाओं के प्रसार का यह सबल माध्यम होगा।

गुरुदेव रवीन्द्र के शताब्दी समारोह के अवसर पर अनेक कार्य किये गये हैं और समग्र देश के कोने-कोने में उत्साहपूर्ण कार्यक्रम व उत्सव मनाये गये हैं। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी कर सकते हैं कि रवीन्द्र साहित्य सबको अध्ययन के लिये उपलब्ध कराया जाये। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में कुछ काम किया जायेगा।

एकेडेमिक कौंसिल को कुछ और शक्तियां प्रदान करने के लिए मैं माननीय महोदय को बधाई देता हूं। इससे अध्यापक वर्ग विश्वविद्यालय की राजनीति से दूर रहेंगे। आशा है अन्य विश्वविद्यालय भी इस उपबन्ध का अनुकरण करेंगे।

खण्ड ३८ के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। विश्वविद्यालय को किसी भी कर्मचारी को सेवाविमुक्त करने का अधिकार है किन्तु उस कर्मचारी को अपील का अधिकार भी है। यह अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष की जा सकती है।

यह प्रसन्नता की बात है कि विश्वभारती का क्षेत्राधिकार सीमित प्रदेश अथवा निर्दिष्ट राज्य-क्षेत्र को लांघ कर भारतव्यापी रहेगा। यह संस्था जहां चाहे परीक्षा केन्द्र स्थापित कर सकेगी।

मेरा विचार है कि अन्य विश्वविद्यालयों को भी इस विधेयक का अनुकरण करना चाहिये। लोक शिक्षा संसद् भी इनका अनुसरण करेगी। गुरुदेव टैगोर द्वारा संस्थापित इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ होने वाले घरेलू अध्ययन पाठ्यक्रम भविष्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंगीकृत हो जायेंगे।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली) : देश की सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात शिक्षा संस्था से सम्बन्धित प्रस्तुत बिल से मैं सहमत हूं। गुरुदेव टैगोर एक उच्च मानववादी ही नहीं थे परन्तु सुविख्यात शिक्षाविद् भी थे। उन्होंने विश्वभारती की स्थापना की इसलिये कि वहां आधुनिक शिक्षा और पुरातन भावना का सम्मिश्रण हो। गुरुदेव इस संस्था को भारतीय शिक्षा के साथ उन देशों की संस्कृति का केन्द्र भी बनाना चाहते थे जिनसे भारत के निकट सम्बन्ध रहे हैं। इसीलिये उन्होंने 'चीन भवन' की स्थापना की ; सम्भवतः वह अपने जीवन काल में वहां 'बर्मा भवन',

'इण्डोनेशिया भवन' और 'थाई भवन' भी स्थापित करते। वह इसे भारतीय संस्कृति का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाना चाहते थे।

रवीन्द्र की मृत्यु के बाद आज विश्वभारती का वह रूप नहीं रहा है। वह आज अन्य विश्व-विद्यालयों की भांति बन गया है। वही पाठ्यक्रम, वही परीक्षाएं, वैसा ही प्रशासन। विश्वभारती की वर्तमान अवस्था इसके महान संस्थापक के प्रति असम्मान है।

मैं लोक शिक्षा संसद् की स्थापना और बंगाल के बाहर विश्वभारती के केन्द्र प्रारम्भ करने का स्वागत करता हूं। यद्यपि आज इस संस्था में पहले जैसी महानता नहीं रही है किन्तु फिर भी इसे जनता का सम्मान प्राप्त है। अन्य स्थानों में जो इसके केन्द्र खोले जायेंगे उनमें बड़ी संख्या में लोग आयेंगे। किन्तु इन केन्द्रों में शिक्षा का माध्यम बंगाली के साथ हिन्दी भी होना आवश्यक है। इस विश्वविद्यालय को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर परीक्षा केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है ऐसी सुविधा अन्य विश्वविद्यालयों को भी दी जानी चाहिये। कुछ समय पहले पंजाब विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन दिल्ली में करती थी इन परीक्षाओं में जिस संख्या में विद्यार्थी बैठते थे वह दिल्ली विश्वविद्यालय से भी अधिक था। किन्तु अब यह सुविधा समाप्त कर दी गई है फलस्वरूप हजारों विद्यार्थी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना है कि वह पंजाब विश्वविद्यालय को पुनः ऐसा करने की अनुमति दें।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई]

विश्व भारती को ऋण लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। किन्तु बिल में 'विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ' शब्दों के स्थान पर 'विश्वविद्यालय के निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये' शब्द होने चाहियें। जनता के सामने यह स्पष्ट होना चाहिये कि किस विशिष्ट कार्य के लिये ऋण प्राप्त किया जा रहा है।

यह सच है कि विश्वविद्यालय कई बार शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये बाध्य होता है किन्तु यह स्वस्थ चिन्ह नहीं है। विश्वविद्यालय में परस्पर सौहार्द्र, सहयोग और विश्वास होना चाहिये। जहां तक सम्भव हो हमें गुरुदेव द्वारा संस्थापित इस संस्था को इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रखना चाहिये।

श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शान्ति निकेतन के ग्राम्य क्षेत्र में सन् १९२१ में विश्वभारती की स्थापना की। महात्मा गांधी के समान गुरुदेव भी उसी महती विचारधारा से अनुप्राणित हो उठे थे कि अंग्रेजी प्रणालियों को तुरन्त ही बदल दिया जाये। गुरुदेव और गांधी जी—यह दोनों महापुरुष भारत की जनता को मुक्ति प्रदान करने के लिये ही अवतरित हुए थे।

यद्यपि शिक्षा का विषय राज्यों से सम्बन्धित है किन्तु संघ सूची में प्रविष्टि ६३ के अधीन पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह किसी भी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की घोषित कर दे। अंग्रेजों के प्रस्थान काल में राष्ट्रीय महत्व की केवल दो शिक्षा सस्थायें ही थीं—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय। एक की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी और दूसरी को महामना मालवीय जी ने स्थापित किया था।

आज भारत में ४६ विश्वविद्यालय हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में १२ विश्वविद्यालय और स्थापित करने का कार्यक्रम है। भारत में आज, २०० विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है।

आई० सी० एस० अधिकारियों और भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों के अधिकांश उम्मीदवार इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं । इस दृष्टि से जो शिक्षा संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण सिद्ध हो चुकी हैं हम उन्हें भी राष्ट्रीय महत्व की क्यों नहीं घोषित कर देते ।

विश्व भारती की स्थापना के समय गुरुदेव के समक्ष कुछ आदर्श थे । क्या आज हम उन आदर्शों का पालन कर रहे हैं? गुरुदेव विश्व भारती को एक ऐसा संस्कृति केन्द्र बनाना चाहते थे पूर्व और पश्चिम के विचारक और मनीषी सहयोग और सौहार्द्र के साथ, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म और सम्प्रदाय के भेदभाव को विस्तृत कर आत्मिक अनुभूति के लिये प्रयास करें । गुरुदेव सम्पूर्ण विश्व में हित रखते थे । गुरुदेव सम्पूर्ण विश्व के जीवन को समुन्नत बनाना चाहते थे ।

विश्व भारती में विभिन्न कालेजों के नाम इस प्रकार हैं : विद्या भवन, कला भवन, संगीत भवन, विनय भवन, शिक्षा भवन, और पाठ भवन । इन छः नामों से गुरुदेव टैगोर के आदर्श स्पष्ट हो जाते हैं ।

मुझे हर्ष है कि शिक्षा मंत्री ने खंड ७-क के द्वारा गुरुदेव टैगोर के आदर्शों के प्रचार के लिए भारत भर में विभिन्न केन्द्र खोलने की व्यवस्था की है । हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी करें, गुरुदेव की इच्छाओं के अनुसार करें, नहीं तो हमें विश्व भारती के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस के कार्यक्षेत्र या शक्तियों को कम नहीं करना चाहिए ।

विश्व भारती का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वह सारे संसार के विद्यार्थियों को आकर्षित कर सके ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : देखा जा रहा है कि विश्व भारती के शिक्षा स्तर में गिरावट आ रही है । यह देखना मंत्री महोदय का कर्तव्य है कि गुरुदेव के आदर्शों को कायम रखा जाये ।

हिन्दी भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और बंगला पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में करना चाहिए ।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि अब विश्व भारती के अध्यापक उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में अपने झगड़े ले जा सकेंगे । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री नें जो परन्तुक अपने संशोधन द्वारा रखा है, उसे हटा देना चाहिए ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विश्व भारती में टैगोर के दर्शनशास्त्र के सभी पहलुओं को विकसित करने के लिए पूरा ध्यान दे रही है ।

मुझे इस पर आपत्ति नहीं है कि टैगोर के सब प्रकाशनों पर विश्व भारती का अधिकार रहे, किन्तु इन्हें जन साधारण तक पहुंचानें का प्रबन्ध करना चाहिए । उन की पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रकाशित करनें चाहिए ।

मैं खंड ७ का स्वागत करता हूं । आशा है कि इसे लागू करते समय टैगोर के आदर्शों को ध्यान में रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे खेद है कि खंड १५ के द्वारा विश्व भारती में गुटबन्दी प्रवेश कर जायेगी । इस खंड को हटा देना चाहिए ।

†**डा० का०ला० श्रीमाली** : यह स्वाभाविक है कि विश्व भारती की चर्चा करते हुए, हमें गुरुदेव का ख्याल आये । माननीय सदस्यों का इस संस्था के बारे में चिन्ता प्रकट करना स्वाभाविक है ।

गुरुदेव के देहान्त के बाद भारत सरकार ने इस संस्था को राष्ट्रीय संस्था घोषित कर दिया था और वह सदा इस बात के लिए प्रयत्नशील रही है कि टैगोर के आदर्श इस के द्वारा पूरे किये जायें ।

यह सही है कि विश्व भारती का इस समय उतना गौरव नहीं, जितना टैगोर के जमाने में था, किन्तु इस का कारण यह नहीं है कि सरकार ने समर्थन नहीं दिया या प्रयत्न नहीं किये । हम उस संस्था को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में सदन को आश्वासन देता हूं कि वह इस संस्था द्वारा टैगोर के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करती रहेगी ।

इस विधेयक के खंड बिलकुल अविवादास्पद हैं । किन्तु प्रतिलिप्याधिकार और मध्यस्थता सम्बन्धी खंडों की सदस्यों ने कुछ आलोचना की है । मैं इस बात पर सहमत हूं कि टैगोर के प्रकाशनों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम को अधिक उदारता से प्रयोग करना चाहिए । इस सम्बन्ध में, मैं विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों से बातचीत करूंगा ।

मेरे इस संशोधन को लाने का मुख्य कारण यह था कि मैं चाहता था कि प्रतिलिपि अधिकार विश्वविद्यालय के पास बना रहे । विश्वविद्यालय को १० लाख रुपये की रायल्टी मिलेगी । यह राशि रचनावली के सस्ते संस्करण के प्रकाशन के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी जा रही है । टैगोर को पुस्तकें लोकप्रिय हो रही हैं । इससे विश्वविद्यालय को काफी लाभ होगा ।

यह समझना गलत होगा कि हम मध्यस्थता सम्बन्धी खंड के संशोधन द्वारा विश्वविद्यालय में राजनीति को प्रविष्ट कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी की यह बात गलत है कि हम इस में राजनीतिक प्रश्न लाने की कोशिश कर रहे हैं । उल्टे हम तो विश्वविद्यालय की सहायता के लिये प्रयत्नशील हैं । इस परन्तुक का आशय केवल इतना है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण विश्वविद्यालय की संविधि तथा अध्यादेशों के अनुसार काम करे । आखिर अध्यापकों की नियुक्तियां भी तो उन के ही अनुसार होती हैं । यह केवल स्पष्टीकरण है । यह केवल इसलिये रखा गया है कि अध्यापकगण विश्वविद्यालय के अधिकारियों से विवाद खड़ा होते ही मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ओर दौड़ पड़ते हैं । उन को संविधि का पूरा ज्ञान भी नहीं रहता ।

विधि मंत्रालय ने भी हमें इस सम्बन्ध में आश्वस्त किया है कि मध्यस्थता को मखौल न बनने देने के लिये ऐसा परन्तुक रखना आवश्यक है ।

और यदि अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी जाये और वे संतुष्ट न हों, तो वे खुशी से न्यायालय की शरण ले सकते हैं । इसलिये राजनीति को इस में घसीटने का तो सवाल ही नहीं उठता । इसी विश्वविद्यालय क्या, अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों में भी हम ने राजनीति को घसीट लाने की चेष्टा नहीं की । हम ने तो उन को राजनीति से मुक्त करने का प्रयास किया है । वहां राजनीति ने पहले ही वातावरण विषाक्त बना दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मूल अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक विवाद अनिवार्य रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा और उस का निर्णय अन्तिम होगा । अब परन्तुक में कहा जा रहा है कि यदि उस का निर्णय विश्वविद्यालय की संविधि के अनुसार न हो तो उसे अन्तिम नहीं माना जायेगा । इन दोनों को पटरी कैसे बैठाई जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** व्यवस्था यही है कि न्यायाधिकरण संविधि और अध्यादेशों के अनुसार ही काम करेगा । न्यायाधिकरण उस के विरुद्ध नहीं जा सकेगा ।

†**सभापति महोदय :** कोई भी मामला न्यायाधिकरण को कब सौंपा जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जब भी विश्वविद्यालय और अध्यापकों के बीच कोई विवाद खड़ा हो । कार्यकारिणी परिषद् उसे न्यायाधिकरण को सौंप सकती है ।

†**सभापति महोदय :** अधिनियम में व्यवस्था थी कि ऐसे विवाद अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण को सौंपे जायेंगे, परन्तु इस परन्तुक में उसे अनिवार्य नहीं रखा गया है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विश्वविद्यालय और उस के अधिकारियों या अध्यापकों के बीच हुए करार के बारे में उठने वाले विवादों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा । यदि विवाद हो न हो, तो सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । उदाहरण के लिये यदि करार के मुताबिक चार महीने का नोटिस सेवा समाप्त करने से पहले देना जरूरी हो और नोटिस न दिया गया हो तो करार को व्यवस्थाओं को व्याख्या के लिये मामला न्यायाधिकरण के पास जायेगा ।

बड़ी सीधी सी चीज है । हम ने केवल इतना ही परिवर्तन किया है कि न्यायाधिकरण विश्व-विद्यालय द्वारा संविहित संविधि और अध्यादेशों के विरुद्ध नहीं जा सकेगा । इसलिये कि लोग छोटी-मोटी बातों को ले कर न्यायाधिकरण के सामने न जा सकें ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या किसी कर्मचारी सेवा की समाप्ति के प्रश्न को मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस व्यवस्था का अध्यापकों द्वारा की जा सकने वाली अपील के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वह विनिर्णय के लिये न्यायाधिकरण की शरण में जा सकता है ।

†**सभापति महोदय :** इस का अर्थ यह है कि पहले तो सेवा समाप्त कर दी जायेगी, उस के बाद अध्यापक अपील कर सकता है । इस परन्तुक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उस अपील को मान्यता दी जायेगी या नहीं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** उस के अपील के अधिकार पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस खण्ड में अपील के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है । विश्व-विद्यालय द्वारा अध्यापक की सेवा समाप्त करने के अधिकार का उल्लेख अवश्य है । मूल अधिनियम की धारा ३८ में कहा गया था कि सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामजद एक सदस्य और

†मूल अंग्रेजी में

परिदर्शक द्वारा नियुक्त एक निर्णायक और न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा । इस में क्या खामी है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यदि इस से शंका खड़ी होने की गुंजाइश हो तो मैं इसे वापस लेने को तैयार हूं । इस का उद्देश्य तो इतना ही है कि छोटे-मोटे मतभेदों को लेकर न्यायाधिकरण के सामने लोग न पहुंचें । अपील का अधिकार तो है, पर अध्यापकों को समझना चाहिये कि उन को विश्वविद्यालय की संविधि के अनुसार ही चलना चाहिये ।

†श्री स० मो० बनर्जी : जब धारा ३८ में इस की व्यवस्था है ही, तो नयी व्यवस्था क्यों रखी जा रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं इस खण्ड को वापस लेने को तैयार हूं ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्व भारती अधिनियम, १९५१ में संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से १४ तक विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से १४ तक विधयक में जोड़ दिये गये ।

†सभापति महोदय : खण्ड १५ वापस नहीं लिया जा सकता, उसे अस्वीकृत किया जाना चाहिये ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५ विधेयक का अंग बन ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

पिछली बार शिक्षा से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय मैंने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय की आवश्यकतायें इतनी बढ़ गई हैं कि हमें डाक द्वारा शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करना अत्यावश्यक प्रतीत होता है । हमने इस विषय पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा कर ली है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति, डा० कोठारी ने सुझाव दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से ही इसका प्रारम्भ किया जाना चाहिये ।

और चूंकि वर्तमान अधिनियम में इसकी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिये यह संशोधन रखा जा रहा है ।

प्रारम्भ में हम केवल आर्ट्स विभाग में इन पाठ्यक्रमों को शुरू कर रहे हैं । बाद में ये तकनीकी शिक्षा में भी लागू किये जायेंगे ।

[श्री हेडा पीठासीन हुए ।]

इस योजना में डाक द्वारा शिक्षा देने वाले अध्यापक वही होंगे जो दिन में पढ़ाते हैं । इसलिये कि उससे शिक्षा का उच्च मानदण्ड बनाये रखा जा सकेगा । इस योजना में प्रारम्भ में २,००० विद्यार्थी शामिल किये जायेंगे । यह योजना जनवरी, १९६२ से प्रारम्भ करने का विचार है । समिति अभी योजना का पूरा ब्यौरा तैयार कर रही है । दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२२ की धारा ५ की व्यवस्था के अनुसार वह दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों में काम नहीं कर सकता । विधेयक के खण्ड ३ द्वारा उसे विस्तारित किया जा रहा है । खण्ड ४ में यह व्यवस्था नहीं है कि डाक द्वारा शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां दी जा सकें । इस विधेयक के खण्ड २ में विश्वविद्यालय को यह शक्ति प्रदान की जा रही है । अन्य संशोधनों द्वारा, विश्व भारती की भांति, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ऋण लेने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राधारमण (चांदनी चौक) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। दिल्ली में डाक-शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। इसलिये कि दिल्ली में विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और वर्तमान कालेज उसे अटाने में असमर्थ हैं।

दिल्ली में अलग एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये। इसके अलावा नये -नये कालेज तो खोले ही जायें।

व्यवस्था यह होनी चाहिये कि इस क्षेत्र में जितने भी विद्यार्थी चाहें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें इतनी होनी चाहिये कि एक भी विद्यार्थी को निराश न होना पड़े, इस आधार पर कि उसे दाखिला नहीं मिल सका।

डाक-शिक्षा की योजना से दूर-दूर तक के विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। अभी इसे आर्ट्स के विषयों के लिये ही लागू किया जा रहा है। आशा है कि इसमें शीघ्र ही अन्य सभी विषयों, विज्ञान और तकनीकी का भी समावेश हो जायेगा।

दूसरी चीज यह है कि सरकार को यह प्रयास करना चाहिये कि डाक-शिक्षा का स्तर ऊंचा बना रहे। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो स्तर हो, वही डाक शिक्षा में बना रह सके।

लड़कियों के लिये कालेजों की संख्या पर्याप्त नहीं है। पिछले वर्ष उनके लिये केवल दो ही नये कालेज खोले गये थे। अच्छा यही रहेगा कि केवल लड़कियों के लिये अलग से कालेज खोले जायें। मैं इसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आशा है कि डाक-शिक्षा की यह योजना सफल होगी। साथ ही, शिक्षा सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। विद्यार्थियों के लिये अन्य सुविधायें जुटाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने १९५९ में सोवियत संघ में देखा था कि वहां डाक शिक्षा बड़ी लोकप्रिय है।

मैं समझता हूं कि कोई भी देश सभी नागरिकों के लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता। दिल्ली में इतने कालेज नहीं हैं कि सभी इच्छुक विद्यार्थियों को दाखिला दे सकें।

अब डाक-शिक्षा की यह नयी योजना उनके लिये नई संभावनायें पैदा कर देगी। अब गाजियाबाद, सोनीपत या गुड़गांव के विद्यार्थी भी वहीं रह कर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उनको भाग कर दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। परन्तु हमें यह नहीं समझ बैठना चाहिये कि इस योजना से सभी इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी। हमें इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग भी खोजने पड़ेंगे।

आशा है कि अन्य विश्वविद्यालय भी शीघ्र ही दिल्ली विश्वविद्यालय की भांति अपने यहां डाक-शिक्षा का पाठ्यक्रम चालू करेंगे। हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि इसके द्वारा सभी विषयों की शिक्षा दी जा सके।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मंत्री ने कहा है कि शिक्षक दोनों पाठ्यक्रमों के लिये एक ही रहेंगे। इसमें यह देखना चाहिये कि कहीं उन शिक्षकों पर कार्य का भार बहुत अधिक न बढ़े

---

†मूल अंग्रेजी में

जाये। यह योजना तभी सफल हो सकेगी, जब शिक्षक लोग मिशनरियों की भावना और लगन के साथ काम करे।

सरकार को हमें इस योजना का पूरा ब्यौरा देना चाहिये। तभी हम इसे भली भांति समझ सकेंगे। तभी हम पूरी तौर से इस पर विचार कर सकेंगे।

सरकार को छः महीने के बाद इस योजना की प्रगति का प्रतिवेदन देना चाहिये।

आशा है कि यह परीक्षण सफल होगा।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। क्या नियमित विद्यार्थियों और डाक द्वारा शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिये परीक्षा एक ही होगी?

†**श्री दी० चं० शर्मा**: अन्य देशों में शायद एक ही परीक्षा रहती है। इसलिये कि दोनों के पाठ्यक्रम समान होते हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य): इस योजना द्वारा देश में उच्च शिक्षा की कमी को एक सीमा तक पूरा किया जा सकेगा। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

परन्तु यदि इस डाक-शिक्षा का स्तर गिर जायेगा, तो इस योजना से शिक्षा का प्रसार नहीं, संकुचन होगा।

वैसे डाक-शिक्षा द्वारा शैक्षणिक जीवन की सारी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती। परन्तु कालेजों में इतनी गुंजाइश है ही नहीं, इसलिये कोई और चारा नहीं है।

डा० कोठारी के सभापतित्व में एक समिति इस योजना का ब्यौरा तैयार कर रही है। इसलिये मुझे पूरी आशा है कि वह समिति सभी समस्याओं का उचित समाधान निकाल लेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आशा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय शीघ्र ही शाम के कालेज भी पुनः चालू करेगा।

यदि इस डाक-योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के संक्षिप्त-सार ही भेजे जायेंगे, तो शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। इसके लिये सरकार को पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय बनाने चाहिये। मद्रास विश्वविद्यालय ने इसका सफल परीक्षण किया है।

मैं इस योजना के लिये माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। अब सरकार यह महसूस करने लगी है कि शिक्षा का स्तर उच्च बनाये रखने पर इतना जोर नहीं दिया जाना चाहिये कि शिक्षा का क्षेत्र ही सीमित हो जाये।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली): मैं सामान्य रूप से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। डाक द्वारा शिक्षा से दिल्ली में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में कुछ वृद्धि होगी।

चूंकि दिल्ली की जन संख्या बढ़ रही है, इसलिये दिल्ली विश्वविद्यालय राजधानी के छात्रवर्ग की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने में असफल रहा है। निस्संदेह इसका बहुत विस्तार हुआ है, किन्तु वह पर्याप्त नहीं हैं। इस विश्वविद्यालय में १४ प्रादेशिक भाषाओं की शिक्षा क प्रबन्ध होना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये । इसमें हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिये । हिन्दी का एक व्यापक शब्दकोष तैयार किया जाना चाहिये और विभिन्न पाठ्यपुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जाना चाहिये ।

यद्यपि पिछले तीन वर्षों में छः सायंकालीन कालेज खोले गये हैं, उन में कोई समन्वय स्थापित नहीं किया गया । इनके विनियमन आदि के लिये पग उठाने चाहिए और इनकी संख्या भी बढ़ानी चाहिए ।

डाक द्वारा शिक्षा से कुछ सहायता अवश्य मिलेगी किन्तु इससे समस्या पूरे तौर पर हल नहीं होगी । ऐसी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को डिग्री प्राप्त करने के लिए अधिक समय नहीं लगना चाहिए । यदि ऐसा हुआ, तो उनका उत्साह कम हो जायेगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात तथा उससे सम्बद्ध कालेजों की अल्पसंख्या को देखते हुए उन कालेजों को जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, जैसे दिल्ली पब्लिक कालेज, एस० एन० दास गुप्ता कालेज, को काम में लाया जाना चाहिये ।

मैं नई दिल्ली के लिए एक नया विश्वविद्यालय खोलने का विरोध करता हूं । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस से जो धन बचेगा, वह अधिक कालेज खोलने और शिक्षा की सुविधायें बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने वाले ऐसे अध्यापकों को जो बी० ए० या बी०एस०सी० पास हैं, डाक द्वारा शिक्षा प्राप्त कर के एक वर्ष के बाद एम० ए० और एम० एस० सी० की परीक्षा में बैठने दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है, अर्थात् दिल्ली विश्वविद्यालय को अधिकार देना कि वह डाक द्वारा शिक्षा देकर उपाधियां दे सके । क्या अध्यापक इस से लाभ उठा सकेंगे, इसका निर्णय विश्वविद्यालय स्वयं करेगा ।

श्री शर्मा ने स्तरों का प्रश्न उठाया था । विश्वविद्यालय स्वयं चाहता है कि स्तर ऊंचे से ऊंचा रहे, अन्यथा डाक द्वारा शिक्षा कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं होगा । मेरा विचार है, ऐसे पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अधिक गम्भीरता से पढ़ेंगे और अच्छी प्रगति दिखायेंगे । मुझे स्तर के बारे में कोई चिन्ता नहीं है । जिन कालेजों को मान्यता नहीं दी गई, उन्हें डिग्री देने का अधिकार देना उचित नहीं होगा । किन्तु नियम पूरे करने वाले सभी विद्यार्थियों को डाक द्वारा शिक्षा लेने का अधिकार होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

> "कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम १६२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब खण्डों पर विचार होगा ।

खंड २ (धारा ४ का संशोधन)

†**श्री बलराज मधोक : मैं अपने संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लाख पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प

†**वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री शतीश चन्द्र) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ का ३२) की धारा ४-क की उप-धारा (२) के अनुसरण में, लोक-सभा एतद् द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की दिनांक ६ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४२७ का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा १००० किलोग्राम बीज की लाख और चपड़ा लाख तथा बटन लाख और याकूत लाख पर १६० रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क और बीज की लाख तथा चपड़ा लाख और बटन लाख तथा याकूत लाख के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की १००० किलोग्राम लाख पर १२५ रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क उक्त अधिसूचना की तारीख से लगाया गया था ।"

कुछ समय पूर्व एक अधिसूचना पटल पर रखी गई थी । यह संकल्प उसके अनुसरण में प्रस्तुत किया गया है । इस अधिसूचना का उद्देश्य लाख के व्यापार में निर्यातकों द्वारा कमाये जा रहे भारी मुनाफे को इकट्ठा करना था । निर्यातक उत्पादकों को बहुत कम दाम दे रहे थे । संकल्प का उद्देश्य यह है कि निर्यात मूल्य को कम किया जाये और साथ ही उत्पादकों को अधिक दाम दिये जायें । इस दिशा में कई पग उठाये गये हैं और लाख और निर्यात व्यापार को विनियमित करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाख को लगभग तीन वर्ष पूर्व निर्यात व्यापार नियन्त्रण के अन्तर्गत लाया गया था। अभी हाल में यह निर्णय किया गया है कि राज्य व्यापार निगम एक अतिरिक्त भंडार स्थापित करने का कार्य करेगा। निर्यात मूल्य जो कुछ समय पहले निर्धारित किया गया था लगभग ७० रुपये प्रति मन था, जब कि उत्पादकों और निर्माताओं को लगभग ५० रुपये का मूल्य दिया जाता था। अत: २० रुपये का अन्तर था। ६४ रुपये प्रति मन का मूल्य अधिक न्यायसंगत समझा जाता है। दूसरी ओर ४० या ५० रुपये का मूल्य बहुत कम है। विचार यह है कि जब मूल्य ५६ रुपये से कम हो जाये, तो निगम को लाख खरीदना शुरू कर देना चाहिये। ताकि इस के मूल्यों में स्थिरता आ सके। जब अतिरिक्त भंडार में मूल्य ५६ रुपये होगा और निर्यात मूल्य ६४ रुपये होगा, अब भी ८ रुपये का लाभ रहेगा। लाख और चमड़ा लाख के मामले में निर्यात शुल्क ६ रुपये प्रति मन और बटिया लाख के मामले में ५ रुपये होगा। निर्यात के लिये २ या ३ रुपये का लाभ रहेगा।

राज्य व्यापार निगम ने कलकत्ता में खरीद शुरू कर दी है। नई फसल आने पर वह कई केन्द्रों पर जैसा कि महाराष्ट्र में गोंडिया, पश्चिमी बंगाल में बलरामपुर, बिहार में रांची और डालटनगंज में खरीद शुरू कर देगी। गोदाम बनाये जा रहे हैं, जहां इस के द्वारा खरीदा हुआ माल रखा जायेगा। यदि मूल्य ५६ रुपये से अधिक हो गये, तो निगम इस बेचना शुरू कर देगा और प्रचलित मूल्यों पर खरीदना शुरू कर देगा।

मुझे आशा है कि सदन इस उपाय को जो उत्पादक और निर्यातक दोनों के हित में है, अनुमोदित कर देगा। ऐसा करने से हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी और निर्यात भी उचित मूल्यों पर अधिक होगा। अन्य बनाई हुई वस्तुओं द्वारा लाख का स्थान लेने का खतरा भी कम हो जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट): लाख उत्पादकों की दशा बहुत शीघ्रता से बिगड़ती जा रही है। यह उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, जो कि वास्तव में एक कुटीर उद्योग है, जिस में १०० या २०० श्रमिक काम करते हैं। हम ने उपमंत्री को बताया था कि बड़े बड़े निर्यात समवाय लाख को बहुत कम कीमत पर खरीद लेते हैं। मुझे हर्ष है कि उन के लाभ को कम करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। किन्तु बलरामपुर और पुरूलिया क्षेत्रों के छोटे छोटे उत्पादकों ने एक अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें इस कार्यवाही से अधिक लाभ नहीं हो रहा है।

राज्य व्यापार निगम ने लाख खरीदने के लिये टेंडर मंगवाये हैं और शर्तों की घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन शर्तों की जांच करें, ताकि छोटे उत्पादकों को राहत मिल सके। मैं सरकार की कार्यवाही का समर्थन करती हूं परन्तु लाख के विक्रय से कमाया हुआ अत्यधिक लाभ कम किया जाना चाहिये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया): मुझे योजना लागू किये जाने पर हर्ष है किन्तु इसका लाभ अभी उत्पादकों को प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत समय से हम उत्पादकों के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जाने की मांग कर रहे है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह हर्ष की बात है कि राज्य व्यापार निगम ने लाख का व्यापार शुरू कर दिया है। मेरा सुझाव है कि लाख की घड़ियों पर भारी निर्यात शुल्क लगाया जाये, ताकि इस का निर्यात न किया जा सके। निर्यात शुल्क से सरकार को जो लाभ होगा, उसका कुछ भाग उत्पादकों के हित में प्रयोग किया जाय।

†श्री हेडा (निजामाबाद) : राज्य व्यापार निगम को चाहिये कि वह अपने एजेंट नियुक्त करे और इन क्षेत्रों के छोटे उत्पादकों से खरीदे या वह इन मंडियों में मूल्यों की घोषणा करे, ताकि लाख केवल इन मूल्यों पर खरीदी जाये और वह बीच के व्यक्तियों को परिवहन व्यय के अतिरिक्त जितना लाभ देना चाहें दें।

जब भी निगम को अच्छा लाभ प्राप्त हो, उस का कम से कम आधा भाग उत्पादकों के लाभार्थ काम में लाया जाये।

†श्री दी० चं० मलिक (धनबाद) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। लाख उद्योग में निर्यात करने वाले सब से अधिक लाभ कमाते हैं और उन्होंने ही यह स्थिति पैदा की है। क्या सरकार ने स्थिति का अध्ययन करने के लिये अपने प्रतिनिधि विदेशों में भेजे हैं? राज्य व्यापार निगम को स्वयं निर्यात का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिये और सरकार को इस का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये।

†श्री बर्मन (कूच बिहार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सरकार को पटसन के बारे में वही कार्यवाही करनी चाहिये, जो उस ने लाख के बारे में की है। उसे उत्पादकों को सुरक्षित करने के लिये पटसन के बाजार में आना चाहिये।

†श्री सतीश चन्द्र : मैं सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प का स्वागत किया है। यद्यपि राज्य व्यापार निगम ने कलकत्ता बाजार में कुछ खरीद की है, इरादा यह है कि उन मंडियों में जाया जाये, जहां लाख और चमड़ा लाख प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों से प्राप्त होती है। सरकार कच्चे लाख को नहीं खरीद सकती क्योंकि बिना माल तैयार किये इसका जमा करना संभव नहीं है। निगम केवल बीज वाली लाख खरीदेगा, जो कि कुछ समय जमा की जा सकती है। बीज वाली लाख की कीमतों का निर्धारण कच्ची लाख के मूल्यों को विनियमित करने में सहायक सिद्ध होगा। यदि १०० या २०० छोटे निर्माता हों, तो कच्ची लाख की कीमत अपने आप विनियमित हो जायेगी।

†श्री दी० चं० मलिक : उत्पादकों के लिये कच्ची लाख के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में क्या हानि है?

†श्री सतीश चन्द्र : उस अवस्था में हल यह होगा कि निगम स्वयं लाख बनाना शुरू कर दे। अन्यथा मूल उत्पाद के लिये मूल्य निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं होगा। उपादकों के लिये उचित मूल्य निर्धारित करना संभव हो जायेगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ का ३२) की धारा ४क की उप-धारा (२) के अनुसरण में, लोक-सभा एतद् द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की दिनांक ६ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४२७ का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा १००० किलोग्राम बीज की लाख और चपड़ा लाख तथा बटन लाख और याकूत लाख पर १६० रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क और बीज की लाख तथा चपड़ा लाख और बटन लाख तथा याकूत लाख के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की १००० किलोग्राम लाख पर १२५ रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क उक्त अधिसूचना की तारीख से लगाया गया था।"

संकल्प पारित हुआ।

इस के पश्चात् लोक-सभा ७ दिसम्बर, १९६१ / १६ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ११ म० पू० तक के लिये स्थगित हो गई।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, ६ दिसम्बर, १९६१
१५ अग्रहायण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१६४१—६५
तारांकित प्रश्न संख्या		
६१७	कलिंग ट्यूब लिमिटेड, उड़ीसा	१६४१-४२
६१९	सिक्किम के लिये विकास योजना	१६४३-४४
६२०	ग्रामीण क्षेत्रों का उद्योगीकरण	१६४४-४५
६२१	चीनी मजूरी बोर्ड पंचाट	१६४५—४९
६२२	पुनर्वास मंत्रालय का बन्द होना	१६४९-५०
६२३	चीनी मिल की मशीनें	१६५०—५२
६२३-ख	संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री हैमरशोल्ड की मृत्यु	१६५२-५३
६२४	पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	१६५३—५५
६२५	पाकिस्तान द्वारा भारतीय सर्वेक्षण कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार	१६५५-५६
६२५-क	केरल में छोटे कारखाने	१६५६-५७
६२६	केन्द्रीय कामगर शिक्षा बोर्ड	१६५७-५८
६३०	हौजरी उद्योग	१६५८-५९
६३१	अनिवार्य निर्यात	१६५९-६०
६३२	नये ट्रांसमीटरों की स्थापना	१६६१—६३
६३३	अल्पसंख्यक-कार्य विभाग की समाप्ति	१६६३
६३३-क	बेरूबाड़ी	१६६४-६५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१६६५—१७३७
तारांकित प्रश्न संख्या		
६१८	अनुसूची 'क' के अधीन उद्योगों में विनियोजन	१६६५
६२३-क	विदेश जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल	१६६६

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
६२७ चाय उद्योग का सर्वेक्षण .	१६६६
६२८ पटसन मिलें . .	१६६६
६२९ मशीनी औजार, डिजाइन और प्रौद्योगिकी संस्था . .	१६६७
६३४ ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के आर्थिक कार्यों के महा-आयुक्त .	१६६७
६३५ तिब्बती शरणार्थी .	१६६७–६८
६३५–क अखिल भारतीय गोदी कर्मचारी सलाहकार बोर्ड	१६६८
६३५–ख दिल्ली में दूकानों के बन्द होने का समय . .	१६६८–६९
६३६ केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सेवानियुक्त कर्मचारियों के पेंशन के मामले .	१६६९
६३७ लंका में भारतीय	१६६९
६३८ नमक का उत्पादन . . .	१६६९–७०
६३८–क तिब्बत में पकड़े गए भारतीय राष्ट्रजन .	१६७०
६३९ पूर्वी जर्मनी और अल्जीरिया की अस्थाई सरकार को मान्यता	१६७०–७१
६४० आवास सहकारी समितियां .	१६७१
६४१ समुद्री मीनक्षेत्र .	१६७१
६४१–क केन्या में भारतीय व्यापारी . .	१६७२
६४१–ख गोदी मजदूर (नौकरी का विनियमन) योजना . .	१६७२
६४२ नेपाल में भारतीय समाचार पत्रों का प्रावेक्षण (सेंसरशिप)	१६७२–७३
६४२–क केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का उद्यान-कर्म विभाग	१६७३–७४
६४३ चाय का निर्यात . .	१६७४
६४४ रुपया भुगतान देशों के साथ व्यापार	१६६४–७५
६४५ फिल्म संस्था .	१६७५
६४५–क भारत से कांगो को शस्त्र सहायता . .	१६७६
६४५–ख श्री लुमुम्बा की हत्या . .	१६७६
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१३३० कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन .	१६७६
१३३१ बैंकाक में फिल्म समारोह .	१६७७
१३३२ चाय उद्योग के लिये केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था	१६७७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

१३३३	केबिल फैक्टरी	१६७७
१३३४	कारखाना अधिनियम, १९४८	१६७८
१३३५	बिजली के खम्भों का आयात	१६७८
१३३६	महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	१६७८
१३३७	महाराष्ट्र को सीमेंट का कोटा	१६७८—७९
१३३८	पूना में फिल्म संस्था	१६७९
१३३९	राज्य व्यापार निगम	१६७९
१३४०	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	१६७९—८०
१३४१	प्रलेख चित्र, आन्ध्र प्रदेश	१६८०
१३४२	असम के दंगों से प्रभावित व्यक्ति	१६८०
१३४३	दासता को समाप्त करने के लिये कानन	१६८०—८१
१३४४	पटसन की मिलें	१६८१
१३४५	पाकिस्तान से डाक द्वारा भेजी गई वस्तुयें	१६८१—८२
१३४६	समाचार पत्र उद्योग	१६८२
१३४७	रामपुर (उ० प्र०) के निकट ट्रांसमीटर	१६८२
१३४८	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	१६८२—८३
१३४९	राष्ट्रीय संशोधनों का सर्वेक्षण	१६८४
१३५०	परामर्शदाता इंजीनियरिंग संस्थायें	१६८४
१३५१	पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश	१६८४—८५
१३५२	सरकारी कर्मचारियों के लिये चार मंजिल वाले मकान	१६८५
१३५३	एक भारतीय नागरिक के साथ पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा किया गया व्यवहार	१६८५
१३५४	दिघा में केबल फैक्टरी	१६८५—८६
१३५५	सूती कपड़े की मिलें	१६८६
१३५६	बेरूबाड़ी	१६८६
१३५७	राज्यों में जिलों का पुनर्गठन	१६८७
१३५८	भूमिहीन श्रमिक	१६८७
१३५९	मलाया में उर्वरक संयंत्र	१६८७—८८
१३६०	चाय का विकास	१६८८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३६१	निर्यात उर्वरक आयात सलाहकार परिषदें	१६८८
१३६२	पंजाब में खेलकूद उद्योग	१६८९
१३६३	सम्भर नमक पर उपकर में वृद्धि	१६८९
१३६४	दिल्ली में सीमेन्ट की कमी	१६८९
१३६५	इस्पात की चोर बाजारी	१६९०
१३६६	पंजाब के लिये औद्योगिक विकास योजनायें	१६९०–९१
१३६७	अम्बाला शहर के समीप बल्देव नगर	१६९१
१३६८	कलकत्ता नीलामी मूल्य	१६९१–९२
१३६९	बंगाल देशी रूई का निर्यात	१६९२
१३७०	पटसन का माल	१६९२
१३७१	तीसरी पंचवर्षीय योजना	१६९२–९३
१३७२	वृद्ध नागरिकों की सहायता	१६९३
१३७३	त्रिपुनिथुरा में फैक्टरी	१६९३–९४
१३७४	रूई का आयात	१६९४
१३७५	सेवानिवृत्त लोगों की पुनर्नियुक्ति	१५९४
१३७६	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	१६९४–९५
१३७७	आसाम, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में उर्वरक परियोजना	१६९५
१३७८	उपभोक्ताओं की समस्याओं सम्बन्धी गोष्ठी	१६९६
१३७९	विस्थापित व्यक्तियों के पेंशन आदि के दावे	१६९६–९७
१३८०	चीन को निर्यात	१६९७
१३८१	लोहा तथा इस्पात उद्योग के श्रमिक सम्बन्ध	१६९७
१३८२	इटली की सहायता से स्थापित होने वाले उद्योग	१६९७–९८
१३८३	कपड़े का निर्यात	१६९८
१३८४	पंजाब, लाहौल आदि सम्बन्धी फिल्म का उत्पादन	१६९८
१३८५	सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों की केन्द्रीय समिति	१६९९
१३८६	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, अलवाय	१६९९
१३८७	खानों में सुरक्षा सम्बन्धी कान्फ्रेंस	१७००
१३८८	मशीनी औजार उद्योग	१७००
१३८९	शोधक पदार्थों का उत्पादन	१७००–०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१३९०	दावेदारों को भुगतान	१७०१
१३९१	अखबारी कागज नियंत्रण आदेश	१७०१
१३९२	त्रिपुरा में जूट का मूल्य	१७०१
१३९३	सरकार द्वारा बनाये गये मकान आदि	१७०२
१३९४	दिल्ली में ग्रामीण निष्क्रान्त सम्पत्ति	१७०२
१३९५	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान	१७०२–०३
१३९६	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये दुकानें	१७०३
१३९७	पुनर्वास मंत्रालय के कर्मचारी	१७०३
१३९८	"बुद्ध का जीवन" नामक जापानी फिल्म	१७०४
१३९९	रेडियो सक्रिय धूल	१७०४
१४००	मंगला बांध	१७०४–०५
१४०१	जम्मू और काश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	१७०५
१४०२	दिल्ली में भूमिगत पानी का स्तर	१७०५–०६
१४०३	किदवई नगर, नई दिल्ली में "एच" टाइप क्वार्टर	१७०६
१४०४	पाण्डिचेरी में उद्योग	१७०६
१४०५	जम्मू और काश्मीर राज्य में उर्वरक कारखाना	१७०६–०७
१४०६	छंटनी शुदा कर्मचारियों को अवसान अवकाश	१७०७
१४०७	अणु शक्ति विभाग के वैज्ञानिकों के वेतन क्रम	१७०७–०८
१४०८	एण्ड्रूजगंज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१७०८
१४०९	होटल जनपथ	१७०८
१४१०	चाय का निर्यात	१७०८–०९
१४११	चाय का उत्पादन और कीमत	१७०९
१४१२	मालेगांव (महाराष्ट्र) में कताई का कारखाना	१७१०
१४१३	राज्य व्यापार निगम	१७१०–११
१४१४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वर्दियां देना	१७११–१२
१४१५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति के सेक्शन अफसर (सिविल)	१७१२–१३
१४१६	मजूरी के आधार पर नियुक्त कर्मचारी	१७१३
१४१७	शरणार्थियों को ऋण	१७१३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१४१९ जीपों की खरीद . .	१७१४
१४२० आयात व्यापार नियंत्रण संगठन	१७१४
१४२१ आयात व्यापार नियंत्रण संगठन .	१७१५
१४२२ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के मामले .	१७१५
१४२३ जयपुर हाउस के क्वार्टरों से वसूल किये गये पानी के किराये की वापसी . . .	१७१६
१४२४ मलाया और सिंगापुर को निर्यात	१७१६–१७
१४२५ आन्ध्र प्रदेश में रेडियो स्टेशन	१७१७–१८
१४२५–क श्रमिक सम्बन्ध अनुसंधान संस्था	१७१८
१४२५–ख अखबारी कागज का दुरूपयोग . .	१७१८
१४२५–ग नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साहित्य का संग्रह और प्रकाशन	१७१८
१४२५–घ मेजर गागारिन की भारत यात्रा	१७१९
१४२५–ङ दण्डकारण्य परियोजना . .	१७१९–२०
१४२५–च यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का शामिल होना .	१७२०–२१
१४२५–छ आणविक परीक्षणों पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी जनेवा सम्मेलन .	१७२१
१४२५–ज दक्षिण अफ्रीका में भारतीय . .	१७२१
१४२५–झ शिक्षा के लिये टेलीविजन . . .	१७२२
१४२५–ञ मस्जिदों में रहने वाले विस्थापित व्यक्ति	१७२२–२३
१४२५–ट निर्यात संवर्द्धन . . .	१७२३
१४२५–ठ राजस्थान में अनुशक्ति संयंत्र .	१७२३–२४
१४२५–ड भारत में चाय बागानों के विदेशी मालिक	१७२४
१४२५–ढ दण्डकारण्य परियोजना . .	१७२४
१४२५–ण लंका का रेडियो कार्यक्रम .	१७२५
१४२५–ट शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त	१७२५
१४२५–थ मैसर्स भारत कला केन्द्र (प्रा०) लिमिटेड	१७२६
१४२५–द केन्द्रीय सूचना सेवा . . .	१७२६
१४२५–भ काहिरा में भारतीय सेना सहचारी . .	१७२७
१४२५–न रूस के नाभिकीय विस्फोट	१७२७–२८
१४२५–प अमरीकी निर्देश पुस्तकों में भारत के बारे में भ्रामक उल्लेख .	१७२८–२९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—क्रमश :	
अतारांकित	
प्रश्न संख्या	
१४२५–फ सर्वेक्षण अधिकारी की गिरफ्तारी . .	१७२९
१४२५–ब डालमिया उपक्रम . .	१७२९
१४२५–भ कराची में भारतीय दूतावास का भवन	१७३०
१४२५–म जाली पासपोर्ट	१७३०
१४२५–य राज्य व्यापार निगम	१७३०
१४२५–कक पाकिस्तान में जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किये गये भारतीय	१७३१
१४२५–खख आसाम चाय उद्योग . . .	१७३१
१४२५–गग बिडला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी, दिल्ली	१७३१–३२
१४२५–घघ काश्मीर हाउस, नई दिल्ली में नौकरों के क्वार्टर	१७३२
१४२५–ङङ जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारी उद्योग	१७३२
१४२५–चच आसाम की चाय	१७३३
१४२५–छछ श्रम कल्याण पदाधिकारियों का प्रशिक्षण . .	१७३३
१४२५–जज भावात्मक एकीकरण सम्बन्धी प्रधान मंत्री की अपील .	१७३३–३४
१४२५–झझ गोंडिया में सिन्धी शरणार्थियों के मकान तथा दुकानें.	१७३४
१४२५–ञञ रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली में बिना बारी के आवंटन .	१७३३–३५
१४२५–टट भारत सरकार के मुद्रणालयों में कम्प्यूटरों के पदों को उच्च श्रेणी का बनाना	१७३५
१४२५–ठठ आयात नियंत्रण संगठन	१७३५–३६
१४२५–डड पश्चिम पाकिस्तान से प्रेस तार .	१७३६
१४२५–ढढ ट्रांसमीटरों की स्थापना . . .	१७३६
१४२५–णण जल-स्थलचारी साइकिल . .	१७३६–३७
निधन सम्बन्धी उल्लेख .	१७३७

अध्यक्ष महोदय ने श्री कन्हैयालाल नानाभाई देसाई के, जो प्रथम लोक सभा, भारत की संविधान सभा और अस्थायी संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवगंत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १७३७-३८

श्री पुन्नूस ने केरल कृषक सम्बन्धी एक्ट अधिनियम को कार्यान्वित करने में योजना आयोग के निदेशों का पालन न होने की ओर, जिसके फलस्वरूप बहुत से काश्तकार बेदखल कर दिये गये, अत्यधिक असंतोष फैला, आन्दोलन हुआ, सामूहिक गिरफ्तारियां हुईं और दमनचक्र चला, श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री का ध्यान दिलाया।

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १७३८-३९

(एक) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड बर्दवान का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा।

(दो) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड, नाहन का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कम्पनी के कार्य की समीक्षा।

(तीन) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये प्रागाटूल्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उसपर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की समीक्षा।

(चार) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की समीक्षा।

(पांच) वर्ष १९६०-६१ के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

(छै) अमरीका, जापान और पश्चिमी जर्मनी में सामान तथा सूची नियंत्रण के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन।

(सात) जापान, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी में पर्यवेक्षण और कार्य-संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण के बारे में भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन।

(२) ऐसे मामलों का एक विवरण, जिन में इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा ३० जून, १९६१ को समाप्त होने वाली छमाही में न्यूनतम दर वाले टेन्डर्स स्वीकार नहीं किये गये।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . १७४०

इक्यानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . १७४०

एक-सौ-आड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . १७४०

उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुपस्थिति की अनुमति . १७४०-४१

(एक) निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई :—

(१) रानी मंजुला देवी
(२) श्री सारंगधर सिंह
(३) श्री लक्ष्मी नारायण भंज देव
(४) श्री बी० पोकर
(५) श्री टी० आर० नैस्वी
(६) श्री नेमी चन्द्र कास्लीवाल
(७) श्री कन्सारी हाल्दर
(८) श्री द्वारिका नाथ तिवारी
(९) श्री यू० मुत्तुरामलिंग तेवर
(१०) श्रीमती इला पालचौधरी
(११) श्री बी० एन० स्वामी
(१२) हर हाईनेस महारानी विजया राजे सिंधिया आफ ग्वालियर और
(१३) श्री नरसिंह मल्ल देव और
(१४) श्री कन्हैया लाल खादीवाला।

(दो) श्रीमती ललिता राज्य लक्ष्मी की ७ मार्च से ५ मई १९६१ तक (तेरहवां सत्र) की अनुपस्थिति माफ कर दी गई।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य १९६१-६२) . . १७४१—४६

वर्ष १९६१-६२ के बजट सामान्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

पृष्ठ

विधेयक पुरःस्थापित . . . . . . १७४६—६४

विनियोग (संख्या ५) विधेयक १९६१

विधेयक पारित

(१) वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या ५) विधेयक १९६१, पर बिचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड वार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

(२) उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड वार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

(३) शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने प्रस्ताव किया कि विश्व भारती (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंडवार, चर्चा के दौरान खंड १५ अस्वीकृत हुआ और अन्य खंड स्वीकृत किये गये। विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

(४) शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये।

खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

संकल्प स्वीकृत . . . . . . १७६४—६७

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) ने लाख पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने वाद विवाद का उत्तर दिया। संकल्प स्वीकृत हुआ।

गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९६१/१६ अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

अन्तराष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।

GMGIPND—LS II—1640 (Ai) LSD—11-1-62—125.